यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 के सॉल्व्ड पेपर्स

सामान्य अध्ययन

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I

प्रश्न: 1. प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: प्राचीन भारत के विकास को दिशा देने में भौगोलिक कारकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण थी। देश की विविध स्थलाकृतियाँ, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों के रूप में इन कारकों ने लोगों के आवास प्रतिरूप, कृषि परंपराओं तथा व्यापार मार्गों आदि को प्रभावित किया।

प्रमुख भौगोलिक कारक और उनके प्रभाव

- **नदी प्रणाली:** सिंधु और गंगा जैसी बारहमासी नदियों ने हड़प्पा जैसी शहरी सभ्यताओं के विकास में योगदान देने के साथ कृषि को बढ़ावा दिया, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया एवं भारत में व्यापार तथा संचार को प्रोत्साहित किया।
- **पर्वत शृंखलाएँ:** उत्तर में स्थित हिमालय ने न केवल प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया बल्कि इसने नदियों के जलस्रोत के रूप में भूमिका निभाने के साथ जलवायु को प्रभावित किया। इसके साथ ही खैबर और बोलन जैसे दर्रों ने लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुलभ बनाया।
- **तटीय मैदान:** अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तटीय मैदानों ने दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। इस समय लोथल और मुज़िरिस जैसे शहर व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए।
- **वनाच्छादित क्षेत्र एवं पठार:** सघन वनों में लकड़ी, औषधियों और पशुओं की प्रचुरता थी। छोटा नागपुर जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों के कारण धातु विज्ञान एवं खनन को बढ़ावा मिला। नालंदा तथा बोधगया जैसे क्षेत्र बौद्ध केंद्रों के रूप में विकसित हुए।
- **मरुभूमि और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र:** थार मरुभूमि ने होने वाले आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करने के साथ शुष्क पर्यावरणीय परिस्थितियों के बावजूद बीकानेर तथा जैसलमेर को व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित होने में सहायता की।

प्राचीन भारत के भौगोलिक कारकों ने न केवल समकालीन सभ्यता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था व समाज को नई दिशा दी बल्कि विश्व स्तर पर भारत के संबंधों को प्रभावित करने के साथ इसकी विरासत को समृद्ध करने में निर्णायक भूमिका निभाई।

प्रश्न:2. महात्मा गांधी और रबींद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था?

उत्तर: ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के साझा उद्देश्य के बावजूद भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दो प्रमुख व्यक्तियों के रूप में महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में काफी अंतर था।

महात्मा गांधी और रबींद्रनाथ टैगोर में अंतर

शिक्षा

महात्मा गांधी: महात्मा गांधी 'नई तालीम' अथवा 'बुनियादी शिक्षा' की अवधारणा में विश्वास करते थे।

- उन्होंने व्यावहारिक, बौद्धिक और नैतिक कौशल में वृद्धि करने वाली समग्र शिक्षा को प्रोत्साहित किया।
- उन्होंने अभिजात वर्ग और आमजन के बीच की असमानताओं को कम करने के लिये व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया।

टैगोर: टैगोर अधिक उदार और विश्वव्यापी शिक्षा के समर्थक थे।

- उन्होंने कला, रचनात्मकता और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये शांति निकेतन की स्थापना की।
- उनका दर्शन विश्व की विविध संस्कृतियों को महत्त्व देने और उन्हें समृद्ध करने वाले लोगों के सर्वांगीण समूह को विकसित करने पर आधारित था।

राष्ट्रवाद

गांधी: अहिंसा और 'सत्याग्रह' उनके राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएँ थीं।

- गांधी का राष्ट्रवाद आत्मनिर्भरता, आत्मसामर्थ्य और स्वराज के विचार में निहित था।
- ब्रिटिश शासन को कमज़ोर करने के तरीकों के रूप में उन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों के बहिष्कार के विचार को बढ़ावा दिया।

टैगोर: टैगोर का दृष्टिकोण अधिक विश्वव्यापी और कम आक्रामक था।

- उन्होंने सांस्कृतिक एकता और सद्भाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्वव्यापी राष्ट्रवाद की कल्पना की।
- वह भारत की विरासत को पूर्व और पश्चिम के बीच एक कड़ी के रूप में देखते थे तथा उनका मानना था कि राष्ट्रवाद का उद्देश्य भारत को वैश्विक समाज से अलग रखने के बजाय एकीकृत करना होना चाहिये।

हालाँकि महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद अहिंसा और व्यावहारिक शिक्षा पर केंद्रित था, किंतु उदारवादी दृष्टिकोण वाले टैगोर राष्ट्रवाद के संदर्भ में सार्वभौमिक दृष्टिकोण रखते थे।

प्रश्न 3. विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिये।

उत्तर: रेलवे, मानव इतिहास में सबसे महत्त्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है क्योंकि इसने विश्व भर में परिवहन, संचार तथा व्यापार को परिवर्तित करने में भूमिका निभाई है।

रेलवे के प्रमुख सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

- **आर्थिक विकास:** रेलवे के आगमन से कुशल परिवहन के साथ विनिर्माण तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने से अंततः औद्योगीकरण को बढ़ावा मिला। रेलवे की सहायता से 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगीकरण में वृद्धि होने से कपड़ा उद्योग के साथ कोयला खनन को बढ़ावा मिला जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक संवृद्धि को बल मिला।
- **शहरीकरण:** रेलवे के आगमन से रेलवे लाइनों के निकट नए कस्बों एवं शहरों का उदय हुआ। 19वीं सदी के अंत में अमेरिका में अंतर-महाद्वीपीय रेलमार्ग के विकास के कारण शिकागो तथा डेनवर जैसे शहर विकसित होने से लोगों को बेहतर आर्थिक अवसर प्राप्त हुए।
- **कृषि परिवर्तन:** रेलवे ने ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक कृषि वस्तुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया, जिससे कीमतें कम होने के साथ बाज़ारों तक किसानों की पहुँच और भी सुगम हुई। रेलवे के विकास के कारण 19वीं सदी के अंत में अर्जेंटीना में गोमांस और गेहूँ के परिवहन को बढ़ावा मिलने से कृषि विकास के साथ निर्यात को बढ़ावा मिला।
- **व्यापार और बाज़ार तक पहुँच:** रेलवे के परिणामस्वरूप घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाज़ारों के एकीकरण को बढ़ावा मिला। 20वीं सदी की शुरुआत में बाज़ार पहुँच का विस्तार होने से यूरोप, अमेरिका तथा जापान के साथ चीन के व्यापार को प्रोत्साहन मिला।
- **तकनीकी प्रगति:** रेलवे के आगमन से इंजीनियरिंग/अभियांत्रिकी को बढ़ावा मिलने के साथ ही कच्चे पदार्थ एवं रसद का परिवहन सुविधाजनक होने से अनेकों उद्योगों को लाभ हुआ। जर्मनी की इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों ने रेलवे नवाचार को उन्नत करने के साथ परिवहन तकनीक को नया आकार दिया।

रेलवे ने विभिन्न राष्ट्रों के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को प्रभावी ढंग से परिवर्तित किया है, जिसके परिणामस्वरूप विकास के साथ-साथ कनेक्टिविटी और औद्योगीकरण को बढ़ावा मिला है।

प्रश्न: 4. उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिये।

उत्तर: जलवायु परिवर्तन से कृषि उत्पादकता, जल संसाधन, जैव-विविधता और जन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इसके कुछ नकारात्मक परिणाम

- **कृषि उत्पादकता में कमी:** उच्च तापमान, वर्षा के प्रतिरूप में बदलाव के साथ निरंतर और तीव्र सूखा एवं बाढ़ के कारण कृषि उत्पादकता तथा गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अफ्रीका के उप-सहारा में मक्का की उत्पादकता में 5.8% की गिरावट आई है।
- **मौसम में परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन के कारण स्थानीय स्तर पर मौसम में होने वाले परिवर्तन की वजह से कृषि उत्पादकता को नुकसान पहुँच सकता है। भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षण प्रतिरूप अनियमित होने से धान जैसी फसलों की फसल अवधि में कमी देखी जा रही है।
- **खाद्य पदार्थों के मूल्य में अस्थिरता:** जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य आपूर्ति एवं मांग बाधित होने से मूल्य अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होने की वजह से खाद्य पदार्थों तक पहुँच में बाधा उत्पन्न हो सकती है। वर्ष 2007-2008 का खाद्य संकट आंशिक रूप से सूखे तथा बाढ़ जैसे जलवायु कारकों के कारण उत्पन्न हुआ था।
- **संवेदनशीलता में वृद्धि होना:** उष्णकटिबंधीय देशों की चक्रवातों और तूफानों के प्रति बढ़ती सुभेद्यता से फसलों एवं खाद्य प्रणालियों को नुकसान हो सकता है। वर्ष 2021 में अम्फान चक्रवात के कारण भारत में कृषि और मत्स्यपालन क्षेत्र को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था।

उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक अनुकूलन और शमन उपाय

- भूमि प्रबंधन में सुधार, ताकि उत्सर्जन को कम कर कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा दिया जा सके।
- पर्यावरण अनुकूल फसलों को विकसित करना।
- खाद्य उत्पादन प्रणालियों के साथ आहार में विविधता लाना।
- स्वस्थ एवं सतत खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना।
- समस्त आपूर्ति श्रृंखला में भोजन की बर्बादी को कम करना।

प्रश्न: 5. आज विश्व ताज़े जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुँच के संकट से क्यों जूझ रहा है?

उत्तर: जीवन, स्वास्थ्य एवं विकास हेतु ताज़ा जल उपलब्ध होना आवश्यक है। हालाँकि आज विश्व ताज़े जल के संकट का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2 अरब से अधिक लोग ताज़े जल के अभाव वाले देशों में रहते हैं।

ताज़े जल के संसाधनों में गिरावट के प्रमुख कारण

- **जलवायु परिवर्तन:** जलीय चक्र को बाधित करने में ग्लोबल वार्मिंग की प्रमुख भूमिका है, जिसके कारण वर्षा में बदलाव एवं ग्लेशियर पिघलने के साथ सूखा एवं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे ताज़े जल के संसाधनों को नुकसान होता है। वर्ष 2018 में केप टाउन का 'डे ज़ीरो' ऐसी ही स्थिति को दर्शाता है, जब लगातार वर्षों से पड़ रहे सूखे के कारण शहर में जल लगभग खत्म हो गया था।
- **अति-निष्कर्षण:** सिंचाई, खनन और अन्य माध्यमों से जल के अत्यधिक दोहन के कारण ताज़े जल में कमी आती है। सिंचाई प्रतिरूप में परिवर्तन के कारण वर्तमान में अरल सागर (जो कभी विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील थी) विलुप्ति की कगार पर है।
- **प्रदूषण:** अनुपचारित अपशिष्ट जल, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह तथा ठोस अपशिष्ट के कारण ताज़ा जल प्रदूषित होने से इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 80% से अधिक अपशिष्ट जल अनुपचारित छोड़ दिया जाता है।
- **प्राकृतिक जलाशयों की क्षति:** जल भंडारण तथा निस्पंदन को नियंत्रित करने वाले आर्द्रभूमि, जंगलों एवं जलभृतों सहित पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होने से ताज़े जल की कमी होती है। आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील ताज़े जल की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, लेकिन यह तेज़ी से संकुचित होती जा रही है।

सुधार हेतु कुछ उपाय

- वर्षा जल संचयन जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देना (तमिलनाडु की 'नम्मा ऊरू-नम्मा वीतू' पहल)।
- संरक्षित कृषि जैसी कुशल कृषि पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिये ताकि अधिक जल संचयन सुनिश्चित हो।

- स्मार्ट सिंचाई प्रणालियों के साथ उन नवीन समाधानों का उपयोग करना चाहिये जिनमें जल की बर्बादी कम हो। (जैसे- 'सर्वजल' परियोजना के तहत सौर ऊर्जा संचालित जल ATMs की स्थापना)।
- जल के उपयोग को कम करने के साथ जल फुटप्रिंट को कम करना।

प्रश्न 6. फियॉर्ड कैसे बनते हैं? वे दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं?

उत्तर: फियॉर्ड समुद्र के दीर्घ, संकीर्ण और गहरे प्रवेश मार्ग हैं जो ढालनुमा चट्टानों अथवा पहाड़ों से घिरे होते हैं। इनका निर्माण हिमनद के कटाव के कारण होता है तथा ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ हिमयुग के बाद समुद्र का स्तर बढ़ गया है। नॉर्वे, चिली, न्यूज़ीलैंड और अमेरिका (अलास्का) जैसे कुछ ऐसे देश हैं जहाँ फियॉर्ड पाए जाते हैं।

अपनी विशिष्ट और शानदार भौगोलिक विशेषताओं के कारण फियॉर्ड सबसे सुरम्य जगहों में से हैं। इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं:

- एक तरफ शांत, नीला जल और दूसरी ओर ऊबड़-खाबड़, बर्फ से आच्छादित पहाड़ों के मेल से बना एक विचित्र किंतु अत्याकर्षक दृश्य।
- जल की सतह पर पहाड़ों और आकाश का प्रतिबिंब।
- जल और चट्टानों पर प्रकाश तथा छाया की परस्पर क्रिया।
- फियॉर्ड की जैव-विविधता विभिन्न प्रकार के समुद्री और स्थलीय जीवन रूपों, जैसे- सील, पेंगुइन, डॉल्फिन, व्हेल, समुद्री पक्षी तथा पादपों के लिये अनुकूल वातावरण प्रदान करती है।
- फियॉर्ड संस्कृति सदियों के इतिहास का प्रतीक है, जिसमें खेत, गाँव, चर्च और स्मारक आदि इसके भव्य प्राकृतिक परिवेश में सहजता से समाहित हैं।
- विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों के लिये फियॉर्ड पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है जहाँ पर्यटक हाईकिंग, कयाकिंग, मछली पकड़ना, स्कीइंग और परिभ्रमण का लुत्फ उठाते हैं।

इसलिये फियॉर्ड इस बात का उल्लेखनीय उदाहरण है कि किस प्रकार प्रकृति और संस्कृति विश्व के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण कर सकती हैं।

प्रश्न 7. दक्षिण-पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में 'पुरवैया' (पूर्वी) क्यों कहलाता है? इस दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है?

उत्तर: जून से सितंबर तक सक्रिय रहने वाला दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत में पर्याप्त वर्षा करता है। जब ये मानसूनी पवन विभिन्न पर्वतों से टकराती हैं, तो वे अपना पथ परिवर्तित कर लेती हैं, जिससे भोजपुर क्षेत्र में पूर्वी 'पुरवैया' पवन का निर्माण होता है। यह विशिष्ट पवन प्रतिरूप भारत और नेपाल के कुछ हिस्सों तक फैले भोजपुर की सांस्कृतिक पहचान को महत्त्वपूर्ण आकार देता है।

भोजपुर की सांस्कृतिक प्रकृति पर पुरवैया का प्रभाव

- **कृषि और त्योहार:** पुरवैया से रोपण का मौसम शुरू होता है और इसे तीज जैसे त्योहारों के साथ मनाया जाता है।
- **अनुष्ठान और मान्यताएँ:** यहाँ लोग अच्छी फसल के लिये इंद्र और पर्जन्य (वर्षा के देवता) जैसे देवताओं की पूजा करते हैं। मधुश्रावणी में विषहरा एवं गोसौन की पूजा शामिल है।
- **पारंपरिक व्यंजन:** पुरवैया चावल, सब्ज़ियों और फलों के विकास को सक्षम बनाती है, जिससे क्षेत्र के व्यंजन प्रभावित होते हैं। साथ ही इस मौसम में पुआ जैसे विशेष व्यंजन भी बनाए जाते हैं।
- **लोककथाएँ:** ये 'पुरवैया' कहावतों, गीतों और कविताओं में प्रकट होती है जो वायु के महत्त्व तथा भावनाओं को व्यक्त करती हैं। 'पुरवैया चले तो खेत खिले' जैसी कहावतें और 'बिरहा' जैसे लोकगीत इसके उदाहरण हैं।

इसलिये 'पुरवैया' पवन भोजपुर की संस्कृति, इसकी परंपराओं, रीति-रिवाजों और दैनिक जीवन को आकार देने के लिये आवश्यक है।

प्रश्न 8. क्या आप सोचते हैं कि, आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है?

उत्तर: विवाह, कानूनी और सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त एक समझौता है जिसका उद्देश्य परिवार जैसी संस्था एवं सामाजिक मानदंडों का पालन करना है, भारतीय संस्कृति तथा धर्म में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हालाँकि आधुनिक भारत में एक संस्कार के रूप में इसका महत्त्व बढ़ रहा है।

वैवाहिक मूल्यों में कमी लाने वाले तर्क

- **बदलते मानदंड:** वर्तमान में समाज पारंपरिक विवाह पर कम ज़ोर देते हुए विविध संबंधों को स्वीकार करता है। हाल के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्ष 2019 में 'कभी विवाह न करने वाली' युवा आबादी में 26.1% की वृद्धि हुई है।
- **व्यक्तिगत स्वायत्तता:** व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधों में स्वायत्त विकल्पों की ओर ले जाती है, लिव-इन संबंधों के माध्यम से व्यवस्थित विवाह को चुनौती देती है और एकल जीवनशैली को बढ़ावा देती है।
- **तलाक की घटनाओं में वृद्धि:** तलाक की बढ़ती घटनाएँ विवाह की पवित्रता और स्थायित्व में गिरावट का संकेत देती हैं।
- **आर्थिक स्वतंत्रता:** महिला सशक्तीकरण का आह्वान पारंपरिक विवाह से परे विकल्पों का विस्तार करता है, पितृसत्ता को चुनौती देता है और इससे वैवाहिक पवित्रता संबंधी मूल्यों में कमी आती है।

वैवाहिक मूल्यों का समर्थन करने वाले तर्क

- **सामाजिक स्थिरता:** विवाह पारिवारिक जीवन के लिये एक संरचित ढाँचा प्रदान कर सामाजिक स्थिरता के लिये आधार बनाता है।
- **कानूनी सुरक्षा:** यह विरासत, संपत्ति तथा चिकित्सा संबंधी निर्णयों में महत्त्वपूर्ण कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- **धार्मिक महत्त्व:** कई लोग विवाह को पवित्र, अपने धर्म से जुड़ी, नैतिक मूल्यों को स्थापित करने वाली व्यवस्था मानते हैं।
- **मनोवैज्ञानिक सुरक्षा:** विवाह अलगाव को कम करने, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने हेतु महत्त्वपूर्ण है।

संक्षेप में विवाह आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप है, यह समकालीन भारत में उभरती सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये महत्त्वपूर्ण बना हुआ है।

प्रश्न 9. भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत में हुई कुल आत्महत्याओं में 27% महिलाएँ थीं, जिनमें गृहिणियाँ, छात्राएँ और दिहाड़ी मजदूर सबसे अधिक प्रभावित थे। यह एक गंभीर सामाजिक चिंता को रेखांकित करता है।

भारत में आत्महत्या की समस्या के कारक

- **आर्थिक आयाम:** पर्याप्त आर्थिक अवसरों की कमी और आर्थिक अतिनिर्भरता असहायता एवं निराशा का कारण बनती है।
- **शीघ्र विवाह और विवाह के बाद के मुद्दे:** कम उम्र में जबरन विवाह, दहेज की मांग, वैवाहिक एवं पारिवारिक झगड़े, वैवाहिक बलात्कार, भावनात्मक शोषण एवं मानसिक प्रताड़ना, निराशा और अलगाव को जन्म देते हैं।
- **यौन उत्पीड़न और हिंसा:** रिपोर्ट के अनुसार, यौन उत्पीड़न और हिंसा के कारण आघात तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ होती हैं।
- **मीडिया प्रभाव और अवास्तविक उम्मीदें:** सुंदरता और सफलता की आदर्श छवियाँ, ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबरबुलिंग, कम आत्मसम्मान तथा शरीर के विषय में असंतोष (Body Dissatisfaction) उत्पन्न करती हैं।

कुछ संभावित समाधान

- **भावनात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम:** स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, लचीलापन और तनाव प्रबंधन कौशल शामिल करना।
- **सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ:** मोबाइल क्लीनिक, टेलीमेडिसिन और समुदाय आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण तथा वंचित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना।
- **AI-पावर्ड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म:** ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करना जो गृहणियों के लिये कौशल विकास कार्यक्रमों को निजीकृत करें।
- **सोशल मीडिया साक्षरता:** सोशल मीडिया साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा दें जो युवा महिलाओं को आलोचनात्मक चिंतन कौशल सिखाते हैं।

प्रश्न 10. बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। बच्चों के सामाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिये।

उत्तर: तीव्र गति से होने वाले डिजिटलीकरण के कारण बच्चों को दुलारने की तुलना में मोबाइल फोन के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। देखभाल के प्रतिरूप में इस बदलाव से बच्चों के सामाजीकरण में बदलाव आ रहा है, जिससे विभिन्न जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं।

नकारात्मक प्रभाव

- **भावनात्मक जुड़ाव में कमी:** शारीरिक स्पर्श तथा आँखों का संपर्क कम होने से भावनात्मक जुड़ाव में बाधा आ सकती है, जिससे संभावित रूप से भावनात्मक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है।
- **सामाजिक कौशल में बाधा:** स्क्रीन पर ज़्यादा समय व्यतीत करने से पारस्परिक सामाजिक कौशल के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे आगे चलकर प्रभावी ढंग से बातचीत करने की बच्चों की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
- **शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:** लंबे समय तक स्क्रीन पर रहने तथा शारीरिक गतिविधियों में कमी आने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि होती है।
- **आवेग में वृद्धि:** अत्यधिक उत्तेजित करने वाले मोबाइल ऐप्स आवेग को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे एकाग्रता और सार्थक बातचीत प्रभावित होती है।

सकारात्मक प्रभाव

- **पारिवारिक संबंधों को सुगम बनाना:** मोबाइल फोन वर्चुअल विज़िट्स के साथ दूरगामी पारिवारिक संबंधों को मज़बूत करने तथा सामाजिक नेटवर्क का विस्तार करने में सक्षम बनाते हैं।
- **लैंग्वेज एक्सपोज़र:** शिक्षाप्रद ऐप्स बच्चों को विविध भाषाओं से अवगत कराते हैं, जिससे भाषायी एवं संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है।
- **तकनीकी-जुड़ाव:** इससे डिजिटल साक्षरता कौशल को बढ़ावा मिलता है, जो तकनीक-संचालित विश्व में महत्त्वपूर्ण है।
- **अभिगम्यता उपकरण:** मोबाइल उपकरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये संचार एवं अधिगम में सहायता करते हैं।

बच्चे को दुलारने के साथ मोबाइल उपकरण के संतुलित प्रयोग से न केवल बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है बल्कि बच्चे सामाजिक कौशल के साथ तकनीकी अधिगम में पारंगत होते हैं।

प्रश्न 11. वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएँ भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं?

उत्तर: वैदिक काल (लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक) का भारतीय इतिहास में प्रमुख स्थान है। इसने भारतीय समाज और धर्म को व्यापक रूप से प्रभावित किया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएँ

- **अनुष्ठान बलि प्रथा (यज्ञ):** देवताओं को प्रसन्न करने के लिये मंत्रों के साथ अनुष्ठान करना।
- **वर्ण व्यवस्था:** कौशल और योग्यता के आधार पर समाज का वर्गीकरण, आगे चलकर यह जाति व्यवस्था का आधार बना।
- **धर्म की अवधारणा:** जीवन के विभिन्न चरणों और उत्तरदायित्व हेतु नैतिक एवं सैद्धांतिक अवधारणा की विद्यमानता।
- **दार्शनिक ग्रंथ (उपनिषद्):** स्वयं (आत्मा), परम सत्य (ब्रह्म) और आत्मज्ञान (मोक्ष) के मार्ग जैसी विभिन्न अवधारणाओं पर ग्रंथ।
- **संसार और कर्म की अवधारणाएँ:** जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से संबंधित अवधारणाओं के साथ कारण तथा प्रभाव एवं आध्यात्मिक उन्नति संबंधी सिद्धांतों की विद्यमानता।

आधुनिक भारत में वैदिक परंपरा के तत्त्व

- **अनुष्ठान और त्योहार:** दिवाली जैसे वैदिक अनुष्ठान, संस्कृति और आध्यात्मिकता का हिस्सा हैं।
- **दर्शन:** वैदिक दर्शन ने वेदांत और योग जैसी विचारधाराओं को प्रभावित किया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद् में शामिल है।
- **प्राकृतिक तत्त्व:** प्राकृतिक तत्त्वों के साथ गंगा जैसी पवित्र नदियों के प्रति सम्मान, संस्कृति में अंतर्निहित है।
- **उत्सव और नृत्य रूप:** भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों में वैदिक ग्रंथों से संबंधित विवरण को दर्शाया जाता है।
- **आयुर्वेद और चिकित्सा:** भारत में प्रचलित आयुर्वेद, वैदिक ज्ञान पर आधारित एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है।

वैदिक परंपरा से संबंधित प्रभावों को कम करने वाले कारक

- **शहरीकरण और आधुनिकीकरण:** इससे कृषि के साथ ग्रामीण समाज की ऐसी पारंपरिक प्रथाओं में परिवर्तन हुआ है, जो **वैदिक समाज का अभिन्न अंग** हुआ करती थीं।
  - इंटरनेट और सोशल मीडिया द्वारा लोग विभिन्न प्रकार के विचारों से अवगत हुए हैं।
  - **वैश्वीकरण:** वैश्विक स्तर पर संस्कृतियों और विचारों के समन्वय से महानगरीय जीवनशैली के साथ वैश्विक दृष्टिकोण को प्राथमिकता मिली है।
- प्राचीन परंपराओं और समकालीन प्रभावों के बीच परस्पर क्रिया, अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए भारत की अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है। यह सांस्कृतिक समृद्धि के साथ विकसित होने तथा परिवर्तन को अपनाने की भारत की क्षमता का परिचायक है।

प्रश्न 12. सल्तनत काल के दौरान किये गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे? उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया था?

उत्तर: दिल्ली सल्तनत (1206-1526) का शासनकाल लगभग 320 वर्षों तक रहा। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर प्रभुत्व होने के साथ यह अपने चरम पर थी। इस दौरान हुए कई महत्त्वपूर्ण तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को नया आकार दिया।

सल्तनत काल के दौरान किये गए प्रमुख तकनीकी बदलाव

- **कृषि और सिंचाई:** हौज-ए-शम्सी जैसी परिष्कृत सिंचाई प्रणालियों तथा पर्शियन व्हील जैसे जल को लिफ्ट करने वाले उपकरण से बेहतर जल प्रबंधन के साथ फसल उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता मिली थी।
- **वास्तुकला और संरचनात्मक निर्माण:** इस शासनकाल के दौरान भारतीय तथा इस्लामी वास्तुकला शैलियों का सम्मिश्रण होने से इंडो-इस्लामिक वास्तुकला का विकास हुआ। कुतुबमीनार इस मिश्रित वास्तुकला का विशिष्ट उदाहरण है।
- **व्यापार और वाणिज्य:** इस दौरान चाँदी तथा तांबे के मानकीकृत सिक्के ढाले गए जिन्हें क्रमशः टंका और जीतल कहा जाता था। इन सिक्कों ने व्यापार को सुगम बनाया।
- **सैन्य प्रौद्योगिकी:** तुगलकाबाद किला जैसे किलेबंद शहरों तथा किलों ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा दिया। ये बदलाव सैन्य क्षमता में वास्तुशिल्प नवाचारों का प्रदर्शित करते हैं।
- **खुफिया नेटवर्क:** सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एक गुप्त खुफिया नेटवर्क स्थापित किया था जिसे "बरीद-ए-मुमलिक" कहा जाता था।

इन बदलावों ने भारतीय समाज को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित किया

- **कृषि विस्तार:** बेहतर सिंचाई प्रणालियों के परिणामस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार होने से ग्रामीण समुदायों की आर्थिक उन्नति हुई।
- **सांस्कृतिक सम्मिश्रण:** भारतीय और इस्लामी स्थापत्य शैली तथा कलात्मक रूपों के मिश्रण से सांस्कृतिक सम्मिश्रण को बढ़ावा मिला था।
- **मुद्राशास्त्रीय प्रणाली:** मानकीकृत सिक्का प्रणाली से एकीकृत मुद्रा प्रणाली स्थापित करने में सहायता मिली थी।
- **सैन्य बुनियादी ढाँचे की विरासत:** इस दौरान सैन्य क्षेत्र में हुए संरचनात्मक नवाचारों की सहायता से रणनीतिक योजना बनाने के साथ सैन्य निपुणता हासिल करने में सहायता मिली थी।
- **बौद्धिक विकास:** विभिन्न ग्रंथों के संग्रह से ज्ञान का प्रसार होने से समाज के बौद्धिक विकास में उन्नति हुई।
- **खुफिया नेटवर्क:** गुप्त खुफिया नेटवर्क की स्थापना से आगे चलकर जासूसी तथा सूचना एकत्र करने की प्रणाली को आधार मिला था।

सल्तनत काल के तकनीकी बदलावों ने भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था तथा रक्षा क्षेत्र को नया आयाम दिया था। इससे नवाचार एवं अनुकूलन की एक स्थायी विरासत स्थापित होने से समृद्धि एवं अनुकूलन को बढ़ावा देने में सहायता मिली थी।

प्रश्न 13. भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या थी?

उत्तर: औपनिवेशिक शक्तियों (विशेषकर **ब्रिटिशों** के आगमन) के कारण आदिवासी समुदायों के **सामाजिक, आर्थिक** एवं **सांस्कृतिक ताने-बाने** में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया। इसे **आदिवासी लोगों के विस्थापन, इनकी भूमि पर कब्जे, शोषण एवं पारंपरिक जीवनशैली** के **क्षरण** के रूप में चिह्नित किया जाता है।

आदिवासियों पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव

- **विस्थापन और भूमि पर कब्जा:** औपनिवेशिक शासन के सबसे प्रमुख प्रभावों में से एक **आदिवासी समुदायों** का **विस्थापन** और इनकी **भूमि पर कब्जा** होना था।
- **शोषणकारी श्रम प्रथाएँ:** आदिवासी समुदाय प्रायः **शोषणकारी श्रम प्रथाओं** का शिकार हुए। ब्रिटिश प्रशासन ने कई जनजातियों को खनन, वृक्षारोपण कार्य एवं सड़क निर्माण जैसी श्रम-केंद्रित गतिविधियों को करने के लिये मजबूर किया था।
- **सांस्कृतिक क्षरण:** औपनिवेशिक कानूनों, शिक्षा प्रणालियों एवं धार्मिक प्रथाओं को लागू करने से आदिवासी संस्कृतियों और परंपराओं का क्षरण हुआ।
- **वन नीतियाँ: अंग्रेजों** द्वारा लागू **वन नीतियों के कारण आदिवासी समुदायों की वनों तक पहुँच** प्रतिबंधित होने से उनकी आजीविका प्रभावित हुई।

औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ आदिवासी समुदायों की प्रतिक्रियाएँ

- **सशस्त्र प्रतिरोध:** आदिवासी समुदायों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध किया। उन्होंने अपनी भूमि, संस्कृति एवं जीवनशैली की रक्षा के लिये विद्रोह की योजना बनाई। उदाहरण: संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोया विद्रोह।
- **सांस्कृतिक संरक्षण:** कुछ आदिवासी समुदायों ने औपनिवेशिक प्रभाव के बावजूद अपनी सांस्कृतिक विरासत एवं परंपराओं को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
- **गोरिल्ला युद्ध:** कुछ आदिवासी समुदायों ने औपनिवेशिक शक्तियों का विरोध करने के लिये गोरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई। उन्होंने स्थानीय इलाके से संबंधित जानकारी का लाभ उठाते हुए गोरिल्ला युद्ध रणनीतियों का उपयोग किया।

भारत में औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी समुदायों ने विभिन्न प्रतिक्रियाएँ (जिनमें सशस्त्र प्रतिरोध एवं अहिंसक आंदोलन दोनों शामिल थे) की थीं, जिनका उद्देश्य अपने अधिकारों, संस्कृति तथा पारंपरिक जीवनशैली की रक्षा करना था। इन प्रयासों से आधुनिक भारत में आदिवासी अधिकारों और विकास के संबंध में जारी चर्चाओं एवं नीतियों में योगदान मिला।

प्रश्न 14. भारत की लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिये और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिये।

उत्तर: अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के साथ भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा प्रचुर संसाधन क्षमताओं जैसे लाभों के साथ-साथ प्राकृतिक खतरे के प्रति तैयारियों के संबंध में प्रमुख चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है।

भारत की तटरेखा से संबंधित संसाधन क्षमताएँ

- **मत्स्य पालन:** भारत की तटरेखा मत्स्य पालन के लिये प्रमुख लाभ प्रदान करती है। एक संपन्न मत्स्यन उद्योग की सुविधा प्रदान करने के साथ देश की खाद्य सुरक्षा में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान है।
- **बंदरगाह और नौवहन:** समुद्र तट पर मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में कई प्रमुख बंदरगाह हैं, जो व्यापार एवं वाणिज्य की सुविधा प्रदान करते हैं।
- **पर्यटन:** गोवा, केरल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित तटीय क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं सांस्कृतिक आकर्षण के कारण लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं।
- **खनिज संसाधन:** तटीय क्षेत्र प्राय: खनिज संसाधनों से समृद्ध होते हैं, जिनमें रेत, इल्मेनाइट, गार्नेट और मोनाज़ाइट जैसे खनिज शामिल हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** भारत की तटरेखा में विशेष रूप से अपतटीय पवन और ज्वारीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की अपार क्षमता है।

प्राकृतिक खतरे से निपटने की तैयारी की स्थिति

भारत की तटरेखा व्यापार के लिये महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है लेकिन यह चक्रवात, सुनामी तथा समुद्र के जल स्तर में वृद्धि सहित प्राकृतिक खतरों के प्रति भी अत्यधिक संवेदनशील है, जैसे-

- भारत सक्रिय रूप से समुद्र के जल स्तर में होने वाले परिवर्तन की निगरानी, मैंग्रोव का संरक्षण करने एवं तटीय अवसंरचना में अनुकूलता को बढ़ाने के साथ नगरीय नियोजन में संलग्न है।
- इसमें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया और तैयारियों के समन्वय के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority-NDMA) तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (State Disaster Management Authorities-SDMA) की स्थापना करना शामिल है।
- भारत में चक्रवातों से संबंधित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सुधार किया गया है, जिससे जन-धन की सुरक्षा की जा सकती है।
- भारत ने एक इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर (ITEWC) की स्थापना की है, जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (Indian National Centre for Ocean Information Services-INCOIS) द्वारा संचालित है।
- INCOIS और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (National Institute of Ocean Technology-NIOT) समुद्र के जल स्तर में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी हेतु प्रमुख एजेंसियाँ हैं।

भारत के संवेदनशील तटीय क्षेत्रों के सतत् विकास के लिये आपदा तैयारी, अवसंरचना विकास तथा जलवायु अनुकूलन में निरंतर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

प्रश्न 15. भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिये उत्तरदायी कारकों को पहचानिये और उनकी विवेचना कीजिये। भारत के वर्षा-वन क्षेत्रों में वन्यजीव अभयारण्यों के महत्त्व का आकलन कीजिये।

उत्तर: विविध भौगोलिक, जलवायविय और पारिस्थितिकी कारकों के परिणामस्वरूप भारत की प्राकृतिक वनस्पति उल्लेखनीय विविधता प्रदर्शित करती है।

भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के महत्त्वपूर्ण कारक

- **भौगोलिक विविधता:** भारत की व्यापक और विविध भौगोलिक विशेषताओं (उत्तरी हिमालय से लेकर दक्षिणी तट तक) के परिणामस्वरूप यहाँ जलवायु परिस्थितियों की भिन्नता के साथ विविध पारिस्थितिकी तंत्र एवं वनस्पतियों का विकास हुआ है।
- **जलवायु विविधता:** भारत की विविध जलवायु (दक्षिण में उष्णकटिबंधीय से लेकर उत्तर में शीतोष्ण तक) का प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों की विविधता पर प्रभाव पड़ता है।
- **मानसूनी हवाएँ:** मानसूनी हवाओं के कारण होने वाली पर्याप्त वर्षा से कुछ क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विकास हुआ है तथा कुछ शुष्क क्षेत्रों में मरुद्भिद वनस्पति (Xerophytic Vegetation) का विकास हुआ है।
- **उच्चावच:** भारतीय भूमि में उच्चावच की विविधता के कारण विविध प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ है, जैसे- अधिक ऊँचाई पर अल्पाइन वनस्पतियाँ विकसित होने के साथ निम्न स्थानों पर समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं।
- **मृदा के प्रकार:** भारत में विविध प्रकार की मृदाओं (जिनमें जलोढ़, लाल, लेटराइट और मरुस्थलीय मृदा शामिल है) की वजह से यह विभिन्न वनस्पतियों एवं पौधों की प्रजातियों एवं इसके वितरण को प्रभावित करती है।

भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्यजीव अभयारण्यों का महत्त्व

- **जैवविविधता संरक्षण:** इससे विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिये संरक्षित आवास मिलते हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियाँ लुप्तप्राय या स्थानिक हो सकती हैं।
- **अनुसंधान और शिक्षा:** ये अभयारण्य शोधकर्ताओं के लिये जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने और उन्हें समझने के लिये जीवंत प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करते हैं।
- **पर्यटन और आर्थिक लाभ:** अच्छी तरह से प्रबंधित वन्यजीव अभयारण्य स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ प्रदान करते हुए पारिस्थितिक पर्यटन को आकर्षित कर सकते हैं।
- **कार्बन पृथक्करण:** वर्षावन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को पृथक करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **पारिस्थितिकी संतुलन:** वर्षावन पारिस्थितिकी संतुलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे परागण और जल शुद्धिकरण जैसी आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ मिलने के साथ मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है।

भारत की विविध भौगोलिक दशाएँ, जलवायु, उच्चावच, मृदा और जैवविविधता से विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति का विकास हुआ है। पर्यटन, कार्बन पृथक्करण और पारिस्थितिकी सेवाएँ इसके कुछ महत्त्वपूर्ण लाभों में शामिल हैं।

प्रश्न: 16. भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदमताल करने में विफल क्यों हुआ?

उत्तर: भारत में आर्थिक विकास एवं मानव विकास के बीच असमानता का पता कई जटिल और परस्पर संबंधी कारकों से लगाया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं:

- **आय असमानता:** भारत में लगातार आय असमानता धनाढ्य लोगों को असंगत रूप से लाभ पहुँचाती है, जिससे आबादी के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से के लिये स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं तक समान पहुँच में बाधा उत्पन्न होती है।
- **शिक्षा संबंधी असमानताएँ:** आर्थिक विकास के बावजूद भारत को उच्च ड्रॉपआउट दर, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और खराब गुणवत्ता, मानव पूंजी विकास तथा कार्यबल भागीदारी को सीमित करने जैसी शिक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल असमानताएँ:** असमान स्वास्थ्य देखभाल पहुँच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बीमारी के बोझ और बाल मृत्यु दर में योगदान करती है, मानव विकास संकेतकों को प्रभावित करती है, जो स्वच्छ पानी तथा स्वच्छता तक सीमित पहुँच से जुड़ी है।
- **लैंगिक असमानता:** भारत में लैंगिक असमानता महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं आर्थिक अवसरों तक पहुँच को प्रतिबंधित करती है, जबकि लिंग आधारित हिंसा व भेदभाव उनके विकास में और बाधा डालते हैं।
- **सामाजिक बहिष्कार:** भारत की जाति व्यवस्था और सामाजिक पदानुक्रम ऐतिहासिक रूप से विभिन्न समुदायों को हाशिये पर रखते हैं, जो उनके अवसरों को सीमित तथा मानव विकास परिणामों को प्रभावित करते हैं।
- **अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा संजाल:** भारत के कल्याण कार्यक्रम अक्सर कमज़ोर आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने, गरीबी और कुपोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहते हैं।
- **पर्यावरणीय क्षरण:** आर्थिक विकास के लिये सतत् विकास और पर्यावरणीय क्षरण के दीर्घकालिक परिणाम होते हैं, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की क्षीणता से स्वास्थ्य को खतरा होता है।
- **शासन की चुनौतियाँ:** कमज़ोर शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार और अक्षम नौकरशाही नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है।

हालाँकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हासिल की है तथा मानव विकास भी आर्थिक विकास की ओर गतिशील है, उदाहरण के लिये वर्ष 1990 में भारत का HDI स्कोर 0.429 था, जो वर्ष 2021 तक बढ़कर 0.633 हो गया।

प्रश्न: 17. 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा। कारण दीजिये।

उत्तर: 1960 के दशक के बाद भारत को दीर्घकालिक भोजन की कमी के कारण अन्य देशों से आयात और खाद्य सहायता पर निर्भर रहने के लिये मजबूर होना पड़ा, इसके उपरांत भारत ने खाद्यान्न का उत्पादन एवं निर्यात करने की अपनी क्षमता में काफी प्रगति की है। WTO की व्यापार सांख्यिकी समीक्षा (2022) के अनुसार, भारत वैश्विक कृषि निर्यातकों की शीर्ष 10 रैंकिंग में शामिल था।

प्रमुख कारक

- **हरित क्रांति:** 1960 के दशक के मध्य में शुरू हुई हरित क्रांति से कृषि उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादन और बेहतर सिंचाई बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा मिला।
- **सरकारी नीतियाँ:** न्यूनतम समर्थन मूल्य, e-NAM, सब्सिडीयुक्त इनपुट, बेहतर खरीद प्रणाली जैसी सहायक सरकारी नीतियों ने किसानों को खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया।
- **अनुसंधान और विकास:** कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश से बेहतर प्रौद्योगिकियों एवं तरीकों को अपनाने में सहायता मिली। उदाहरण के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों जैसे- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि में निजी क्षेत्र की भागीदारी से बेहतर बुनियादी ढाँचे, बाज़ार पहुँच और बाज़ार कीमतें जैसे ई-चौपाल, टाटा किसान केंद्र आदि को बढ़ावा मिलता है।
- **फसलों का विविधीकरण:** सरकार का ध्यान भारत की खाद्य आपूर्ति में विविधता लाने पर है, जैसे- प्रौद्योगिकी मिशन, फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP) आदि शुरू करना।
- **व्यापारिक उदारीकरण:** 1990 के दशक में तथा उसके उपरांत व्यापार के उदारीकरण ने भी बेहतर निर्यात में योगदान दिया।
- **वैश्विक मांग:** लगातार बढ़ते वैश्विक बाज़ारों में अधिक वैश्विक मांग ने भी भारतीय कृषि की संभावनाओं को बढ़ावा दिया है।

हालाँकि भारत ने शुद्ध खाद्य निर्यातक बनने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं जिनमें जलवायु परिवर्तन, सतत् कृषि, जल प्रबंधन शामिल हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि निर्यात का लाभ छोटे एवं सीमांत किसानों तक पहुँचे। इन चुनौतियों से निपटने से वैश्विक खाद्य बाज़ार में भारत की स्थिति और मज़बूत होने के साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

प्रश्न: 18. क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण और/या हाशिये पर ले जाता है?

उत्तर: भारत में शहरीकरण एक अपरिहार्य समस्या बन गई है। एक विकसित शहर के निर्माण में अनियोजित विकास शामिल है, जो केवल अमीर तथा गरीब के बीच शहरों में प्रचलित द्वंद्व को बढ़ावा देता है। हालाँकि पृथक्करण तथा हाशियाकरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है।

शहरीकरण से गरीबों का पृथक्करण

- **आय असमानताएँ:** शहरीकरण के परिणामस्वरूप प्राय: आय असमानता की स्थिति उत्पन्न होती है, गरीबों के लिये वहनीय आवास विकल्प सीमित होते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर इनके पृथक्करण को बढ़ावा मिलता है।
- **अपर्याप्त आवास नीतियाँ:** अनियोजित शहरीकरण तथा अपर्याप्त आवास नीतियाँ, मलिन बस्तियों की सघनता का कारण हो सकती हैं।
- **रोज़गार के अवसर:** विशिष्ट शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों का संकेंद्रण गरीबों को नौकरी की निकटता के कारण निम्न समुदायों में स्थानांतरित होने के लिये मजबूर कर सकता है।
- **रोज़गार के अवसर:** शहर के विशिष्ट क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों का संकेंद्रण होने से गरीब समुदाय नौकरी की तलाश में कम सुविधा वाले नजदीकी क्षेत्रों में बसने के लिये मजबूर हो सकते हैं।
- **सामाजिक पूर्वाग्रह:** इसके कारण गरीब लोग अक्सर शहरी केंद्रों के परिधीय क्षेत्रों में विस्थापित हो सकते हैं।

शहरीकरण के कारण पृथक्करण/हाशियाकरण को बढ़ावा मिलना

- **सामाजिक सेवाओं का अभाव:** शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा एवं स्वच्छता

जैसी आवश्यक सेवाओं का अपर्याप्त प्रावधान गरीबों को हाशिये पर धकेल देता है।

- **भूमि विस्थापन:** शहरी विकास परियोजनाएँ प्रायः शहरी गरीब समुदायों को उचित मुआवजे या वैकल्पिक आवास विकल्पों के बिना विस्थापित कर देती हैं।
- **स्वास्थ्य संबंधी असमानताएँ:** मलिन बस्तियों में भीड़भाड़ और अस्वच्छता स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुँच समस्या को बढ़ाती है।
- **सामाजिक भेदभाव:** शहरी गरीबों को उनकी आर्थिक स्थिति एवं पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव तथा सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है।

गरीबों के पृथक्करण/हाशियाकरण के समाधान हेतु सरकारी पहलें

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन
- दीनदयाल अंत्योदय योजना
- हालाँकि विभिन्न स्तरों पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इनकी सफलता बेहतर **नीति कार्यान्वयन, सामुदायिक भागीदारी** और शहरी गरीबों के **अधिकारों** के लिये निरंतर **समर्थन** पर निर्भर करेगी।

प्रश्न: 19. भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों हैं?

उत्तर: भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक प्रतिबंध के साथ-साथ सकारात्मक कार्रवाई का आधार है। यह सामाजिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक कारणों से गतिशील तथा स्थिर दोनों तत्त्वों को प्रदर्शित करती है।

भारतीय जाति व्यवस्था की विशेषताएँ

- **जाति जन्मजात है:** भारत में जाति व्यवस्था जटिल और गतिहीन है। यह जाति ही है जो जीवन में किसी की स्थिति निर्धारित करती है।
- **पदानुक्रमित सामाजिक संरचना:** समाज की जाति संरचना श्रेष्ठता और हीनता के संबंधों द्वारा एक साथ रखी गई पदानुक्रम या अधीनता की प्रणाली है।

जातीय अस्मिता का गतिशील पहलू

- **अंतर-जातीय विवाह:** हाल के दशकों में अंतर-जातीय विवाह विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अधिक आम हो गए हैं।
- **शहरीकरण और प्रवासन:** शहरीकरण और शहरों की ओर प्रवासन ने जातिगत अस्मिताओं को पीछे छोड़कर विषम एवं महानगरीय वातावरण का निर्माण किया है।
- **शिक्षा और रोज़गार:** शिक्षा का अधिकार (RTE) तथा सकारात्मक कार्रवाई जैसे कानूनों ने बेहतर शैक्षिक स्तर सुनिश्चित किया है, जैसा कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद जैसे व्यक्तियों द्वारा उदाहरण दिया गया है, जो अनुसूचित जाति पृष्ठभूमि से आने के बावजूद देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचे।

जातीय अस्मिता का स्थिर पहलू

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** भारत में जातीय अस्मिता की ऐतिहासिक जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और जनता की **सामूहिक चेतना** में बनी हुई हैं।
- **पारंपरिक व्यवसाय:** कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी जाति से जुड़े **वंशानुगत व्यवसाय** का पालन करना जारी रखे हुए हैं।
- **जाति संघ:** जाति पर आधारित संगठन अभी भी एक दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं।

इस प्रकार भारत में जाति गतिशील और स्थिर तत्त्वों की एक जटिल परस्पर क्रिया है। जाति बाधाओं को दूर करने के लिये विधायी एवं संवैधानिक उपायों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिये।

प्रश्न 20. संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उत्तर-उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिये।

उत्तर: भारत में उत्तर-उदारवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा, 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की विशेषता ने वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि में, विशेष रूप से जातीय पहचान तथा सांप्रदायिकता पर इसके प्रभाव के संबंध में एक जटिल एवं बहुआयामी घटना को जन्म दिया है।

जातीय पहचान पर प्रभाव

सकारात्मक पक्ष

- **आर्थिक सशक्तीकरण:** आर्थिक अवसरों तक पहुँच में वृद्धि ने विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने की अनुमति दी है।
- **सांस्कृतिक विनियमन:** उदारवाद के बाद की अर्थव्यवस्था ने व्यापार, पर्यटन और कनेक्टिविटी में वृद्धि के कारण अधिक सांस्कृतिक विनियमन की सुविधा प्रदान की है, जिससे अंतर-सांस्कृतिक समझ बढ़ी है।
- **उद्यमिता और क्षेत्रीय पहचान:** आर्थिक उदारीकरण ने उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है, जिससे विशिष्ट जातीय पहचान वाले क्षेत्रों को अपने अद्वितीय उत्पादों एवं परंपराओं को बढ़ावा देने की अनुमति मिली है।

नकारात्मक पक्ष

- **आर्थिक असमानताएँ:** जातीय समूहों में आर्थिक विकास एक समान नहीं रहा है, जिससे आय में असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई है और कुछ समुदायों को हाशिये पर धकेल दिया गया है।
- **सांस्कृतिक समरूपीकरण:** उदारीकरण के माध्यम से वैश्विक उपभोक्ता संस्कृति का प्रसार पारंपरिक जातीय रीति-रिवाजों और पहचान को नष्ट कर सकता है।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** आर्थिक उदारीकरण कुछ क्षेत्रों में धन और विकास को केंद्रित कर सकता है, जिससे अन्य लोग आर्थिक रूप से वंचित रह जाएंगे।

सांप्रदायिकता पर प्रभाव

सकारात्मक पक्ष

- **शहरीकरण और प्रवासन:** सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना और सांप्रदायिकता के प्रभाव को कम करना।
- **शिक्षा और जागरूकता:** बेहतर शिक्षा एवं सूचना तक पहुँच एक अधिक सूचित तथा सहिष्णु समाज को बढ़ावा दे सकती है, जिससे सांप्रदायिक तनाव कम हो सकता है।

नकारात्मक पक्ष

- **मीडिया और प्रौद्योगिकी:** इसे विभाजनकारी विचारधाराओं का प्रचार करने तथा सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** आर्थिक उदारीकरण से ग्रामीण-शहरी विभाजन हो सकता है, इससे ग्रामीण इलाकों के लोग पीछे छूट जाने की स्थिति महसूस कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से सांप्रदायिक भावनाएँ भड़क सकती हैं।
- **उपभोक्तावाद:** उपभोक्तावाद से जुड़े भौतिकवादी मूल्य सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पर हावी हो सकते हैं, जो सामुदायिक एकजुटता में रुकावट का कारण बन सकता है।

इसलिये जहाँ एक ओर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था ने देश को विकास और समृद्धि के युग में प्रवेश कराया है, वहीं दूसरी ओर जातीय पहचान तथा सांप्रदायिकता पर इसके प्रभाव ने नई खामियाँ उत्पन्न कर दी हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित भाईचारे के मूल्य का पालन करते हुए इससे निपटने की आवश्यकता है। ■■■

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II

प्रश्न: 1. "संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है।" टिप्पणी कीजिये।

उत्तर: न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के स्तंभ हैं, जो आपस में शक्तियाँ साझा करते हैं। इसमें कार्यपालिका एवं विधायिका के आदेशों तथा अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त न्यायपालिका, संविधान के मूल्यों को बनाए रखने एवं उनका पालन करने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

न्यायिक स्वतंत्रता क्यों?

- कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाना चाहिये ताकि न्यायालयों को राजनीतिक पूर्वाग्रह से राहत मिल सके, जो न्याय में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- न्यायालय का फैसला पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित होना चाहिये, न कि निष्पक्ष फैसले सुनिश्चित करने वाले न्यायाधीश की कथित वास्तविकता या पक्षपात पर।

संवैधानिक रूप से समर्थित न्यायिक स्वतंत्रता क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- न्याय व्यवस्था संविधान के तहत कार्य करती है। इसे संविधान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, इसकी व्याख्या पर अंतिम अधिकार के रूप में इसकी शक्ति है।
- जब तक न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संवैधानिक रूप से समर्थन नहीं मिलता, इसे विधायिका या कार्यकारी आदेश द्वारा आसानी से कम किया जा सकता है।

संविधान के तहत प्रावधान

- न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका द्वारा हस्तक्षेप न करना।
- न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल।
- मौजूदा न्यायाधीश को हटाने के लिये महाभियोग की उचित प्रक्रिया।
- संसद न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती।
- भारत की संचित निधि पर वेतन और भत्ते का भार, जिससे विधायी अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है।
- संविधान के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से भारत एक अप्रतिबंधित लेकिन अनुशासित न्यायपालिका को बरकरार रखता है, जिस पर पूरा देश सम्मान के साथ भरोसा करता है।

प्रश्न: 2. नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? नि:शुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की भूमिका का आकलन कीजिये।

उत्तर: वॉल्टेयर ने ठीक ही कहा है, 'किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराने से बेहतर है कि किसी दोषी व्यक्ति को बचाया जाए।' न्यायिक न्याय एक मज़बूत लोकतांत्रिक राष्ट्र का आधार बनता है। अनुच्छेद -39A के तहत परिकल्पित सभी नागरिकों को न्यायिक न्याय की उचित और न्यायसंगत उपलब्धता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा प्रदान की जाती है।

नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ सहायता कौन प्राप्त कर सकता है?

- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य।
- महिला अथवा बच्चे।
- अनुच्छेद-23 के अनुसार, तस्करी या बेगार का शिकार।
- मानसिक रूप से बीमार या अन्यथा विकलांग व्यक्ति।
- किसी सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का शिकार।
- औद्योगिक कामगार।
- वे लोग जो वार्षिक निर्धारित आय से कम राशि अर्जित करते हैं, जो अलग-अलग राज्यों में भिन्न बने हुए हैं।

भारत में नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने में NALSA की भूमिका

- ज़िलों में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में 'लोक अदालत' का आयोजन करना, जो किसी विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने में सहायता करता है।
- NALSA स्कूल, कानूनी साक्षरता क्लबों, न्यायदीप न्यूज़लेटर (Nyaydeep Newsletter) और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता बढ़ाने पर कार्य करता है।
- लोक अदालत, कानूनी सेवा एप और कानूनी सहायता क्लिनिक के माध्यम से पहुँच बढ़ाना।
- विचाराधीन और अन्य कैदियों के लिये आउटरीच कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, उदाहरण के लिये हक हमारा अभियान, द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और उन्हें जागरूक किया जाता है।
- NALSA ने समाज के सबसे वंचित वर्गों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में बहुत अच्छा कार्य किया है। हालाँकि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण समाज में सभी को समान रूप से न्याय प्रदान करने हेतु अभी भी एक लंबा मार्ग तय करना बाकी है।

प्रश्न: 3. "भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।" टिप्पणी कीजिये।

उत्तर: नगर पालिकाओं की तरह शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के खराब प्रदर्शन के बारे में प्राय: चर्चा होती रहती है। 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा प्रदान किये गए संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद इन निकायों को मुख्य रूप से धन और पदाधिकारियों की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

अनिच्छुक राज्य

- **वित्त की कमी:** शहरी स्थानीय निकाय अनुदान के लिये राज्य सरकारों पर निर्भर हैं, क्योंकि उनकी आय के स्रोत अपर्याप्त हैं और उनके द्वारा एकत्र किया जाने वाला कर पर्याप्त नहीं है।
- हालाँकि शहरी स्थानीय निकायों को कर एकत्र करने की अनुमति है लेकिन वे मतदाताओं को नाराज़ न करने के लिये इससे बचते हैं।
- पूंजी जुटाने के उपकरण, जैसे-नगरपालिका बॉण्ड, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और मौजूदा बुनियादी ढाँचे का मुद्रीकरण आदि सभी वर्तमान में अप्रयुक्त बने हुए हैं।
- **कार्यात्मक नियंत्रण:** अनुच्छेद-243P से 243ZG के तहत संवैधानिक जनादेश होने के बावजूद, राज्य सरकारें ULB को शक्तियाँ सौंपने में अनिच्छा प्रदर्शित करती हैं।
- **समानांतर संरचनाएँ:** जल बोर्ड और विकास प्राधिकरण जैसे निकाय ULB से उत्तरदायित्व और शक्तियाँ छीन लेते हैं।
- **नौकरशाही का प्रभुत्व:** राज्य द्वारा नियुक्त नौकरशाही के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों की निर्णय लेने की शक्ति में भारी कटौती की जाती है।
- इसलिये शहरी स्थानीय निकायों के उदारीकरण और शक्तियों के उचित हस्तांतरण के लिये अभी एक लंबा मार्ग तय करना है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें।

प्रश्न: 4. संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करे और अंतर बताएं।

उत्तर: संसदीय संप्रभुता एक अवधारणा है जो न्यायपालिका सहित सभी सरकारी संस्थानों से ऊपर, देश की संसद या विधायी निकाय की पूर्ण सर्वोच्चता में विश्वास करती है।

ब्रिटिश बनाम भारतीय संसद

- ब्रिटेन संसदीय सर्वोच्चता की अवधारणा का पालन करता है, उसकी विधायी संस्था राष्ट्र पर पूर्ण संप्रभुता का प्रयोग करती है, भारत संवैधानिक संप्रभुता की प्रणाली का पालन करता है जिसमें संविधान सर्वोपरि है, यहाँ तक कि संसद से भी ऊपर है।
- ब्रिटेन की संसद द्वारा किसी विधेयक के पारित होने पर सम्राट की स्वीकृति केवल एक औपचारिकता के रूप में ली जाती है। भारत के मामले में राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिये वापस भेजने या सहमति को रोकने की शक्ति है।
- यूनाइटेड किंगडम, प्रधानमंत्री को केवल हाउस ऑफ कॉमन्स से चुने जाने की अनुमति देता है, जिससे लोगों की पसंद का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री को किसी भी सदन से चुना जा सकता है, जिसका राज्यसभा के मामले में देश की चुनावी पसंद का सही प्रतिनिधित्व नहीं होगा।
- ब्रिटेन के भीतर स्कॉटलैंड की एक अलग संसद के अस्तित्व में संसदीय संप्रभुता की कमी स्पष्ट है। इसके विपरीत भारत में जब जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति मौजूद थी, तब भी एक ही संसद थी।
- प्राय: यह माना जाता है कि भारत में वेस्टमिंस्टर मॉडल के अनुरूप प्रणाली है, लेकिन करीब से देखने पर दोनों के बीच स्पष्ट अंतर का पता चलता है, जैसा कि संसदीय संप्रभुता के मामले में देखा गया है।

प्रश्न: 5. विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिये।

उत्तर: विधानसभा अध्यक्ष और विधानपरिषद् अध्यक्ष, अनुच्छेद-178 एवं 182 के अनुसार अपने संबंधित सदनों के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। वे प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अपने सदनों के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करते हैं।

पीठासीन अधिकारियों की भूमिका

- **व्यवस्था बनाए रखना:** पीठासीन अधिकारियों के पास यह सुनिश्चित करने के लिये कि सदन की मर्यादा बनी रहे, सदस्यों को निष्कासित करने, आदेश मंगवाने और बैठकें स्थगित करने के अधिकार हैं।
- यदि असंसदीय भाषा का प्रयोग किया जाता है या व्यक्तिगत हमले किये जाते हैं तो वे हस्तक्षेप कर सकते हैं।
- वे महाराष्ट्र में सदस्यों को अयोग्य ठहराते हुए उन्हें दंडित कर सकते हैं।

निष्पक्षता बनाए रखना

- पीठासीन अधिकारी सभी सदस्यों और सभी दलों के लिये समान भागीदारी के अवसर सुनिश्चित करते हैं।
- जबकि पीठासीन अधिकारी पहली बार में किसी मामले पर मतदान नहीं करते हैं, मतों के बराबर होने की स्थिति में वे निर्णायक मत दे सकते हैं।
- लोकतांत्रिक प्रथाओं को सुविधाजनक बनाना।
- वे विपरीत विचारों के साथ संवाद के लिये एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं।
- वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने और चर्चा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
- वे इस प्रक्रिया में संवैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।
- अपने कर्तव्यों की पूर्ति सुनिश्चित करके राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी सदनों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से अनुपालन वाले सत्र सुनिश्चित करते हैं।

प्रश्न: 6. मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सकें।

उत्तर: मानव संसाधन किसी देश के विकास का मूलमंत्र है। विकास के इस भाग पर अपर्याप्त ध्यान देने के कारण वृहद स्तर पर अल्प-प्रशिक्षित आबादी का बड़ा भाग उत्पन्न हुआ है, जिसे अन्य मुद्दों के बीच पेशेवर अवसरों का फायदा उठाने में मुश्किल होती है।

अपर्याप्तता से निपटने के उपाय

- **शिक्षा:** नई आर्थिक नीति के तहत प्रस्तावित GDP का 6% के बराबर निवेश करने से शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकेगा। जिसके लिये सरकार द्वारा छात्रवृत्ति और अन्य कार्यक्रमों को भी व्यापक रूप से सुलभ बनाने की आवश्यकता है।
- **कौशल विकास:** रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिये व्यावसायिक कौशल और अन्य कौशल विकास के अवसर आवश्यक हैं। उदाहरण के लिये बांग्लादेश ने अपनी GDP में वृद्धि करने के लिये बहुत से लोगों को कुशल बनाया और अपने उद्योगों में उनका उपयोग किया।
- स्किल इंडिया एक बेहतरीन पहल है, जिसे उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत दवाओं की उपलब्धता, अस्पताल के कामकाज और पूरी आबादी के लिये स्वास्थ्य देखभाल की समग्र उपलब्धता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **लैंगिक संवेदनशीलता:** 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन, जिन्हें लैंगिक संवेदनशील माना जाता है, समग्र मानव संसाधन निकायों के विकास के लिये आवश्यक है।
- भारत एक युवा, जीवंत आबादी वाला एक विकासशील देश है, अगर इसे विकसित करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तो यह वृहद् स्तर पर जनसांख्यिकीय लाभांश खो सकता है।

प्रश्न: 7. भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्द्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। हाल के निर्णयों का संदर्भ लीजिये।

उत्तर: वर्ष 2009 में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) को प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन तथा प्रतिस्पर्द्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकने के साथ बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा का संवर्द्धन करने तथा उसे बनाए रखने के लिये गठित किया गया था।

CCI की भूमिका

- प्रतिस्पर्द्धा से बचने या उसे रोकने के लिये अनैतिक गतिविधियों में संलग्न निगमों/ संस्थाओं को दंडित करना।

- उदाहरण के लिये, बिक्री संबंधी भेदभावपूर्ण शर्तें लागू करने के लिये CCI द्वारा गूगल पर जुर्माना लगाया जाना।
- स्थिर और समावेशी आर्थिक विकास हेतु विभिन्न हितधारकों के बीच निष्पक्ष एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना।
- संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु नीतियाँ लागू करना।
- संसाधन अधिग्रहण और बाज़ार विस्तार के क्रम में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को रोकना।
- प्रतिस्पर्द्धा को प्रभावित करने वाले अविवेकपूर्ण विलय एवं अधिग्रहण पर नियंत्रण रखना।
- 89% मामलों की निपटान दर के साथ 1200 से अधिक मामलों का न्यायनिर्णयन करने और 900 से अधिक विलय एवं अधिग्रहणों से संबंधित मामलों की देखरेख करने के आलोक में यह कहा जा सकता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग उपभोक्ताओं के लिये व्यापक विकल्प सुनिश्चित करने के साथ अर्थव्यवस्था एवं समाज को स्थिर व सतत बनाए रखने में भूमिका निभाता है।

प्रश्न: 8. अभिशासन के एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का आगाज़ कर दिया है। कौन-सी अपर्याप्तताएँ इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं?

उत्तर: ई-गवर्नेंस का आशय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करना है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता में वृद्धि करने के साथ स्मार्ट प्रशासन को बढ़ावा देना है।

ई-गवर्नेंस के लाभ

- **प्रभावशीलता:** सेवा वितरण की लागत में कमी आने और पहुँच में सुलभता के कारण शासन की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है।
- **पारदर्शिता:** वर्तमान में अधिकांश सरकारी आवेदन और प्रक्रियाओं में ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाती है।
- **जवाबदेहिता:** वास्तविक समय में फाइलों और चल रही परियोजनाओं की जानकारी मिलने से जवाबदेहिता में वृद्धि होती है।

ई-गवर्नेंस की अपर्याप्तताएँ/सीमाएँ

- **अपर्याप्त कवरेज:** ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में अनुचित कवरेज से समाज के विभिन्न समूह इसके लाभों से वंचित रह जाते हैं।
- **डाउनटाइम:** खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली कटौती, सर्वर विफलता जैसी तकनीकी समस्याओं से अक्सर ई-गवर्नेंस प्रणाली की प्रभावशीलता में कमी आती है।
- **गोपनीयता:** हैकिंग के प्रति संवेदनशीलता के कारण इंटरनेट के उपयोग में गोपनीयता, हमेशा एक प्रमुख मुद्दा रहा है।
- **बुनियादी ढाँचे की लागत और रखरखाव:** इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नियमित उन्नयन की आवश्यकता होने से रखरखाव की लागत में वृद्धि होती है।
- **पहुँच:** अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने के लिये संचार स्थापित करना सुशासन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। लोगों के बीच डिजिटल साक्षरता का स्तर निम्न होने से यह एक चुनौती बनी रहती है।
- हालाँकि ई-गवर्नेंस समाज के लिये एक वरदान है लेकिन सभी के लिये समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्रम में इसकी सीमाओं संबंधी समाधान पर बल देना चाहिये।

प्रश्न: 9. 'संघर्ष का विषाणु एस.सी.ओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है' उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताइये।

उत्तर: शंघाई सहयोग संगठन (SCO), विश्व की बहुसंख्यक आबादी को शामिल करते हुए एक प्रमुख गैर-पश्चिमी सुरक्षा संधि के रूप में उभरा है, जिसका उद्देश्य यूरेशिया में शांति को बढ़ावा देना है। हालाँकि अपने सदस्यों की विविध प्रकृति और हितों को देखते हुए, इसके भीतर विभिन्न मुद्दों का उठना स्वाभाविक है।

SCO के भीतर संघर्ष

- **भारत और पाकिस्तान:** पड़ोसी देश पाकिस्तान कभी भी भारत के साथ अपने संघर्ष को समाप्त नहीं करना चाहता है।
- **भारत और चीन:** अपने पड़ोसियों के क्षेत्रों पर अपना दावा करने के चीन के आक्रामक रुख ने भारत सहित अन्य पड़ोसी देशों के लिये समस्याएँ उत्पन्न की हैं।
  - बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) भी एक समस्या है क्योंकि यह भारत की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है और इसे एक आक्रामक ऋण-पाश के रूप में भी देखा जाता है।
- **आर्थिक असमानताएँ:** सदस्यों की आय में भारी असमानता होने से आंतरिक घर्षण उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

भारत इन समस्याओं को कैसे कम कर सकता है?

- **संवाद प्रोत्साहन:** भारत को संवाद और कूटनीतिक समाधान के समर्थक के रूप में जाना जाता है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** भारत के अधिकांश SCO देशों के साथ अच्छे सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत को इस सॉफ्ट पॉवर का उचित लाभ उठाने पर ध्यान देना चाहिये।
- **बैकचैनल डिप्लोमेसी (Backchannel Diplomacy):** ट्रैक-II (Track-II) कूटनीति संघर्ष प्रबंधन के लिये अनुकूल माहौल के निर्माण में सहायक हो सकती है।
- **संयुक्त-सैन्य अभ्यास:** यह सेनाओं का परिचय कराने और राष्ट्रों के बीच स्वस्थ संबंध बनाने का एक शानदार तरीका है। उदाहरण के लिये, संयुक्त SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास।

'वसुधैव कुटुंबकम' के मूल्यों और पंचशील एवं गुटनिरपेक्षता जैसी ऐतिहासिक नीतियों को देखते हुए विभिन्न SCO संघर्षों को कम करने में भारत की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है।

प्रश्न: 10. भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊँचाइयों को छुआ है। भारत के लिये इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन करें।

उत्तर: भारत वर्ष 2023 में 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला सबसे अधिक धनप्रेषण प्राप्तकर्ता है। लेकिन वित्तीय रिटर्न के अलावा दुनिया भर में भारतीय मूल के 18 मिलियन से अधिक लोगों की बढ़ती सफलता भारत को विभिन्न लाभ प्रदान करती है।

प्रवासी भारतीयों की सफलता के प्रमुख उदाहरण

- दुनिया भर की शीर्ष कंपनियों के 'भारतीय मूल' प्रमुखों की मौजूदगी। उदाहरण के लिये; सुंदर पिचाई (Google), शांतनु नारायण (Adobe)।
- भारतीय मूल के राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री पदों पर बैठे लोग। उदाहरण के लिये, ऋषि सुनक (यू.के.), कमला हैरिस (यू.एस.ए.) आदि।

राजनीतिक एवं आर्थिक लाभ

- प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया धन व्यापार घाटे की भरपाई में मदद करके भुगतान संतुलन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

- प्रवासी नागरिक अंतरराष्ट्रीय मंचों और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में भारत के पक्ष में लचीलापन बरतने में मदद करते हैं।
- भारतीय संस्कृति के संपर्क में आने के कारण 'भारतीय वस्तुओं' की बढ़ती मांग बड़ी संख्या में भारतीय आबादी वाले देशों में देखी जा रही है।
- उदाहरण के लिये, यूके और अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय रेस्तरां एवं योग स्टूडियो।
- विशेष रूप से पश्चिम एशियाई देशों में कम कुशल श्रमिकों के प्रवास के कारण बेरोज़गारी में कमी।
- उदाहरण के लिये, संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले केरल और तमिलनाडु के श्रमिक।
- दुनियाभर में 32 मिलियन प्रवासी भारतीयों के व्यापक प्रसार के कारण भारत को एक बड़ा लाभ प्राप्त होता है जबकि प्रतिभा पलायन भारत जैसे विकासशील देश के लिये एक समस्या बनी हुई है, हमें याद रखना चाहिये कि इसके बदले में हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लाभ मिलते हैं।

प्रश्न: 11. "भारत का संविधान अत्यधिक गतिशील क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह एक प्रगतिशील समाज के लिये बनाया गया एक संविधान है।" जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये।

उत्तर: समाज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए समय-समय पर संविधान में संशोधन और उसे उन्नत करने का प्रावधान संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाता है। अनुच्छेद-21 के तहत जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहा निरंतर विस्तार इसका एक प्रमुख उदाहरण है, समय के साथ इसके नए पहलुओं की खोज की गई है।

भारतीय संविधान की गतिशीलता

- **प्रिवी पर्स की समाप्ति:** 26वें संशोधन द्वारा संविधान ने सामाजिक रूप से प्रगतिशील कदम उठाया और समानता में सुधार के कदम के रूप में राजा/महाराजाओं के विशेषाधिकारों को छीन लिया।
- **लोकसभा सीटों में वृद्धि:** जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है, उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये क्रमशः सीटों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता होती है।
- **मूल संरचना सिद्धांत:** प्रतिष्ठित केशवानंद भारती मामला और 'बुनियादी संरचना सिद्धांत' के बाद का विकास संविधान की गतिशीलता को दर्शाता है।

अनुच्छेद-21 के तहत नये क्षितिज (Horizon)

- **निजता का अधिकार:** न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामले (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को अनुच्छेद-21 का अंतर्निहित अधिकार घोषित किया।
- **आश्रय का अधिकार:** इसे राजेश यादव बनाम यू.पी. राज्य मामले में एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी, जहाँ न्यायालय ने कहा था कि निवासियों को घर देना राज्य का कर्तव्य है।
- **ट्रांसजेंडरों के अधिकार:** इस अधिकार को NALSA बनाम भारत संघ मामले (2014) में पेश किया गया, इसने स्वतंत्रता, सम्मान और भेदभाव से मुक्ति के उनके अधिकारों की पुष्टि की।
- **गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार:** कॉमन कॉज बनाम भारत संघ के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सक-सहायता आत्महत्या (PAS), जिसे अक्सर निष्क्रिय इच्छामृत्यु के रूप में जाना जाता है, को यह कहते हुए वैध कर दिया कि यह अनुच्छेद-21 में शामिल है।
- संविधान समय-समय पर किये गए विभिन्न संशोधनों के माध्यम से विकसित हुआ है। अनुच्छेद-21 के तहत खुले 'जीवन जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार' में हो रहे निरंतर विस्तार भारतीय संविधान की प्रगतिशील प्रकृति का प्रमाण हैं।

प्रश्न: 12. प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की सहायता से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिये।

उत्तर: 18वीं सदी के अंत में नारीवाद आंदोलन के उद्भव के बाद से, हमारे समाज में लैंगिक संवेदनशीलता तथा इसके महत्त्व के बारे में सामान्य जागरूकता ने अत्यधिक प्रगति की है। भारत का इतिहास लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति गहन चेतना को दर्शाता है जिसका ज़िक्र संविधान में भी हुआ है।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद-14 नागरिकों को कानून के समक्ष समान दर्जे का मानता है।
- अनुच्छेद-15 'लिंग' सहित विभिन्न आधारों पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद-16 रोज़गार के मामलों में नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है।
- अनुच्छेद-39 में महिलाओं के लिये वेतन की समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का उल्लेख है।
- अनुच्छेद-42 राज्य से काम और मातृत्व लाभ की उचित और मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिये कार्य करने के लिये कहता है।

निर्णय विधि

- **मैरी रॉय बनाम केरल राज्य:** न्यायालय ने पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार पर महिलाओं एवं पुरुषों का समान अधिकार सुनिश्चित किया।
- **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य:** न्यायालय ने कहा कि लड़की को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का पूरा अधिकार है।
- **लक्ष्मी बनाम भारत संघ:** एक एसिड अटैक सर्वाइवर (एसिड हमले की पीड़िता) की यह जनहित याचिका एसिड को ज़हर घोषित करने और उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के साथ समाप्त हुई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि कोई भी अस्पताल एसिड अटैक पीड़िता का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता।
- **शायरा बानो बनाम भारत संघ:** इस ऐतिहासिक निर्णय ने तीन तलाक की प्रथा को संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत समानता के अधिकार के खिलाफ घोषित किया क्योंकि इसमें महिलाओं को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है।
- भारतीय कानूनी एवं न्यायिक परिप्रेक्ष्य वह है जो समान अवसर के लिये लैंगिक परिदृश्य को समान करने तथा अपनी आबादी में लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने को महत्त्व देता है।

प्रश्न: 13. संघीय सरकार द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद-356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिये ज़िम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिये।

उत्तर: अनुच्छेद-356, जिसे बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, संघ को कुछ मामलों में राज्य मशीनरी पर सीधे नियंत्रण लेने की शक्ति प्रदान करता है, जहाँ उसका मानना है कि राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार सामान्य कामकाज जारी करने में असमर्थ है। हालाँकि यह माना जाता था कि यह एक 'मृत पत्र' है जिसका

उपयोग शायद ही कभी किया जाएगा, अतीत में इसका उपयोग 100 से अधिक बार किया गया है। लेकिन हाल के दिनों में विभिन्न राजनीतिक एवं कानूनी कारकों के कारण इसका उपयोग काफी कम हो गया है।

कम आवृत्ति के कारक

- **एस.आर. बोम्मई मामला:** इस प्रतिष्ठित मामले ने अनुच्छेद-356 के उपयोग को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया।
- इसने अनुच्छेद को लागू करने के निर्णय को न्यायिक समीक्षा का विषय बना दिया तथा राष्ट्रपति शासन को उचित ठहराने के लिये 'भौतिक साक्ष्य को आवश्यक' बना दिया।
- अंत में इसने न्यायालय को राज्य विधायिका को बहाल करने की शक्ति प्रदान की, यदि वह किसी राज्य में अनुच्छेद के आवेदन के तर्क से संतुष्ट नहीं है।
- **अंतर-राज्यीय परिषदें:** इनके गठन से राज्य एवं केंद्र के बीच संबंधों में सुधार हुआ।
- **गठबंधन की राजनीति:** इसके उद्भव के साथ केंद्र में पक्षकारों को उन क्षेत्रीय पार्टियों के प्रति अधिक उदार होना पड़ा जो केंद्र में विभिन्न पार्टियों को सशक्त बना रही थीं।
- **क्षेत्रीय दलों का उदय:** मज़बूत क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के साथ, केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद-356 का दुरुपयोग कठिन होता गया।
- विभिन्न राजनीतिक एवं कानूनी मामलों में अनुच्छेद-356 के कम उपयोग ने भारत को एक स्वस्थ, अधिक संघीय लोकतंत्र बना दिया है।

प्रश्न: 14. भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिये नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिये।

उत्तर: नागरिक समाज उन समुदायों एवं समूहों को संदर्भित करता है जो समाज में कुछ लोगों या मुद्दों को समर्थन प्रदान करने के लिये सरकार के बाहर कार्य करते हैं। वे नीति निर्धारण को प्रभावित करने के लिये गुप्त रूप से कार्य करते हैं। भारत जैसे बड़े देश में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिये स्वैच्छिक नागरिक समूह आवश्यक हैं।

योगदान

- **जागरूकता बढ़ाना:** नागरिक समाज समूहों ने ज़मीनी स्तर पर आवश्यक जागरूकता उत्पन्न करने के लिये छोटे बैचों के रूप में जनता को शिक्षित किया है। इस संबंध में दबाव समूहों द्वारा '50% आरक्षण' जैसी कई पहलें की गई हैं।
- **नीति परिवर्तन:** ये संगठन विधायिका द्वारा नीति निर्माण को प्रभावित करने के लिये दबाव समूहों के माध्यम से विधायी प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। वे प्रमुख समस्या क्षेत्रों की पहचान करने तथा उन पर विशेष रूप से काम करने के लिये अनुसंधान एवं डेटा संग्रह में भी शामिल हैं।
- **क्षमता निर्माण:** ये समूह महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और उन्हें विधायी प्रक्रिया में भाग लेने के लिये आवश्यक कौशल विकसित करने में सहायता कर रहे हैं। नागरिक समूह महिला नेताओं के आने तथा सामूहिक रूप से अधिक राजनीतिक भागीदारी के लिये रणनीति बनाने के लिये भी मंच तैयार करते हैं।
- इसलिये भारत की विधायी प्रक्रिया पर नागरिक समाज समूहों के प्रभाव को कम करके नहीं आँका जा सकता। 'महिला आरक्षण विधेयक, 2023' का पारित होना देश पर नागरिक समूहों के सकारात्मक प्रभावों का प्रमाण है।

प्रश्न: 15. 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्त्व समझाइये। यह किस सीमा तक संघवाद की समावेशी भावना को दर्शाता है?

उत्तर: 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की प्रक्रिया हासिल की गई। GST ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति शृंखला में कराधान सरल हो गया।

अधिनियम का महत्त्व

- **सम्मिलित विभिन्न अप्रत्यक्ष कर:** सेवा कर, उत्पाद शुल्क जैसे सभी करों को GST के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिससे भारत में कराधान एकीकृत हो गया है।
- **कम अनुपालन बोझ:** GST व्यवस्था के तहत करों की गणना आसान हो गई है जिससे अनुपालन का बोझ कम हो गया है।
- **कर प्रशासन को सरल बनाना:** कर संबंधी प्रयासों के अतिरेक और दोहराव को बहुत कम कर दिया गया है जिससे कराधान सरल हो गया है।
- **व्यापार सुगमता में वृद्धि:** कुछ राज्यों और प्रकारों में कराधान एक बोझिल प्रक्रिया हुआ करती थी जिसे अब ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया गया है।
- **करों का व्यापक प्रभाव:** उत्पादन के प्रत्येक चरण पर कर लगाने तथा इस प्रकार कर पर कर लगाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया।
- **गंतव्य-आधारित कराधान:** मूल्य वर्द्धित कर (VAT) के विपरीत, जो विनिर्माण या बिक्री के समय लगाया जाता था, GST एक गंतव्य-आधारित कराधान प्रणाली है।

अधिनियम और संघवादल

- अधिनियम एक प्रावधान के साथ आया था जिसमें राज्यों को GST के कार्यान्वयन के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिये मुआवज़ा दिया गया था।
- GST परिषद में केंद्र और राज्य दोनों के सदस्य शामिल हैं तथा निर्णय आम सहमति पर आधारित होते हैं, इसलिये सहकारी संघवाद को मज़बूत किया जाता है।
- GST के कारण बढ़े हुए राजस्व ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिये अधिक वित्त सुनिश्चित किया है, जिससे बुनियादी ढाँचे के विकास में मदद मिली है।
- GST से व्यापार में अंतर-राज्यीय बाधाएँ बहुत कम हो गई हैं, जिससे देश भर में व्यापार आसानी से संचालित हो रहा है।
- 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने वस्तु एवं सेवा कर को लागू करके राज्यों में व्यापार को सरल बनाने में पर्याप्त सहायता की है। राज्यों और केंद्र सरकारों के लिये बढ़ा हुआ राजस्व एक राष्ट्र, एक कर के उद्देश्य के साथ देश में संघवाद को मज़बूत करने की अनुमति देता है।

प्रश्न: 16. संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइये। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहाँ तक मदद की?

उत्तर: संसदीय समितियाँ संसद के पटल पर समय बचाने और विशेषज्ञों की राय लेकर तथा राष्ट्रीय हित के मामलों पर समर्पित समय खर्च करके सर्वोत्तम नीति निर्माण सुनिश्चित करने के लिये तैयार किया गया एक प्रमुख उपकरण है।

संसदीय समितियों के प्रकार

- **स्थायी समितियाँ:** ये वार्षिक रूप से गठित स्थायी निकाय हैं।

- स्थायी समितियों को निम्नलिखित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - वित्तीय समितियाँ
  - विभागीय स्थायी समितियाँ
  - पूछताछ हेतु समितियाँ
  - जाँच और नियंत्रण हेतु समितियाँ
  - सदन के दिन-प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियाँ
  - हाउस-कीपिंग समितियाँ या सेवा समितियाँ
- **तदर्थ समितियाँ:** ये विशेष कार्यों के लिये बनाई गई अस्थायी समितियाँ हैं।
  - इसके अंतर्गत दो श्रेणियाँ शामिल हैं 'जाँच समितियाँ' और 'सलाहकार समितियाँ'।
  - वित्तीय समितियों और संसद का संस्थागतकरण
- तीन विशिष्ट वित्तीय समितियाँ हैं, जो विशिष्ट कार्य करती हैं। ये समितियाँ हैं:

प्राक्कलन समिति

- ये समितियाँ व्यय की दक्षता का आकलन करती हैं और नीतिगत बदलावों का सुझाव देती हैं, इसलिये इन्हें सतत अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है।
- ये यह सुनिश्चित करती हैं कि पॉलिसी की आवश्यकताओं के अनुसार पैसा अच्छी तरह से रखा गया है अथवा नहीं तथा यह सुझाव देती हैं कि अनुमानों को संसद में किस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

सार्वजनिक उपक्रम समितियाँ

- ये अनिवार्य रूप से सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन का आकलन करती हैं तथा सार्वजनिक उपक्रमों की दक्षता और स्वायत्तता सुनिश्चित करती हैं।
- समिति की भूमिका केवल सलाहकार की है और वह रोज़मर्रा के तकनीकी मामलों की जाँच या निरीक्षण नहीं करती है।

लोक लेखा समिति (PAC)

- वे सार्वजनिक व्यय की जाँच तकनीकी दृष्टिकोण के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी करते हैं। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट का ऑडिट करता है।
- यह कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है तथा सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं की जाँच करता है। उदाहरण के लिये, 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन।
- पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय समितियाँ संसद के समुचित कामकाज और संस्थागतकरण के लिये महत्त्वपूर्ण साबित हुई हैं। तीन वित्तीय समितियाँ सरकार के वित्तीय मामलों में वित्तीय विवेक, जवाबदेही तथा पारदर्शिता स्थापित करने में मदद करती हैं।

प्रश्न: 17. "वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएँ अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं।" क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिये।

उत्तर: पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के बाद से सरकार ने समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान हेतु कई कल्याणकारी योजनाओं पर काम किया है। हालाँकि ये योजनाएँ एक खास वर्ग के लिये फायदेमंद हैं, लेकिन इनके खिलाफ विरोध नहीं दिखा है।

सकारात्मक भेदभाव की अवधारणा

- यह समाज के एक विशेष वर्ग को लाभ प्रदान करने का कार्य है, जो उनके खिलाफ भेदभाव के इतिहास पर आधारित है।
- उदाहरण के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अतीत में उनके साथ हुए अमानवीय व्यवहार की भरपाई हेतु आरक्षण प्रदान करना।
- यह दृष्टिकोण 'समता' के बजाय 'समानता' पर केंद्रित है, जिससे एक निश्चित जीवन स्तर तक पहुँचने के लिये समूहों की आवश्यकताओं में अंतर को पहचाना जाता है।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

- कुछ समुदायों के पिछले नुकसानों ने उन्हें इतना वंचित कर दिया है कि सकारात्मक कार्रवाई के बिना उनके सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर को बेहतर करना मुश्किल है।
- भारत में भौगोलिक भिन्नताओं के कारण कुछ स्थानों पर अतिरिक्त लाभ प्रदान करना आवश्यक हो जाता है।
- उदाहरण के लिये, पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS)।
- हमारे देश में लैंगिक असमानताएँ बहुत लंबे समय से मौजूद हैं, कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी समस्याएँ हमारे समाज के मूल ढाँचे में अंतर्निहित हैं।
- इसलिये 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'किशोरी शक्ति योजना' जैसी योजनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं।
- पूरे समाज में आर्थिक मतभेद जिनकी जड़ें जाति व्यवस्था में मौजूद हैं, वंचित समूहों के लिये आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलना मुश्किल बना देते हैं। इन समूहों को समर्थन देने हेतु समर्पित आर्थिक उत्थान योजनाओं की आवश्यकता है।
- उदाहरण के लिये, जन धन योजना और SC/ST छात्रों को योग्यता आधारित छात्रवृत्ति।
- इसलिये जबकि यह सच है कि वंचितों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ वास्तव में भेदभावपूर्ण प्रकृति की हैं, यह ध्यान में रखा जाना चाहिये कि यह 'सकारात्मक भेदभाव' उनके खिलाफ दशकों से हुए अन्याय की भरपाई के लिये किया गया है।

प्रश्न: 18. विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोज़गार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिये।

उत्तर: शिक्षा, कौशल और रोज़गार तीन बहुत बारीकी से जुड़ी हुई गतिविधियाँ हैं जो किसी व्यक्ति के लिये महत्त्वपूर्ण हैं तथा राष्ट्र निर्माण के लिये अनिवार्य हैं।

शिक्षा, कौशल और रोज़गार के बीच संबंध

- शिक्षा नागरिक जीवन के आधार के लिये प्रारंभिक उपाय के रूप में कार्य करती है। यह किसी व्यक्ति के पर्याप्त विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है और एक नागरिक को उचित रोज़गार प्राप्त करने का आधार देती है।
  - बुनियादी और उच्च शिक्षा दोनों ही व्यक्ति को ज्ञान का आधार प्राप्त करने में संबंधित भूमिका निभाती है, जिसकी सहायता से वे किसी पेशे के लिये विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- कौशल विकास आवश्यक व्यावसायिक या तकनीकी कौशल सीखने की गतिविधि है जिसकी किसी उद्योग में प्रत्यक्ष प्रयोज्यता होती है जिससे सफल रोज़गार प्राप्त होता है। उदाहरण के लिये, C++ का प्रमाणीकरण रोज़गार के बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है।
  - सॉफ्ट स्किल्स कौशल का एक उपसमूह हैं जिन्होनें पिछले दशकों में लोगो में रुचि बढ़ाई है और आज आधुनिक रोज़गार बाज़ार के लिये आवश्यक कौशल है।

- कौशल विकास से व्यक्ति न केवल रोज़गार प्राप्त कर सकता है, बल्कि उद्यमिता भी सीख सकता है, जो अंततः रोज़गार देने/सृजन करने में सक्षम बनाता है।

- रोज़गार शिक्षा और कौशल विकास का अंतिम लक्ष्य है। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिये रोज़गार आवश्यक है। रोज़गार किसी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक आवश्यक संकेतक है। बेहतर रोज़गार राष्ट्र के विकास की उच्च संभावनाओं को दर्शाता है।
  - शिक्षा और कौशल विकास दोनों ही व्यक्ति को रोज़गार प्राप्त करने में सहायता करने के लिये पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करते हैं।
  - आजकल कंपनियाँ अपने काम पर नियुक्त व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिये उसके कौशल को बढ़ाने का एक तरीका अपनाती हैं।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जैसे विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों ने उद्योग को कुशल श्रमिक प्राप्त करने में सहायता की है; दूसरे शब्दों में वे विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधन आपूर्ति बढ़ाने में सफल रहे हैं।

प्रश्न: 19. 'नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और एक मज़बूत अमेरिका-यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिये अच्छा काम करती है।' इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिये।

उत्तर: वर्तमान विश्व बहु ध्रुवीय विश्व की अवधारणा को अच्छी तरह से अपना रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नाटो और यूरोपीय संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के केंद्र बने हुए हैं। भारत आने वाले वर्षों में एक प्रमुख शक्ति बनने की आशा रखता है लेकिन फिलहाल उसे नाटो और अमेरिका-यूरोप के मज़बूत संबंधों से लाभ होगा।

यह भारत के लिये क्यों प्रभावी है?

- **चीन को लेकर समस्या:** चूँकि नाटो और यूरोपीय संघ चीनी आक्रामकता की समस्या पर आम सहमति दर्शाते हैं, इसलिये उनके साथ रणनीतिक साझेदारी में शामिल होना भारत के लिये हितकारी है।
- **आर्थिक विवरण:** इन देशों के पास विश्व सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा बहुत अधिक है। भारत को इन देशों के साथ व्यापार संबंधों और उनकी साझेदारी से आने वाले राजनैतिक-आर्थिक स्थिरता से लाभ होगा।
- **लोकतांत्रिक मूल्य:** लोकतंत्र के जिन साझा वैचारिक मूल्यों को इन समूहों द्वारा बरकरार रखा जा रहा है, वे भारत के दो विरोधी पड़ोसियों के विपरीत भारत के हितों के अनुरूप हैं।
- **रक्षा क्षमताएँ:** पश्चिमी सेना के साथ जुड़ाव बढ़ने से भारत को तकनीकी जानकारी, उन्नत सैन्य प्रशिक्षण और रणनीतिक सहयोग के मामले में लाभ होगा।
- **आतंकवाद से निपटना:** भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसे ऐतिहासिक रूप से आतंकवादी हमलों से निपटना पड़ा है, जो आतंकवाद को रोकने या न्यूनतम करने के लिये किये गए किसी भी प्रयास की सराहना करेगा, जिससे अमेरिका-यूरोप रणनीतिक साझेदारी को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा।

कुछ प्रमुख चुनौतियाँ

- **भारत-रूस संबंध:** भारत को पश्चिमी देशों के साथ निकटता इस तरह से बनानी होगी कि उसके अपने दीर्घकालिक साझेदार रूस के साथ संबंध खराब न हों। अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाना भारतीय कूटनीति की परीक्षा है।
- **प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि:** यूरोपीय संघ और अमेरिका के मज़बूत संबंधों से तात्पर्य उन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि से है जिनमें भारत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे आईटी एवं फार्मास्यूटिकल्स उद्योग।
- अंततः अगर भारत अपने साथ आने वाली चुनौतियों से निपट सकता है तो उसे नाटो और अमेरिका-यूरोप के साथ मज़बूत रणनीतिक साझेदारी से लाभ होगा।

प्रश्न: 20. 'समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।' उपरोक्त कथन के आलोक में पर्यावरण संरक्षण, समुद्री रक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आई. एम.ओ.) की भूमिका पर चर्चा कीजिये।

उत्तर: अपनी समृद्ध जैव विविधता को देखते हुए समुद्र पृथ्वी के लिये अविश्वसनीय रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, जिसमें मानव जाति के लिये समृद्ध संसाधन निकाय और परिवहन मार्ग उपलब्ध कराना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार और जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये कार्य करती है।

पर्यावरण संरक्षण

- **बेलास्ट वाटर कन्वेंशन:** जहाज़ों के टैंकों को स्थिर करने के लिये उनमें जमा बेलास्ट वाटर के प्रबंधन, उपचार और निर्वहन के लिये दिशानिर्देश IMO द्वारा तय और मानकीकृत किये गए थे।
- **मार्पोल कन्वेंशन:** यह एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जो जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण जैसे तेल रिसाव, रासायनिक प्रदूषण आदि को रोकने से संबंधित है।
- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:** जहाज़ों के लिये सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन की कठोर सीमाएँ तय की गई हैं। ये विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने में सहायता करते हैं।
- **EEXI और CII:** शिपिंग उद्योग की पर्यावरणीय लागत को कम करने के लिये IMO द्वारा मौजूदा जहाज़ के ऊर्जा दक्षता सूचकांक (EEXI) और कार्बन तीव्रता संकेतक (CII) सूचना एकत्रित करने का कार्य किया जाता है।

समुद्री सुरक्षा

- **ISPS कोड:** अंतरराष्ट्रीय जहाज़ और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा (ISPS) कोड जहाज़ों तथा बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उपायों को सूचीबद्ध करता है।
- **SOLAS कन्वेंशन:** समुद्र में जीवन रक्षा के लिये अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन (SOLAS) यह सुनिश्चित करता है कि जहाज़ का निर्माण, उपकरण और संचालन उनके दिशानिर्देशों के अनुकूल है।
- **STCW कन्वेंशन:** नाविकों के लिये प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन (STCW) नाविकों के लिये बुनियादी स्तर की योग्यता हासिल करने के लिये एक मानक प्रशिक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करता है।
- **खोज और बचाव (SAR):** IMO द्वारा जारी SAR योजना जीवन बचाने और समुद्री नेविगेशन की समग्र सुरक्षा में सुधार करने के लिये खोज एवं बचाव सेवाओं की वैश्विक उपलब्धता सुनिश्चित करती है।
- अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) पर्यावरण की रक्षा करने और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जो विभिन्न कन्वेंशन के दायरे में कार्य करता है तथा विभिन्न संहिताओं का प्रयोग करता है। ■■■

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III

प्रश्न: 1. जी.डी.पी. में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एम.एस.एम.ई. की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज़ आर्थिक संवृद्धि के लिये आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिये।

उत्तर: विकसित राज्यों की श्रेणी में आने वाले अधिकांश देश किसी-न-किसी समय विनिर्माण के केंद्र रहे हैं। राष्ट्रों की तेज़ आर्थिक संवृद्धि हेतु विनिर्माण क्षेत्रक निर्णायक होता है। हमारे निर्यात में 40% से अधिक और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% की हिस्सेदारी के आलोक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) आर्थिक संवृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं।

विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु सरकारी नीतियाँ

- **मेक इन इंडिया पहल:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने के साथ विनिर्माण संबंधी बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- **औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम:** इसे ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिये राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है।
- **ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस:** इसका उद्देश्य व्यवसाय करने में आसानी के लिये प्रक्रियाओं के सरलीकरण करने कानूनी प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने एवं सरकारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना है।
- **राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली:** यह निवेशकों को वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म और सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है, जिसमें निवेश पूर्व सलाह, ऋण प्रदान बैंकों से संबंधित जानकारी प्रदान करना तथा केंद्र एवं राज्य स्तर पर व्यवसाय को मंज़ूरी देना शामिल है।
- **पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP):** इसका उद्देश्य मल्टीमॉडल बुनियादी ढाँचे के एकीकारण से डेटा-आधारित निर्णयों को सुविधाजनक बनाना है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम हो सके।

MSMEs के लिये विशेष नीतियाँ

- **उद्यमी मित्र पोर्टल:** यह क्रेडिट और हैंडहोल्डिंग सेवाओं की पहुँच में सुधार पर केंद्रित है।
- **MSME संबंध:** केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा MSMEs से की जाने वाली सार्वजनिक खरीद की निगरानी करना।
- **MSME समाधान:** यह सरकारी संगठनों द्वारा विलंब से भुगतान देने के संदर्भ में समाधान प्रदान करता है।
- **डिजिटल MSME योजना:** यह MSME के लिये क्लाउड-आधारित बुनियादी ढाँचे की सुविधा प्रदान करती है।
- यह क्षेत्र लगभग 110 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार देता है और इसकी निर्यात एवं विनिर्माण में महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी है। इसलिये यह भारत के समग्र आर्थिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में MSMEs क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। भविष्य में इसके रुझानों एवं अनुकूल नीतियों के आलोक में ऐसी प्रवृत्ति बनी रहेगी।

प्रश्न: 2. भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है? इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिये और सुधार के लिये सुझाव दीजिये।

उत्तर: डिजिटलीकरण विभिन्न कार्यों को करने के लिये इंटरनेट-आधारित ढाँचे की ओर उन्मुख होने की प्रक्रिया है जो सामान्य तौर पर किसी व्यवसाय में आर्थिक और प्रबंधन संबंधी दक्षता में वृद्धि करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की पर्याप्त संभावनाएँ व क्षमताएँ हैं क्योंकि भारत में लगभग 77% आबादी के पास सक्रिय सेल्यूलर कनेक्शन हैं और यहाँ की एक-तिहाई आबादी सोशल मीडिया का उपयोग करती है। वर्ष 2023 की शुरुआत 48.7% की कवरेज दर के साथ भारत में इंटरनेट उपयोगककर्ताओं की संख्या लगभग 700 मिलियन है।

डिजिटलीकरण में समस्याएँ

- **लागत:** डिजिटलीकरण से व्यवसाय के परिचालन लागत को कम करने में मदद मिलती है, किंतु बुनियादी ढाँचे की स्थापना करना एक उच्च लागत वाला कार्य है।
- **बुनियादी ढाँचा:** बुनियादी ढाँचागत रूप से कम विकास वाले क्षेत्रों में इंटरनेट और इसकी नियमित सेवाओं की अनुपलब्धता एक अन्य समस्या है।
- **गोपनीयता:** डिजिटलीकरण के संबंधित एक गंभीर चिंता सुरक्षा उल्लंघन और डेटा के साथ छेड़छाड़ की संभावना है।
- **डिजिटल साक्षरता:** भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की काफी कमी है। महिलाओं में डिजिटल साक्षरता तुलनात्मक रूप से बहुत कम है।

संभावित सुधार

- **व्यापक नीति निर्माण:** गोपनीयता, सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढाँचे के विकास की वर्तमान समस्याओं का निपटान करने वाली नीतियाँ आवश्यक हैं।
- **निवेश:** डिजिटल बुनियादी ढाँचे के निर्माण तथा डिजिटल साक्षरता की दिशा में काम करने के लिये महत्त्वपूर्ण निवेश करने की आवश्यकता है।
- पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटलीकरण में तेज़ी आई है जिससे सकल वर्द्धित मूल्य (GVA) में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान वर्ष 2014 के 5.4% से बढ़कर वर्ष 2019 में 8.5% हो गया है, किंतु अभी भी डिजिटलीकरण की दिशा में काफी काम करने की ज़रूरत है।

प्रश्न: 3. कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में ई-तकनीक किसानों की किस प्रकार मदद करती है? इसे समझाइए।

उत्तर: ई-प्रौद्योगिकियों में डिजिटल सूचना-आधारित ऐसी प्रणालियाँ शामिल हैं जिनका पिछले कुछ वर्षों में हमारे जीवन के सभी आयामों में तेज़ी से प्रसार बढ़ा है। इससे कृषि क्षेत्र को भी लाभ प्राप्त हुआ है।

कृषि में लाभ

- **सिंचाई:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रणाली से जल के कुशल उपयोग के साथ सिंचाई करना सुलभ हो जाता है।
- **जलवायु भविष्यवाणी:** सेंसर से एकत्र किये गए डेटा के प्रसंस्करण के माध्यम से जलवायु

की भविष्यवाणी करने से किसानों को फसल चक्र एवं फसल प्रतिरूप के संदर्भ में निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है।

- **फसल सुरक्षा:** सेंसर एवं एकीकृत प्रणालियों का उपयोग करके, फसलों की कीटों से सुरक्षा की जा सकती है।
- **वित्तपोषण की सुलभता:** इंटरनेट एवं डेटाबेस पर बढ़ते बैंकिंग नेटवर्क के कारण ऋणों तक लोगों की पहुँच का विस्तार हुआ है।
- **वैकल्पिक तरीके:** आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को स्वचालित तरीके से नियंत्रित एवं निष्पादित करने हेतु एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स जैसे तरीकों को ई-प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

विपणन में लाभ

- **ऑनलाइन बाज़ार:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कृषि उत्पाद बेचना बहुत सुलभ हो गया है।
- **आपूर्ति शृंखला को मज़बूत बनाना:** सूचना के प्रसार में वृद्धि के कारण परिवहन एवं भंडारण प्रक्रिया को और अनुकूल बनाया जाना संभव हो गया है।
- **कृषि उत्पादों के अद्यतन मूल्य से परिचित रहना:** इससे पारदर्शिता में वृद्धि होने के साथ किसान एवं उपभोक्ता दोनों ही कृषि उत्पादों के अद्यतन मूल्य से परिचित रह सकते हैं।
- ई-प्रौद्योगिकी ने न केवल कृषि क्षेत्र को अधिक दक्ष बनाया है बल्कि किसानों को कुशल फसल उत्पादन उपकरण मिलने से उत्पादकता एवं लाभ को बढ़ावा मिला है।

प्रश्न: 4. भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों को बताइये। आर्थिक मानदंडों के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना कीजिये।

उत्तर: कुमारप्पा समिति की सिफारिश पर शुरू की गई भूमि जोत नीति के कारण भारत के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आयामों में काफी बदलाव आया है।

भूमि सुधार के उद्देश्य

- **किसानों को उनके अधिकार प्रदान करना:** निर्दिष्ट सुधारों की शुरुआत के माध्यम से छोटे किसानों को उनके अधिकार प्रदान किये गए जो परंपरागत रूप से अपनी भूमि के मालिक थे।
- **अभिलेख:** नागरिकों के बीच विवादों को कम करने के लिये अभिलेखों को अद्यतन किया गया है।
- **सशक्तीकरण:** चूँकि वंचित वाले समुदायों के पास अक्सर छोटी आकर की भूमि होती है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति निम्न होती है, ऐसे में इन सुधारों ने वंचित समुदायों के सशक्तीकरण में काफी अहम भूमिका निभाई है।
- **सामाजिक समानता:** संसाधनों का समान वितरण सामाजिक असमानताओं को दूर करने में मदद करता है।

लागू किये गए उपाय

- **भूमि सीमा:** सरकार ने किसी व्यक्ति अथवा परिवार के स्वामित्व के अंतर्गत रखी जा सकने वाली भूमि की मात्रा पर एक सीमा निर्धारित कर दी है।
- **ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन:** राज्यों ने विभिन्न कानूनों को पारित कर इस प्रथा का उन्मूलन किया, उदाहरण के लिये; ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश)।
- **सहकारी खेती:** कृषक वर्गों को एक समुदाय के रूप में मिलकर काम करने और अपने संसाधनों को संयोजित करने के लिये प्रोत्साहित किया गया।
- भूमि जोत नीति किसी व्यक्ति अथवा परिवार के पास अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित करती है। भूमि स्वामित्व को सीमित करते हुए भूमि जोत नीतियों का उद्देश्य कुछ धनी भूस्वामियों के पास मौजूद भूमि की सघनता को कम करना है।

एक प्रभावी सुधार के रूप में भूमि जोत नीति

- समतापूर्ण भूमि वितरण में वृद्धि से एक बड़ी जनसंख्या को मदद मिलती है, जो देश की आर्थिक वृद्धि में काफी योगदान दे सकता है।
- व्यापक आबादी के आर्थिक विकास के साथ यह लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा एवं व्यक्तियों व उनके संतानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायता करती है।
- अपनी भूमि से उपार्जन अर्जित करने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि के साथ व्यापक टैक्स बेस (कर प्राधिकरण द्वारा कराधान के अधीन आय, संपत्ति, परिसंपत्ति, उपभोग, लेनदेन अथवा अन्य आर्थिक गतिविधि का कुल मूल्य) तैयार होता है, जिससे कर संग्रह में भी सुधार होता है।
- भारत में भूमि सुधारों ने न केवल भूमिहीनों को संसाधन उपलब्ध कराने में मदद की है बल्कि लंबे समय से हो रहे अन्यायों को दूर करने और अधिक समावेशी भविष्य के निर्माण में भी मदद की है।

प्रश्न: 5. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) की अवधारणा का परिचय दीजिये। ए.आई. क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है? क्या आप स्वास्थ्य सेवा में ए.आई. के उपयोग में व्यक्ति की निजता को कोई खतरा महसूस करते हैं?

उत्तर: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) इस समय विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी की उत्कृष्टता का प्रतीक है। यह कंप्यूटर में मानव जैसी बुद्धि विकसित करने के साथ व्यापक स्तर पर डेटा प्रसंस्करण पर आधारित है।

नैदानिक निदान में ए.आई

- **व्यापक विश्लेषण:** ए.आई. व्यापक मात्रा में डेटा को संसाधित करने में मदद करने के साथ पूर्व के चिकित्सा इतिहास के आधार पर रोगी के स्वास्थ्य का व्यापक विश्लेषण प्रदान कर सकता है।
- **अर्ली डिटेक्शन:** ए.आई. द्वारा डेटा प्रतिरूप का आसानी से पता लगाया जा सकता है। विभिन्न लोगों के डेटा के माध्यम से ए.आई. द्वारा ऐसी बीमारी की भविष्यवाणी की जा सकती है जो विशेष लक्षणों वाले विशेष व्यक्तियों में होना संभव है।
  - उदाहरण के लिये ए.आई. द्वारा हृदय रोग के इतिहास को पहचानते हुए संबंधित जोखिम को पहचाना जाता है।
- **हेल्पिंग हैंड:** डॉक्टरों की जगह लेने के बजाय, ए.आई. उनके प्रयासों को पूरक बनाने के साथ निर्णय प्रक्रिया को सुलभ कर सकते हैं।
- **निगरानी:** ए.आई. आधारित उपकरण किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के विभिन्न मापदंडों की निगरानी करने में मदद कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये स्मार्ट घड़ियों द्वारा रक्तचाप की निगरानी होना।

निजता का खतरा

- **बिग डेटा:** ए.आई. हेतु व्यापक स्तर पर डेटा संग्रह एवं संसाधित होने से इसका दुरुपयोग हो सकता है। डेटा संग्रह हेतु लोगों की सहमति ज़रूरी हो जाती है लेकिन आमतौर पर इसका पालन नहीं होता है।
- **डेटा उल्लंघन:** व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड एवं अन्य डेटाबेस की सुरक्षा का खतरा बना रहता है क्योंकि डेटा उल्लंघन के कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन से विश्व भर में सभी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर बदलाव होना जारी है। इसके द्वारा डिजिटल, तकनीकी तथा स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति आई है लेकिन इसके बेहतर उपयोग हेतु इससे संबंधित समस्याओं के उचित निवारण की आवश्यकता है।

प्रश्न: 6. उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिये जिनसे सूक्ष्मजीवी इस समय में हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं।

उत्तर: शैवाल, जीवाणु आदि जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग कच्चे कार्बनिक पदार्थों से इथेनॉल, हाइड्रोजन, मीथेन, लिपिड और ब्यूटेनॉल सहित विभिन्न ईंधन उत्पन्न करने के लिये किया जा सकता है, जिससे बायोमास में मौजूद रासायनिक ऊर्जा को ईंधन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

वर्तमान समय में ईंधन की कमी से निपटने में सूक्ष्मजीवियों की भूमिका

- **जैव ईंधन उत्पादन:** शैवाल और जीवाणु जैसे कुछ सूक्ष्मजीवों का उपयोग बायोडीज़ल एवं बायोएथेनॉल जैसे जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिये किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, शैवाल सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइ-ऑक्साइड को लिपिड में परिवर्तित कर सकते हैं, जिन्हें अंततः बायोडीज़ल में परिवर्तित किया जा सकता है।
- **बायोगैस उत्पादन:** सीवेज और कृषि अपशिष्ट जैसे कार्बनिक अपशिष्ट को तोड़ने के लिये सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जिससे अंततः बायोगैस का उत्पादन किया जाता है।
- **हाइड्रोजन उत्पादन:** कई सूक्ष्मजीव किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कर सकते हैं जिसका उपयोग ईंधन सेल सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में स्वच्छ ईंधन के रूप में किया जा सकता है।
- **जैव सुधार:** सूक्ष्मजीव प्रदूषित स्थानों से उपयोगी हाइड्रोकार्बन को अलग करते हैं, जिससे वे तेल रिसाव और दूषित स्थानों की सफाई में सहायता कर सकते हैं।
- **कार्बन कैप्चर और उपयोग:** सूक्ष्मजीव औद्योगिक प्रक्रियाओं से कार्बन-डाइ-ऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन को कैप्चर और जैव ईंधन में परिवर्तित कर सकते हैं।
- ईंधन की कमी को पूरा करने के लिये सूक्ष्मजीवी ऊर्जा ईंधन उत्पादन के लिये पायलट संयंत्रों का विकास किये जाने की आवश्यक है और यह न केवल कच्चे तेल की ऊँची कीमतों को कम कर सकता है बल्कि धारणीय तरीके से पर्यावरण की सुरक्षा कर सकता है।

प्रश्न: 7. बाँधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती हैं, विशेष रूप से नीचे की ओर, जिसके परिणामस्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बाँधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिये। बड़े बाँधों की विफलता के दो उदाहरण दीजिये।

उत्तर: बाँधों की विफलता सामान्यतः बाँध में संरचनात्मक विफलताओं अथवा कमियों के कारण बाँध के किसी जलाशय से जल की अनियंत्रित निकासी है। बड़े बाँधों के निर्माण के संदर्भ में भारत तीसरे स्थान पर स्थित है, बाँधों की विफलता की स्थिति में संभावित रूप से बड़ी मात्रा में जल निष्काषित हो सकता है जो निचले हिस्सों में लोगों या संपत्ति के लिये जोखिमपूर्ण हो सकता है।

बाँधों की विफलता का कारण

- **ओवरटॉपिंग:** इसका प्रमुख कारण खराब ढलवाँ डिज़ाइन है, जिससे जलाशय बहुत अधिक भर जाता है, विशेषकर भारी वर्षा के समय में।
- **अवसंरचनात्मक दोष:** ढलानों की अस्थिरता से बाँध के नीचे जल का रिसाव हो सकता है।
- **परिचालन संबंधी विफलताएँ:** वाल्वों और नलिकाओं की विफलता के परिणामस्वरूप अक्सर संचालन में समस्या आती है, जिससे पानी का बहाव प्रभावित हो सकता है।
- **भू-वैज्ञानिक अस्थिरता:** भूस्खलन, भूकंप जैसी टेक्टोनिक प्रेरित आपदाएँ बाँध संरचनाओं के लिये खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।
- **बाँधों का पुराना हो जाना:** बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति और अन्य पर्यावरणीय परिवर्तन बाँध की संरचनात्मकता एवं क्रियात्मकता को प्रभावित कर सकते हैं जिससे बाँध की आयु कम हो जाती है।
- **संरचनात्मक विफलता:** डिज़ाइन, निर्माण सामग्री अथवा रखरखाव आदि की अपर्याप्तता बाँध विफलता का कारण बन सकता है।

बड़े बाँधों की विफलता के उदाहरण

- **मच्छू II बाँध विफलता (1979):** अनुचित डिज़ाइन और भारी वर्षा के कारण गुजरात का मच्छू II बाँध क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रलयकारी बाढ़ आई। मूसलाधार प्रवाह के कारण कई गाँव नष्ट हो गए और 2,000 से अधिक लोगों को जान गँवानी पड़ी।
- **तिवारे बाँध विफलता (2019):** अत्यधिक वर्षा के कारण महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित तिवारे बाँध टूट गया, जिससे सात गाँव में बाढ़ आने से काफी लोगों की मृत्यु हो गई।
- बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 और बाँध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP) जैसे प्रयास भारत में बाँध विफलता की प्रलयकारी घटनाओं को रोकने के लिये उठाए गए प्रमुख कदम हैं।

प्रश्न: 8. तेल प्रदूषण क्या है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके क्या प्रभाव हैं? भारत जैसे देश के लिये किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक हैं?

उत्तर: तेल प्रदूषण, जिसे तेल संदूषण अथवा तेल रिसाव के रूप में भी जाना जाता है, तेल टैंकरों, पाइपलाइनों, अपतटीय ड्रिलिंग या अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण जल निकायों में कच्चे तेल या परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के निष्कासन को संदर्भित करता है।

तेल प्रदूषण का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव

- **समुद्री जीव-जंतुओं को नुकसान:** समुद्री पक्षियों के पंखों, फर पर तेल फैलने अथवा लग जाने तथा त्वचा के उपरी भाग पर तेल लगने से उन्हें शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में समस्या पैदा हो सकती है, जिससे वे हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाते है।

- **विषाक्तता:** कच्चे तेल के घटक समुद्री जीवों के लिये ज़हरीले होते हैं और वे उनके अंगों को नुकसान पहुँचाते हैं तथा प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करते हैं।
- **पर्यावास की क्षति:** तेल रिसाव समुद्री जीवन के लिये महत्त्वपूर्ण प्रवाल भित्तियों, समुद्री घास के मैदानों और दलदलों को नुकसान पहुँचाता है।
- **खाद्य शृंखला में व्यवधान:** जैवविविधता के नुकसान का व्यापक प्रभाव हो सकता है क्योंकि इसके तहत विभिन्न प्रजातियाँ एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। उदाहरण के लिये, तेल संदूषण खाद्य शृंखला प्राथमिक उत्पादक पादपप्लवक को काफी क्षति पहुँचा सकता है।

तेल प्रदूषण का भारत जैसे देश पर प्रभाव

- **आर्थिक प्रभाव:** भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश और तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। तेल प्रदूषण मत्स्य पालन और पर्यटन उद्योगों को बाधित कर सकता है।
- **पर्यावरणीय परिणाम:** भारत समुद्री पारिस्थितिक विविधताओं वाला देश है, जिनमें प्रवाल भित्तियाँ, मैंग्रोव आदि शामिल हैं, तेल प्रदूषण जैवविविधता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** भारत की तटरेखा 7,500 कि.मी. से अधिक लंबी है। तेल का रिसाव तटीय समुदायों और समुद्री भोजन पर निर्भर लोगों के लिये एक बड़ा स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर सकता है।
- तेल प्रदूषण भारत के लिये चिंता का विषय है, देश के तटीय पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और तटीय समुदायों के कल्याण के लिये तेल रिसाव के प्रभावों को निम्नीकृत करने हेतु प्रयास किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

प्रश्न: 9. आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जनसमुदाय का विश्वास बहाल करने में 'दिल और दिमाग' जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा कीजिये।

उत्तर: 'दिल और दिमाग' की जीत का तात्पर्य कश्मीर जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में सरकारी प्रणाली में स्थानीय लोगों का विश्वास बढ़ाने एवं इनका समर्थन हासिल करने के लिये सरकार द्वारा जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने से है, जिसका लक्ष्य आतंकवाद का मुकाबला करना है।

कश्मीर के संदर्भ में सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय

अनुच्छेद-370 को निरस्त करना: इसके तहत जम्मू और कश्मीर के शेष भारत के साथ व्यापक एकीकरण को बढ़ावा देने एवं युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिये जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया गया।

युवाओं की भागीदारी

- सद्भावना परियोजना के तहत, आर्मी गुडविल स्कूल (AGS), छात्रावास और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किये गए; किशोरों एवं बुज़ुर्गों को 'भारत दर्शन' पर ले जाया गया तथा घाटी के युवाओं के लिये क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किये गए।
- लोगों की क्षमता निर्माण हेतु प्रोजेक्ट हिमायत तथा जम्मू और कश्मीर की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये प्रोजेक्ट उम्मीद को शुरू किया गया।
- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** इस क्षेत्र में परिवहन, स्वास्थ्य आदि संबंधी बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर बल दिया गया। उदाहरण के लिये जम्मू और कश्मीर के लिये पी.एम. विकास पैकेज एवं खेलो इंडिया केंद्र को प्रोत्साहन।
- **पर्यटन, कला और शिल्प क्षेत्रों का विकास:** हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के प्रसार एवं विकास के लिये नवीन ऊन प्रसंस्करण, हस्तशिल्प व हथकरघा नीति, 2020 को अपनाया गया।
- **कट्टरवाद विरोधी अभियान:** कश्मीर में अलगाववाद को दूर करने तथा शेष भारत के साथ इसको एकीकृत करने के लिये कट्टरवाद विरोधी अभियान शुरू किये गए।
- **राजनीतिक संवाद:** राजनीतिक संवाद को प्रोत्साहित करने और स्थानीय राजनीति में क्षेत्रीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये राजनेताओं के साथ युवा पीढ़ी के जुड़ाव को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- हालाँकि सरकार का दृष्टिकोण इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास बहाल करना है लेकिन कश्मीर में स्थिति जटिल बनी हुई है। अब समय आ गया है कि सरकार द्वारा राज्य के लोगों के शेष भारत के साथ पूर्ण एकीकरण हेतु अनुकूल नीतियाँ लागू की जाएँ।

प्रश्न: 10. सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार/गोला-बारूद, ड्रग्स आदि मानवरहित हवाई वाहनों (यू.ए.वी.) की मदद से पहुँचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिये किये जा रहे उपायों पर टिप्पणी कीजिये।

उत्तर: मानवरहित हवाई वाहन (यू.ए.वी.) 'दूरस्थ रूप से संचालित या स्व-चालित विमान होते हैं जो कैमरे, सेंसर, संचार उपकरण या हथियार/गोला-बारूद, ड्रग्स के साथ अन्य पेलोड से लेस हो सकते हैं।' इनका उपयोग सीमा पार के विरोधियों द्वारा किया जा सकता है और यह आंतरिक सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा हो सकता है।

चिंता का कारण

- ये अधिक ऊँचाई और कम गति पर उड़ सकते हैं जिससे सीमा सुरक्षा बलों के लिये इनका पता लगाना तथा इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है।
- इन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे घुसपैठ के प्रयासों में विरोधियों को जोखिम कम हो जाता है।
- ड्रोन का उपयोग जासूसी उद्देश्यों के लिये भी किया जा सकता है, जिससे अनधिकृत व्यक्तियों को सैन्य प्रतिष्ठानों, महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे और अन्य प्रमुख लक्ष्यों के बारे में संवेदनशील जानकारी एकत्रित करने में सहायता मिलती है।

खतरों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा किये गये उपाय

- **तकनीकी उन्नयन:** एंटी-ड्रोन हथियारों एवं डिटेक्शन सिस्टम की तैनाती जैसे रडार, जैमर आदि के साथ एंटी-ड्रोन सिस्टम जैसे स्काईवॉल 100 और ड्रोनगन टैक्टिकल चिमेरा को विकसित करने के प्रयास करना।
- **सैन्य बलों द्वारा खुफिया जानकारी जुटाना:** बी.एस.एफ. द्वारा गश्त एवं अवलोकन चौकियों के माध्यम से चौबीसों घंटे निगरानी करने के साथ सीमा पर फेंसिंग, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है।
- **संस्थागत पहल:** गृह मंत्रालय ने विरोधी ड्रोनों का मुकाबला करने के लिये उपलब्ध तकनीक का मूल्यांकन करने हेतु एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया है।

- **सरकारी सहयोग:** उच्च स्तरीय ड्रोन के विकास हेतु इज़राइल जैसे देशों के साथ सक्रिय सहयोग पर बल दिया गया है।
- **DRDO निशांत:** इसे मुख्य रूप से दुश्मन के क्षेत्र की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग टोही, प्रशिक्षण, निगरानी एवं लक्ष्य भेदन के लिये भी किया जाता है।
- **मानवरहित विमान प्रणाली को काउंटर (C-UAS) करने की रणनीति:** इसमें संचार लाइनों को अवरुद्ध करना और अवांछित ड्रोन को गिराना शामिल है।
- प्रौद्योगिकी के उद्भव के साथ ही आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न हुआ है। इसलिये समय की मांग है कि एक ऐसी व्यापक ड्रोन रणनीति विकसित की जाए जिसमें उच्च क्षमता वाले ड्रोन के विकास हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को महत्त्व दिया जाए।

प्रश्न: 11. भारत में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोज़गारी की गणना के लिये अपनाई गई पद्धतियों का परीक्षण कीजिये और सुधार के सुझाव दीजिये।

उत्तर: संरचनात्मक बेरोज़गारी मूल रूप से एक अनैच्छिक बेरोज़गारी है जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण होती है, जैसे कि एक नई तकनीक या उद्योग का विकास या जनसंख्या के पास मौजूद कौशल और बाज़ार में उपलब्ध नौकरी में सुमेलन के अभाव के कारण। भारत में संरचनात्मक बेरोज़गारी के प्रमुख कारण ों में श्रम बाज़ार की कठोरता, भौगोलिक कारण, कृषि पर निर्भरता, अवसंरचनात्मक की बाधाएँ एवं नियामक चुनौतियाँ शामिल हैं।

देश में बेरोज़गारी की गणना के लिये अपनाई गई पद्धतियाँ

NSSO द्वारा गणना

- **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS):** इसके अंतर्गत एक सप्ताह की अल्प संदर्भ अवधि को अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को नियोजित माना जाता है जिन्होंने पिछले सात दिनों में कम-से-कम एक दिन न्यूनतम एक घंटा कार्य किया हो। उदाहरण के लिये, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिये शहरी क्षेत्रों में CWS में श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2022 की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में बढ़कर 48.2 प्रतिशत हो गई।
- **सामान्य सिद्धांत स्थिति और सहायक स्थिति (UPSS):** प्रधान स्थिति दृष्टिकोण का एक विस्तार है। यदि किसी व्यक्ति ने पूर्ववर्ती 365 दिनों के दौरान 30 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिये किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न रहा है, तो एक व्यक्ति को इस दृष्टिकोण के तहत नियोजित माना जाता है।
- **वर्तमान दैनिक स्थिति:** यह उन लोगों की संख्या को इंगित करता है जिन्हें सप्ताह में एक या अधिक दिनों तक कार्य नहीं मिला।
- **श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण:** श्रम ब्यूरो भारत में बेरोज़गारी और रोज़गार संबंधी आँकड़े प्राप्त करने के लिये सर्वेक्षण का कार्य करता है। उदाहरण के लिये, अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना-आधारित रोज़गार सर्वेक्षण (AQEES)।

आगे की राह

- **सर्वेक्षणों की आवृत्ति में वृद्धि:** सर्वेक्षणों की समयबद्धता और अद्यतनीकरण सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि बढ़ी हुई आवृत्ति बदलते रोज़गार रुझानों की बेहतर समझ प्रदान करती है।
- **कृषि का आधुनिकीकरण:** कृषि के निवेश में वृद्धि, अग्रवर्ती एवं पश्चवर्ती शृंखलाओं के माध्यम से कई गुना प्रभाव छोड़ सकती है, उदाहरण के लिये, शीत भंडारण को बढ़ावा देना।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का समावेश:** 80 प्रतिशत से अधिक श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है जिसे औपचारिक क्षेत्र में शामिल करने की आवश्यकता है।
- **मौसमी समायोजन:** कृषि और अन्य मौसमी रोज़गार प्रवृत्तियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मौसमी समायोजन तकनीकों में सुधार की आवश्यता है।
- **निष्कर्ष:** अब समय आ गया है कि भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने एवं कुछ चुनौतियों तथा बेरोज़गारी बाधाओं के साथ समृद्ध जनसांख्यिकीय लाभांश का पोषण करने के लिये अपनाई गई पद्धतियों के अद्यतनीकृत करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: 12. 'देखभाल अर्थव्यवस्था' और 'मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था' के बीच अंतर कीजिये। महिला सशक्तीकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है?

उत्तर: 'देखभाल अर्थव्यवस्था' और 'मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था' कार्य की प्रकृति एवं मूल्य से संबंधित हैं तथा ये आर्थिक गतिविधियों के दो अलग-अलग पहलू हैं।

- देखभाल अर्थव्यवस्था के तहत देखभाल और सामाजिक सहायता प्रदान करने से संबंधित अवैतनिक या कम भुगतान वाले कार्यों को संदर्भित किया जाता है, जो अक्सर घरों के अंदर किये जाते हैं, उदाहरण के लिये; बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, घरेलू कार्य आदि। कुछ हद तक इसमें सीमित भुगतान वाली नर्सों की देखभाल सेवाएँ (अक्सर महिलाओं की) शामिल होती हैं। ऐसी गतिविधियों के लिये भुगतान आमतौर पर बिल्कुल नहीं या बहुत कम मिलता है। मानव विकास एवं सामाजिक एकजुटता में महत्त्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद इसे बहुत कम महत्त्व दिया गया है।
- मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में ऐसी सभी आर्थिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं जिन्हें मौद्रिक मूल्य के संदर्भ में संबोधित किया जाता है। इसमें वस्तुओं के उत्पादन के साथ वित्त, व्यापार, आदि शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। इसमें प्रतिकर मौद्रिक मूल्य के रूप में प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था में होने वाले कार्य एवं उत्पादित वस्तुओं का भुगतान वेतन आदि के रूप में किया जाता है। इसका आकलन सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान से किया जाता है और इसे अक्सर आर्थिक विकास के मापन के रूप में उपयोग किया जाता है।

महिला सशक्तीकरण के माध्यम से देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के तरीके

- सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है जो देखभाल संबंधी भूमिकाओं में महिलाओं के लिये आय सुरक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिये, ऐसी भूमिकाओं में संलग्न महिलाओं के लिये पेंशन बीमा।
- बेहतर परिवर्तन के लिये कौशल विकास और औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को शामिल करने पर जोर दिया जाना चाहिये।
- देखभाल वाली अर्थव्यवस्था में सरकार एवं नागरिक समाज संगठनों के मध्य लैंगिक रूप

से तटस्थ सुधारों और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिये सहायक सरकारी नीतियों की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिये, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये राष्ट्रीय क्रेच योजना आदि।
- देखभाल क्षेत्र के लिये तकनीकी समाधानों पर विचार किया जा सकता है जो समय की बचत और महिलाओं को औपचारिक क्षेत्र के रोज़गार के लिये समुचित परिस्थितियों का निर्माण करे।
- देखभाल अर्थव्यवस्था का मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में एकीकरण न केवल महिलाओं के लिये आर्थिक अवसरों में वृद्धि करेगा बल्कि एक अधिक समावेशी तथा न्यायसंगत समाज के निर्माण में अहम भूमिका अदा करेगा।

प्रश्न: 13. खपत पैटर्न और विपणन दशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में, भारत में फसल प्रारूप (क्रॉपिंग पैटर्न) में हुए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिये।

उत्तर: फसल प्रारूप में परिवर्तन उपभोक्ताओं की उभरती मांग, विपणन गतिशीलता और आर्थिक कारकों को दर्शाते हैं, साथ ही ये खपत पैटर्न तथा विपणन गतिशीलता के साथ निकटता से संबंधित हैं।

विपणन दशाओं में परिवर्तन का फसल प्रारूप पर प्रभाव

- बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से किसानों का बेहतर बाज़ार तक पहुँच में विस्तार हुआ है और इससे कुछ फसलों की कृषि को प्रोत्साहन भी मिला है।
- अल्फांसो आम, बासमती चावल जैसी कुछ फसलों के लिये अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच होने से उनकी कृषि में वृद्धि हुई है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तंत्र जैसी सरकारी पहल किसानों को इसके अंतर्गत आने वाली फसलें उगाने के लिये प्रोत्साहित करती है।
- राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-NAM) का उद्देश्य फसल उत्पादकों को बेहतर मूल्य के साथ बाज़ार तक आसान पहुँच प्रदान करना है।

खपत पैटर्न में परिवर्तन का फसल प्रारूप पर प्रभाव

- आय में वृद्धि और शहरीकरण के साथ प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों, फलों, सब्ज़ियों, डेयरी, पोल्ट्री आदि की मांग में भी वृद्धि हुई है।
- स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण जैविक और पोषक तत्त्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी है।
- रसायन-मुक्त भोजन की मांग में वृद्धि के साथ, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स फसलों में वृद्धि के कारण विदेशी भोजन की मांग में भी वृद्धि देखी जा सकती है।
- उपभोक्ता की प्राथमिकता, विपणन दशाएँ, सरकारी नीतियाँ, तकनीकी प्रगति सहित अन्य कई कारक फसल प्रारूप में परिवर्तन को आकार देते हैं।

प्रश्न: 14. भारत में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या हैं? विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधी मुद्दों की विवेचना कीजिये।

उत्तर: सब्सिडी सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों अथवा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का एक रूप है। सब्सिडी का प्राथमिक उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की लागत को कम करना तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।

भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी

- किसानों के लिये उर्वरकों को किफायती बनाने के लिये सरकार NPK उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करती है।
- HYV और आनुवंशिक रूप से उन्नत किस्मों के बीजों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये प्रमाणित बीजों पर सब्सिडी प्रदान करती है।
- पी.एम.-किसान योजना के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष ₹6,000 का सीधा नकद अंतरण करती है।
- किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिये भी सब्सिडी प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिये, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) योजना।
- भारत सरकार कुछ प्रमुख फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करती है, इसके तहत किसानों को विभिन्न फसलों के लिये गारंटीकृत मूल्य प्रदान किया जाता है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधी मुद्दे

- WTO के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र व्यापार को विकृत करता है, विशेष रूप से चावल के संदर्भ में, जिसमे सब्सिडी निर्धारित सीमा से काफी अधिक है।
- WTO भारत की कृषि पद्धतियों को पर्यावरण के लिये हानिकारक मानता है क्योंकि कृषि उपयोगों के लिये भू-जल का अत्यधिक दोहन तथा उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग चिंता का विषय बन गया हुआ है।
- कृषि संबंधी वस्तुओं की निर्यात मात्रा बढ़ाने के लिये घरेलू कृषि निर्यातकों को प्रदान किया जाने वाला सरकारी समर्थन भी चिंता का एक अन्य विषय रहा है।
- कृषि भारत की लगभग आधी आबादी के लिये रोज़गार का स्रोत है और खाद्य असुरक्षा तथा बेरोज़गारी को कम करने में सब्सिडी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैश्विक व्यापार प्रथाएँ इस प्रकार होनी चाहिये जिससे विकासशील देशों को अपनी आबादी के बड़े हिस्से को निर्धनता से बाहर निकालने के लिये पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके।

प्रश्न: 15. इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में वे क्या प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं?

उत्तर: पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता और अधिक धारणीय परिवहन विकल्प सुनिश्चित करने तथा तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये बढ़ते सरकारी प्रोत्साहन के कारण वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में वृद्धि हुई है।

कार्बन उत्सर्जन कम करने में इलेक्ट्रिक वाहनों की भूमिका

- अधिक ऊर्जा कुशल होने के कारण इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक वाहनों की तुलना में ऊर्जा की कम खपत करते हैं और कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं।
- वे जीवाश्म ईंधन, विशेष रूप से गैसोलीन उत्पादों पर निर्भरता कम करते हुए ऊर्जा विकल्पों में विविधता प्रदान करते हैं।

- इलेक्ट्रिक वाहन विद्युत पर चलती है जिसे नवीकरणीय ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड, CO_2 आदि जैसे GHG के प्रत्यक्ष उत्सर्जन को कम करने में काफी मदद करता है।
- आंतरिक दहन इंजन से इलेक्ट्रिक मोटर में संक्रमण कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन और अन्य प्रदूषकों में कमी लाने में मदद करता है, जो अंततः वायु गुणवत्ता में सुधार तथा हरित भविष्य के निर्माण में योगदान देता है।

पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमुख लाभ

- कम ईंधन और रखरखाव लागत के कारण इलेक्ट्रिक वाहन गैसोलीन उत्पादों की तुलना में किफायती विकल्प प्रदान करते हैं।
- वे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को काफी कम कर सकते हैं, खासकर जब उन्हें नवीकरणीय स्रोतों से चार्ज किया जाता है।
- इलेक्ट्रिक वाहन अच्छी मात्रा में टॉर्क और त्वरण प्रदान करते हैं और एक शानदार ड्राइविंग अनुभव प्रदान करते हैं।
- वे पारंपरिक वाहनों की तुलना में अधिक शांत होते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण कम करते हुए अधिक सुखद वातावरण के निर्माण में योगदान देते हैं।
- इलेक्ट्रिक वाहन बेहतर हैंडलिंग अर्थात चलाने में सरल होते हैं और आरामदायक भी होते हैं।
- पारंपरिक वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन कई फायदे प्रदान करते हैं लेकिन विद्युत का सतत स्रोतों से उत्पादन अभी भी चिंता का विषय है। तकनीकी प्रगति और सरकारी प्रोत्साहनों के साथ इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषक गैस उत्सर्जनरहित भविष्य के लिये एक संभावित समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रश्न: 16. भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है जिसे इसके पहले के मिशन में हासिल नहीं किया जा सका? जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है उनकी सूची दीजिये। प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उपप्रणालियों को प्रस्तुत कीजिये और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के 'आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र' की उस भूमिका का वर्णन कीजिये जिसने श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया है।

उत्तर: चंद्रयान-3, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन है इसके माध्यम से भारत ने विश्व के समक्ष इतिहास रचने का कार्य किया है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ चंद्रमा पर इस प्रकार का सफल प्रक्षेपण करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है।

चंद्रयान-3 में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे। रोवर का लक्ष्य लैंडिंग साइट के चारों ओर अंवेषण कार्य करना एवं प्रयोग करना है तथा प्राप्त आँकड़ों को लैंडर को प्रेषित करना है जो तद्नुसार ऑर्बिटर को आँकड़े भेजेगा, अंततः ऑर्बिटर इन आँकड़ों को पृथ्वी पर भेजने का कार्य करेगा। चंद्रयान-3 एक महत्त्वपूर्ण मिशन बन सकता है क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों पर जल, बर्फ और अन्य संसाधन मौजूद हो सकते हैं। इसके लिये, चंद्रयान-3 में मौजूद विभिन्न उपप्रणालियाँ इससे संबंधित प्रयोगों के लक्ष्य अंतर्निहित करती हैं।

लैंडर पेलोड

- चंद्रमा की सतह पर और सतह के नीचे तक का तापमान मापने के लिये प्रयोग (Chandra's Surface Thermophysical Experiment-ChaSTE): यह तापीय चालकता एवं तापमान को मापता है।
- **चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधि मापने के लिये उपकरण (ILSA):** यह लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीय आवृत्तियों को मापता है।
- **लैंगमुइर प्रोब (LP):** यह प्लाज़्मा घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तनों का अनुमान लगाता है।

रोवर पेलोड

- **अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (APXS):** यह चंद्रमा की मृदा और चट्टानों की मौलिक संरचना का अध्ययन करता है।
- **लेज़र इंद्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (LIBS):** यह चंद्रमा की सतह रासायनिक संरचना का अध्ययन एवं खनिज संरचना संबंधी प्रयोग करता है।

प्रणोदन मॉड्यूल पेलोड

'स्पेक्ट्रो-पोलरिमेट्री फॉर हेबीटेबल प्लैनेट अर्थ' (SHAPE) इसका उद्देश्य बाहरी ग्रहों पर अधिवास योग्य परिस्थितियों का अध्ययन करना है।

वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर की भूमिका

- **ऑपरेशन का मुख्य केंद्र:** प्रक्षेपण और मिशन की सभी प्रक्रियाओं एवं उनके संचालन को इसी स्थान से नियंत्रित किया गया है।
- **मास्टर कंट्रोल:** किसी भी असामान्यता, सुरक्षा प्रोटोकॉल या मिशन को अंतिम रूप से समाप्त किये जाने की स्थिति में यहाँ से संचालन किया जा सकता है।
- चंद्रयान-3 की सफलता के साथ ही भारत अब चंद्रयान-4 मिशन के अंतर्गत चंद्रमा की सतह से नमूना पुनर्प्राप्ति की आशा कर सकता है जो चंद्रमा सतह के संबंध में हमारे ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक होगा। इस सफल प्रक्षेपण के परिणामस्वरूप हमारे मनोबल में हुई वृद्धि आगामी मिशनों के लिये भी प्रेरणा प्रदान करेगी।

प्रश्न: 17. भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिये और रामसर स्थलों में शामिल अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की भारत की कुछ आर्द्रभूमियों के नाम लिखिये।

उत्तर: रामसर अभिसमय आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। अभिसमय के तहत सूचीबद्ध आर्द्रभूमि को अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि कहा जाता है। भारत में महत्त्वपूर्ण रामसर स्थलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **करीकिली पक्षी अभ्यारण्य (तमिलनाडु):** यह जलकाग, ग्रे हेरॉन और ओपन-बिल्ड स्टॉर्क का अधिवास है।
- **पिचावरम मैंग्रोव (तमिलनाडु):** यह मैंग्रोव वन का एक विशाल द्वीप है।
- **चंद्र ताल:** यह दो प्रमुख उच्च स्थलों पर मौजूद रामसर आर्द्रभूमियों में से एक है।
- राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP) को मीठे जल की आपूर्ति, संसाधन क्षेत्र के रूप में, जैव विविधता, बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण और जलवायु परिवर्तन शमन जैसे आर्द्रभूमि द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए उनके संरक्षण हेतु आरंभ किया गया था। NWCP स्थानीय समुदायों को उनके द्वारा प्रदान किये गए लाभों तक पहुँच सुनिश्चित करते हुए आर्द्रभूमि को संरक्षित करने और क्षरण को रोकने का प्रयास करता है।

NWCP का महत्त्व

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) ने 115 आर्द्रभूमियों की पहचान की है जिनके लिये तत्काल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है।
- यह आर्द्रभूमियों को उसी प्रकार परिभाषित करता है जैसा कि आर्द्रभूमियों को रामसर अभिसमय के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।
- यद्यपि आर्द्रभूमियों का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, तथापि वित्त, तकनीकी सहायता और समग्र समन्वय के लिये केंद्र सरकार उत्तरदायी है।

NWCP के उद्देश्य

- आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिये नीति दिशा-निर्देश बनाना।
- आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना और उसका रखरखाव करना।
- राज्यों को वित्तीय सहायता का आवंटन।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- संस्थानों द्वारा बहुविषयक अनुसंधान को प्रायोजित करना।
- प्रयासों में समन्वय लाने और प्रशासन के अतिव्यापन से बचने के लिये राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP) एवं राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (NLCP) का विलय राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी संरक्षण योजना (NPCA) के अंतर्गत कर दिया गया था। यही कारण है कि वर्तमान में भारत अपनी आर्द्रभूमियों के संरक्षण में काफी हद तक सफल रहा है।

प्रश्न: 18. जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) ने वैश्विक समुद्र जलस्तर में 2100 ईस्वी तक लगभग एक मीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों पर इसका क्या प्रभाव होगा?

उत्तर: वैश्विक तापन और उससे जुड़ी समस्याएँ, जो कभी पूर्व की धारणाएँ मात्र थीं, अब वास्तविक समस्याएँ बन गई हैं। IPCC की रिपोर्ट जारी होने के पश्चात से वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि और इसके प्रभाव पर व्यापक रूप से चर्चा हो रही है।

भारत और क्षेत्र पर प्रभाव

पर्यावरणीय प्रभाव

- **तटरेखा का संकुचन:** भारत को अपनी विशाल तटरेखा से अत्यधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। यदि तटरेखा का संकुचन होगा तो यह आर्थिक लाभ संकट में पड़ जाएगा।
- **तटीय आर्द्रभूमि का क्षरण:** तटीय क्षेत्रों के निकट आर्द्रभूमियों के क्षरण एवं विलुप्त होने का खतरा है।
- **प्रवाल विरंजन:** समुद्र की सतह के बढ़ते स्तर के परिणामस्वरूप मीठे जल के तनुकरण से प्रवाल विरंजन होना स्वाभाविक है।
- **जीव-जंतुओं का विस्थापन:** जीव-जंतु एवं जैव-विविधता का स्वयं के पर्यावरण से विस्थापन पारिस्थितिक तनाव उत्पन्न करेगा।
- **भू-जल लवणता:** समुद्री अलवणीय जल से भू-जल दूषित हो जाता है, जिससे उपयोग योग्य भू-जल की उपलब्धता कम हो जाती है।

आर्थिक प्रभाव

- **संपत्ति और संसाधन:** तटीय आपदाओं की बढ़ती घटनाओं के कारण संपत्ति और संसाधनों को होने वाली हानि राष्ट्र के लिये संकट उत्पन्न करेगी।
- **आजीविका की हानि:** लागत आधारित व्यवसायों में रोज़गार प्रभावित होगा क्योंकि आजीविका के विकल्पों की कमी के कारण लोगों को स्थानांतरित होना पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप रोज़गार का पैटर्न भी परिवर्तित होगा।

सामाजिक प्रभाव

- **जन विस्थापन:** जलवायु शरणार्थी उन लोगों का एक समूह है जो जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है।
- **अंतर्देशीय तनाव:** तटीय क्षेत्रों में परिवर्तन के कारण विस्थापित लोग अंतर्देशीय स्थानों की ओर जाने के लिये बाध्य हैं, जिससे पूर्व से ही तनावग्रस्त संसाधनों पर दबाव पड़ेगा।

उपाय

- मैंग्रोव वृक्षारोपण जैसी गतिविधियाँ बढ़ती समुद्री तटीय समस्याओं को कम करने में सहायता कर सकती हैं।
- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) नियम एवं एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना तटीय क्षेत्रों में प्रबंधन और संसाधन उपयोग को विनियमित करने का प्रयास करती है।
- कई अन्य शोध और भी अधिक विनाशकारी परिणामों के साथ इन प्रभावों की भावी संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को विशेष रूप से बढ़ते समुद्र के स्तर से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिये एक समग्र नीति पर कार्य करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: 19. भारत के समक्ष आने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिये नियुक्त केंद्रीय खुफिया और जाँच एजेंसियों की भूमिका बताइये।

उत्तर: एक संप्रभु राष्ट्र का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व अपने नागरिकों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से सुरक्षा करना है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने विद्रोह, उग्रवाद और बाह्य सहायता प्राप्त विद्रोह सहित विभिन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है।

भारत के समक्ष आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ

- **अलगाववादी गतिविधियाँ:** हमारे देश में अलगाववादी भावनाएँ स्वतंत्रता के समय से ही मौजूद रही हैं तथा अभी भी कानून और व्यवस्था के लिये एक प्रमुख चुनौती बनी हुई हैं। उदाहरण के लिये, नगालैंड अलगाववाद, कश्मीरी अलगाववाद आदि।
- **सांप्रदायिकता:** दो प्रमुख धार्मिक समूहों के बीच विवादों के कारण अक्सर पारस्परिक घृणा और झगड़े उत्पन्न होते हैं। इससे अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। समूहों के मध्य बढ़ती घृणा हमारे नागरिकों को अनुचित गतिविधियों के लिये प्रेरित करने का आसान लक्ष्य बनाती है।

- **अवैध प्रवासन:** विगत कुछ वर्षों में अवैध प्रवासन ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन और बेरोज़गारी में वृद्धि जैसी कई आंतरिक समस्याओं को जन्म दिया है, जिससे देश के संसाधनों पर दबाव पड़ा है।
- **वामपंथी उग्रवाद:** यह मुख्यत: भारत के मध्य और पूर्वी हिस्सों में विद्यमान है तथा इसकी राजनीतिक विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद या माओवाद को चिह्नित किया जाता है। सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ और भौगोलिक अलगाव इसके उद्भव के लिये ज़िम्मेदार कारक हैं।

भारत में कार्रवाई करने के विभिन्न अधिदेशों के साथ कार्यरत विभिन्न खुफिया और अन्वेषण एजेंसियाँ मौजूद हैं, इनमें प्रमुख हैं:

- **राष्ट्रीय अंवेषण अभिकरण (NIA):** यह भारत की प्रमुख आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन अभिकरण है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जाँच करती है।
- **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB):** यह विभिन्न स्वापक औषधियों एवं मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य समन्वय करने वाली शीर्ष संस्था है। यह संपूर्ण भारत में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कार्य करती है।
- **राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI):** यह प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी की खुफिया जानकारी और उससे संबंधित मामलों की जाँच करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य काले धन के प्रसार और धन शोधन को रोकना भी है।
- **इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB):** यह देश के भीतर जानकारी एकत्र करने एवं आतंकवाद-रोधी अभियानों को अंजाम देने के लिये ज़िम्मेदार शीर्ष खुफिया निकाय है। यह घरेलू खुफिया और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों में कार्य करती है।
- **रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW):** इसने इंटेलिजेंस ब्यूरो से विदेशी खुफिया सूचनाओं के प्रबंधन का कार्य प्राप्त किया था। वर्तमान में यह विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करती है, आतंकवाद-रोधी अभियान चालित करती है एवं भारतीय नीति निर्माताओं परामर्श प्रदान करती है।
- **केंद्रीय अंवेषण ब्यूरो (CBI):** इसका गठन संथानम समिति की अनुशंसाओं पर किया गया था, यह अंवेषण हेतु एक प्रमुख पुलिस एजेंसी है। यह अंवेषण का कार्य करती है एवं इंटरपोल के लिये समन्वय संस्था के रूप में भी कार्य करती है।
- किसी राष्ट्र के विकास के लिये आंतरिक सुरक्षा एक अनिवार्य विषय है। भारतीय खुफिया एवं अंवेषण एजेंसियाँ हमारे राष्ट्र के गुमनाम नायक हैं और इन संस्थाओं ने हमारे जीवन को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।

प्रश्न: 20. भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों पर अंकुश लगाने के लिये किये गए प्रयासों को बताइए। इस आलोक में हाल ही में नई दिल्ली में नवंबर 2022 में हुई 'आतंकवाद के लिये धन नहीं' (NMFT)' संगोष्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्य की भी विवेचना कीजिये।

उत्तर: वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद से ही भारत विभिन्न प्रकार की आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों का साक्षी रहा है। विगत कुछ वर्षों में भारत ने अपनी गलतियों से सीख ली है और आतंकवाद के वित्तपोषण तथा अन्य संबंधित गतिविधियों को सबक देने के लिये कई तरीके विकसित किये हैं।

आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत:

- **राज्य प्रायोजित आतंकवाद:** राजनयिक हितों को आगे बढ़ाने के लिये आतंक का उपयोग एक पूर्व विदित अभ्यास रहा है। राज्य अपराधों को प्रायोजित करते हैं और आतंकवादियों का सहयोग एक नीति के रूप में करते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने उद्देश्यों के लिये उनका उपयोग कर सकें।
- **जाली मुद्रा:** इसमें जाली मुद्रा को सीधे छापना और बाज़ार में प्रसारित करना शामिल है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिये पड़ोसी राज्यों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है।
- **संगठित अपराध:** आपराधिक संगठन आमतौर पर मिल जुलकर कार्य करते हैं और अक्सर बड़े आतंकवादी समूहों से संबद्ध होते हैं। इन दोनों के बीच संसाधनों का प्रवाह दोतरफा होता है।
- **जबरन वसूली:** यह भारत में विशेषकर उत्तर-पूर्व में आतंकवाद के वित्तपोषण का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है।
- **हवाला प्रणाली:** यह आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के माध्यम से धन के स्थानांतरण का एक अवैध तरीका है जिसका उपयोग आपराधिक नेटवर्क द्वारा किया जाता है।

स्रोतों पर अंकुश के लिये किये गए प्रयास

- **राष्ट्रीय अंवेषण अभिकरण (NIA):** यह राज्यों की विशेष अनुमति लिये बिना राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को संबोधित करने लिये भारत की प्रमुख संस्था है।
- **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA):** यह आतंकवाद-रोधी कानून किसी व्यक्ति को "आतंकवादी" के रूप में नामित करने का प्रयास करता है।
- **नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID):** यह आतंक और अपराध से संबंधित सूचनाओं की एक केंद्रीकृत डेटा लाइब्रेरी है।
- **समाधान सिद्धांत:** इसे विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद की चुनौतियों को संबोधित करने के लिये विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण को समाप्त करना है।
- हाल ही में आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण पर तीसरी 'श्नो मनी फॉर टेररश (NMFT)' मंत्रिस्तरीय संगोष्ठी नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई थी। इसके प्रमुख लक्ष्यों में:
- आतंकवाद एवं उग्रवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिये वैश्विक सहयोग स्थापित करना।
- इस संबंध में देश में एक सचिवालय की स्थापना करना, जो कि कोई जाँच संस्था नहीं होगी बल्कि सहकारिता एवं सहभागिता की अवधारणा पर कार्य करेगी।
- नवीन उभरते खतरों एवं आतंकवाद के प्रचार-प्रसार के तरीकों की जाँच करना।
- दो शत्रु पड़ोसियों से घिरा होने के कारण भारत आंतरिक सुरक्षा के प्रश्न पर आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता है। भारत ने कई उपायों के माध्यम से आतंकवाद के विरुद्ध अपने संघर्ष को जारी रखा है ताकि आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत किया जा सके। ■■■

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-IV

प्रश्न: 1 (a). भारत में कॉर्पोरेट शासन के संदर्भ में "नैतिक ईमानदारी" और "पेशेवर दक्षता" से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: कॉर्पोरेट शासन ऐसे नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं की प्रणाली को संदर्भित करता है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई कंपनी केवल कॉर्पोरेट लाभ के बजाय व्यावसायिक ज़िम्मेदारी एवं पारदर्शी तरीके से संचालित हो सके।

- भारत में कॉर्पोरेट शासन के संदर्भ में 'नैतिक ईमानदारी' और 'पेशेवर दक्षता' ऐसे दो प्रमुख सिद्धांत हैं जो संगठनों के अंदर नैतिक आचरण के साथ ज़िम्मेदार प्रबंधन का मार्गदर्शन करते हैं।
- **नैतिक ईमानदारी:** कॉर्पोरेट शासन में नैतिक ईमानदारी का तात्पर्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं में मज़बूत नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के पालन से है। इसमें न केवल कानूनों और विनियमों के अनुपालन पर बल दिया जाता है बल्कि ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं ज़िम्मेदारी के साथ नैतिक रूप से उचित कार्य को प्राथमिकता दी जाती है।
  - **उदाहरण:** यदि कोई कंपनी अपने वित्तीय परिणामों की रिपोर्ट ईमानदारी से प्रदर्शित करती है (चाहे उससे कंपनी के लाभ में गिरावट आने के साथ वित्तीय चुनौतियाँ उत्पन्न हों) तो इससे उस कंपनी की नैतिक ईमानदारी प्रदर्शित होती है।
- **व्यावसायिक दक्षता:** कॉर्पोरेट शासन के संदर्भ में व्यावसायिक दक्षता का आशय कंपनी के संचालन में संसाधनों के प्रभावी एवं ज़िम्मेदार प्रबंधन से है। इसमें प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना, जोखिमों का प्रबंधन करना और सभी हितधारकों के हितों पर विचार करते हुए शेयरधारकों के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करने वाले निर्णय लेना शामिल है।
  - **उदाहरण:** नवीनतम प्रौद्योगिकियों और डिजिटल उपकरणों को अपनाने से पेशेवर दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
- नैतिक ईमानदारी और पेशेवर दक्षता प्रदर्शित करने वाली कंपनियाँ अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने तथा निवेश आकर्षित करने के साथ भारत के समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सकारात्मक योगदान दे सकती हैं।

(b) 'संसाधन के अभाव से ग्रस्त' राष्ट्रों की मदद के लिये 'अंतरराष्ट्रीय सहायता' एक स्वीकृत व्यवस्था है। 'समसामयिक अंतरराष्ट्रीय सहायता में नैतिकता' पर टिप्पणी कीजिये। अपने उत्तर को उचित उदाहरणों द्वारा पुष्ट कीजिये।

उत्तर: संसाधन के अभाव से ग्रस्त राष्ट्रों की मदद के लिये अंतरराष्ट्रीय सहायता आवश्यक है क्योंकि इसके तहत ऐसे आवश्यक संसाधन, विशेषज्ञता और सहायता प्राप्त होती है जिससे जीवन स्तर में सुधार होने के साथ आर्थिक विकास एवं दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। समकालीन अंतरराष्ट्रीय सहायता को प्रभावी, सम्मानजनक एवं सतत् बनाने में नैतिकता आवश्यक है, जैसे:

- **प्राप्तकर्ता राष्ट्रों की स्वायत्तता का सम्मान**- राष्ट्रों की स्वायत्तता का सम्मान करने के क्रम में UNDP अपनी स्वयं की विकास योजनाएँ बनाने के लिये विभिन्न देशों के साथ साझेदारी करता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेहिता**- ऑक्सफैम जैसे चौरिटी संगठन फंडिंग स्रोतों, व्यय और परियोजना परिणामों के संबंध में नियमित रूप से अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं।
- **हानि और निर्भरता से बचना**- बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों के सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम द्वारा व्यक्तियों को व्यवसाय शुरू करने के लिये सूक्ष्म ऋण प्रदान किये जाते हैं।
- **दीर्घकालिक स्थिरता**- हरित जलवायु कोष, जलवायु अनुकूलन और शमन परियोजनाओं का समर्थन करता है।
- **मानवीय सिद्धांत**- डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संगठन विश्व स्तर पर संघर्ष वाले क्षेत्रों में सकारात्मक कार्य करता है।

हालाँकि इसमें समकालीन अंतरराष्ट्रीय सहायता से संबंधित कुछ चुनौतियाँ भी हैं जैसे:

- **निवेश सहायता को अपने हित साधने का माध्यम बनाना**- चीन अपनी 'ऋण-जाल कूटनीति' के माध्यम से अन्य देशों में निवेश को अपने हित साधने का माध्यम बना रहा है।
- **भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन**- विदेशी सहायता से संबंधित भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण श्रीलंका में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई।

इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय सहायता में नैतिकता के पालन से न केवल इसकी प्रभावशीलता बढ़ती है बल्कि समर्थन प्राप्त करने वाले लोगों और देशों की गरिमा, स्वायत्तता एवं अधिकारों को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

प्रश्न: 2 (a). भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति है। आपके विचार में समाज में बुनियादी मूल्यों के उत्थान के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

उत्तर: भ्रष्टाचार समाज के बुनियादी मूल्यों, जैसे- सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और जवाबदेही की हानि को दर्शाता है। जब लोग नैतिक सिद्धांतों के स्थान पर व्यक्तिगत लाभ को चुनते हैं, तो यह सुशासन, आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय को नुकसान पहुँचाता है।

भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिये समाज में बुनियादी मूल्यों के उत्थान हेतु अपनाए जाने वाले उपाय

- **नैतिक और नीतिपरक शिक्षा:** स्कूली पाठ्यक्रम में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं सहानुभूति जैसे मूल्यों को शामिल करना।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। **उदाहरण:** भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।
- **कानूनी सिद्धांतों का अनुपालन:** ज़ीरो टॉलरेंस के साथ भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के कार्यान्वयन को मज़बूत करना। **उदाहरण:** सिंगापुर की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी, भ्रष्ट आचरण जाँच ब्यूरो अपनी ज़ीरो टॉलरेंस के लिये जानी जाती है।
- **नागरिक सहभागिता:** निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। **उदाहरण:** पोर्टो एलेग्रे, ब्राज़ील में सहभागी बजटिंग।
- **मीडिया की स्वतंत्रता और खोजी पत्रकारिता:** एक स्वतंत्र और सतर्क मीडिया जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है और सत्ता को जवाबदेह बनाती है। **उदाहरण:** पनामा पेपर्स लीक।
- **व्हिसलब्लोअर संरक्षण:** भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने वाले व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा करना। **उदाहरण:** भारत का व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014।

यह एक सामूहिक ज़िम्मेदारी है जिसमें व्यक्ति, संस्थाएँ और नागरिक समाज एक अधिक न्यायपूर्ण एवं नैतिक समाज के निर्माण के लिये मिलकर काम करते हैं तथा इसे संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन (UNCAC) जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों का भी समर्थन प्राप्त है।

(b) उपयुक्त उदाहरण सहित कार्य परिवेश के संदर्भ में, 'ज़बरदस्ती' और 'अनुचित प्रभाव' में अंतर स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: कार्य परिवेश में, 'ज़बरदस्ती' का तात्पर्य किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने, मजबूर करने के लिये बल या धमकी का उपयोग करने तथा 'अनुचित प्रभाव' में दूसरों के निर्णयों में हेरफेर करने के लिये किसी के अधिकार या शक्ति का शोषण करने से है। ये विशिष्ट अवधारणाएँ पेशेवर समायोजन के भीतर नैतिक आचरण और कानूनी अनुपालन को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

पक्ष	ज़बरदस्ती (Coercion)	अनुचित प्रभाव (Undue Influence)
प्रभाव की प्रकृति	स्पष्टत: इसमें अक्सर धमकियाँ शामिल होती हैं (जैसे-समाप्ति की धमकी)।	जटिल और चालाकीपूर्ण, विश्वास का शोषण (जैसे- किसी कर्मचारी की वफादारी में हेरफेर करना)।
कानूनी स्थिति	आमतौर पर स्पष्ट धमकियों या बल (जैसे-ब्लैकमेल) के कारण अवैध।	हमेशा अवैध नहीं हो सकता लेकिन चुनौती दी जा सकती है (जैसे- किसी कर्मचारी को अतिरिक्त कार्य करने के लिये राजी करना)।
मनोवैज्ञानिक प्रभाव	तत्काल भय, तनाव और भावनात्मक संकट (जैसे-चिंता पैदा करना)।	दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव, आत्मविश्वास का क्षरण (जैसे- किसी कर्मचारी के आत्म-सम्मान को कम करना।
रिपोर्टिंग व्यवहार	पीड़ितों द्वारा तुरंत रिपोर्ट किये जाने की अधिक संभावना है (जैसे- कर्मचारी मानव संसाधन को धमकियों की रिपोर्ट कर रहे हैं)।	लंबे समय तक किसी का ध्यान नहीं जा सकता या रिपोर्ट नहीं की जा सकती (जैसे-कर्मचारी चुप रहने के लिये दबाव महसूस कर रहे हैं)।
कार्यस्थल निहितार्थ	कानूनी और नैतिक मानकों का स्पष्ट उल्लंघन (जैसे-श्रम कानूनों का उल्लंघन)।	अनैतिक आचरण संभावित कानूनी मुद्दों (जैसे- पदोन्नति में पक्षपात) को जन्म दे सकता है।

प्रश्न: 3. महान विचारकों के तीन उद्धरण नीचे दिये गए हैं। वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक उद्धरण आपको क्या संप्रेषित करता है?

(a) "दयालुता के सबसे सरल कार्य प्रार्थना में एक हज़ार बार झुकने वाले सिरों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं।"

-महात्मा गांधी

उत्तर: महात्मा गांधी का उपर्युक्त उद्धरण केवल अनुष्ठानों के बजाय परोपकारी/दयालुता संबंधी कार्यों के महत्त्व पर बल देने से संबंधित है। वर्तमान संदर्भ में यह उद्धरण व्यावहारिक दयालुता और इसके सामाजिक प्रभाव के महत्त्व को दर्शाता है।

- **परोपकार का भौतिक प्रभाव:** विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी ने अपनी संपत्ति के प्रमुख हिस्से को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में दान किया है, जिससे लाखों वंचित बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- **समुदाय-आधारित पहल:** भारत में स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA) विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पहलों के माध्यम से कम आय पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
- **सूक्ष्म वित्त के माध्यम से सशक्तीकरण:** ग्रामीण बैंक के माध्यम से सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के अग्रणी कार्यों से गरीब व्यक्तियों को सूक्ष्म वित्त प्रदान किया गया, जिससे उन्हें गरीबी से बाहर निकलने के साथ आजीविका के स्थायी अवसर प्राप्त हुए।
- **सामाजिक उद्यमियों का प्रभाव:** भारत के "पैडमैन" के रूप में पहचाने जाने वाले अरुणाचलम मुरुगनाथम जैसे सामाजिक उद्यमियों ने प्रमुख सामाजिक मुद्दों को हल करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाने वाली उनकी मशीनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ाने के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार किया है।
- **शिक्षा में दयालुता:** अक्षय पात्र फाउंडेशन जैसे संस्थान स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करके परोपकारिता/दयालुता की परिवर्तनकारी क्षमता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इससे न केवल भुखमरी का समाधान होता है बल्कि इससे शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिलता है।

(b) "लोगों को जागरूक करने के लिये महिलाओं को जागृत होना चाहिये। जैसे ही महिलायें आगे बढ़ती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है।"

-जवाहरलाल नेहरू

उत्तर: नेहरू का उपर्युक्त उद्धरण सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। समसामयिक संदर्भ में यह समाज में महिलाओं के महत्त्व एवं व्यापक सामाजिक विकास में उनके योगदान पर बल देता है।

समाज पर महिलाओं का बहुआयामी प्रभाव:

- **मूल्यों को आकार देने में महिलाओं का योगदान:** भारतीय माताएँ, बड़ों के प्रति सम्मान और दूसरों के प्रति दया जैसी अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उन मूल्यों को आकार देने में भूमिका निभाती हैं जो पारिवारिक बंधन और सामाजिक सद्भाव में महत्त्वपूर्ण होते हैं।
- **आर्थिक विकास हेतु सशक्तीकरण:** भारत में स्वयं सहायता समूह (SHG) आंदोलनों ने (विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में) महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उन्हें प्रभावी ढंग से व्यवसाय शुरू करने एवं प्रबंधित करने में सक्षम बनाया है।
- **उत्प्रेरक के रूप में महिला शिक्षा:** भारत में "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान का उद्देश्य समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करने तथा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ अधिक प्रबुद्ध समाज को बढ़ावा देना है।
- **राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएँ:** भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान महत्त्वपूर्ण नीतिगत योगदान दिया।

- **सतत् विकास में महिलाओं की भूमिका:** पर्यावरण कार्यकर्ता वंदना शिवा ने महिलाओं, पर्यावरण तथा विकास के अंतर्संबंध पर ज़ोर देते हुए सतत् कृषि के साथ जैवविविधता के संरक्षण पर बल दिया है।

(c) "किसी से घृणा मत कीजिये, क्योंकि जो घृणा आपसे उत्पन्न होगी, वह निश्चित ही एक अंतराल बाद आप तक लौट आएगी। यदि आप प्रेम करेंगे, तो वह प्रेम चक्र को पूरा करता हुआ आप तक वापस आएगा।"

-स्वामी विवेकानंद

उत्तर: स्वामी विवेकानन्द का उपर्युक्त उद्धरण मानव व्यवहार के बूमरैंग प्रभाव पर प्रकाश डालता है। घृणा, प्रतिशोध की ओर ले जा सकती है जबकि प्रेम से दयालुता और पारस्परिकता की भावना उत्पन्न हो सकती है।

घृणा संबंधी बूमरैंग प्रभाव

- **सोशल मीडिया पर साइबरबुलिंग:** ऑनलाइन अभद्र भाषा के अपराधी समान व्यवहार का लक्ष्य बनने के कारण अपने कार्यों की वजह से ऑनलाइन उत्पीड़न का अनुभव कर सकते हैं।
- **विभाजनकारी राजनीतिक भाषण:** विभाजनकारी भाषा का इस्तेमाल करने वाले राजनेताओं को ऐसे नागरिकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है जो ऐसे कृत्यों के विरोधी होते हैं।
- **धार्मिक उग्रवाद और वैश्विक प्रतिक्रिया:** धर्म के आधार पर नफरत को बढ़ावा देने वाले चरमपंथी समूहों के कार्यों की वजह से इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के साथ स्थानीय प्रतिक्रया को बढ़ावा मिल सकता है।

प्रेम संबंधी बूमरैंग प्रभाव

- **दयालुता को बढ़ावा:** प्रेम और दयालुता के कार्य से सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे दूसरों को सद्भावना के साथ कार्य करने हेतु प्रोत्साहन मिल सकता है।
- **सामुदायिक समर्थन और एकजुटता:** सदस्यों के बीच प्रेम तथा समन्वय को बढ़ावा देने वाले समुदाय संकट के समय में अधिक सुरक्षा एवं सहयोग का अनुभव करते हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय सहायता और समन्वय:** विदेशी सहायता तथा मानवीय सहायता प्रदान करने वाले देशों को अक्सर ज़रूरत के समय बदले में समर्थन प्राप्त होता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में करुणा की पारस्परिक प्रकृति को बढ़ावा मिलता है।

प्रश्न: 4 (a). "सफलता, चरित्र, खुशी और जीवन-भर की उपलब्धियों के लिये वास्तव में जो मायने रखता है वह निश्चित रूप से भावनात्मक कौशलों का एक समूह है- आपका ई.क्यू. न कि विशुद्ध रूप से संज्ञानात्मक क्षमताएँ जो पारंपरिक आई.क्यू. परीक्षणों से मापी जाती है।" क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिये।

उत्तर: EQ का अर्थ इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, जो किसी व्यक्ति की अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने तथा प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है।

- IQ का अर्थ इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, जो किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताओं का पैमाना है, जिसमें समस्या-समाधान, तार्किक तर्क और सीखने की क्षमता शामिल होती है।
- उपलब्धि, चरित्र विकास, खुशी और आजीवन उपलब्धियों के क्षेत्र में EQ का महत्त्व IQ से अधिक है।

कारण

- **प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन:** उच्च EQ वाले व्यक्ति संकट के दौरान संयम बनाए रखते हैं, जैसे Apple में चुनौतियों पर काबू पाने में स्टीव जॉब्स द्वारा प्रदर्शित लचीलापन।
- **प्रभावी नेतृत्व और संघर्ष समाधान:** नेल्सन मंडेला के EQ-संचालित नेतृत्व ने दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र में परिवर्तन के दौरान शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान की सुविधा प्रदान की।
- **सहानुभूति और उन्नत संचार:** मज़बूत EQ वाले स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रोगी के साथ गहन स्तर पर जुड़ते हैं।
- **व्यक्तिगत कल्याण और पूर्ति:** प्रभावी भावना प्रबंधन स्वस्थ रिश्तों और उद्देश्य की भावना में योगदान देती है, जैसा कि सकारात्मक मनोविज्ञान में खुशी की खोज में देखा जाता है।
- **संघर्ष समाधान:** मध्यस्थ सामान्य आधार खोजने के लिये EQ का उपयोग करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहाँ EQ-संचालित वार्ता शांतिपूर्ण समाधान की ओर ले जाती है।

(b) 'नैतिक अंतर्ज्ञान' से 'नैतिक तर्कशक्ति' का अंतर स्पष्ट करते हुए उचित उदाहरण दीजिये।

नैतिक अंतर्ज्ञान	नैतिक तर्कशक्ति
■ इसमें सचेत विचार-विमर्श के बिना नैतिक दुविधाओं के लिये तत्काल, अंत:स्तरीय प्रतिक्रियाएँ शामिल होती हैं। ■ गहराई से समाहित नैतिक मूल्यों और भावनाओं पर निर्भर करता है। *उदाहरण* ■ सहानुभूति महसूस करना और सड़क पर बेघर व्यक्ति की बिना सोचे-समझे सहायता करना। ■ पर्यावरण की रक्षा के प्रति ज़िम्मेदारी का एहसास स्वत: ही होने लगता है। ■ किसी मित्र से वादा तोड़ने के बाद अपराध बोध का अनुभव करना। ■ बड़ों की गरिमा का सहज आदर करना। ■ किसी भेदभावपूर्ण कृत्य को देखकर गुस्से से प्रतिक्रिया करना। ■ बिना सोचे-समझे LGBTQIA+ व्यक्तियों के प्रति स्वचालित रूप से असुविधा या घृणा महसूस होना।	■ इसमें नैतिक विकल्पों का सचेत और तर्कसंगत मूल्यांकन शामिल होता है। ■ नैतिक निर्णय पर पहुँचने के लिये तार्किक तर्कों और सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। *उदाहरण* ■ इसके प्रभाव और प्रभावशीलता पर शोध करने के बाद किसी चौरिटी को दान देने का निर्णय लेना। ■ प्रस्तावित पर्यावरण नीति के फायदे और नुकसान पर चर्चा करने के लिये एक संरचित बहस में शामिल होना। ■ किसी विशिष्ट स्थिति में वादा तोड़ने के परिणामों और नैतिक निहितार्थों का विश्लेषण करना। ■ गरिमा के सिद्धांतों को उचित ठहराने के लिये दार्शनिक चर्चा में संलग्न होना। ■ कानूनी और नैतिक तर्क का उपयोग करके भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ तर्क तैयार करना। ■ व्यक्ति तत्काल भावनात्मक असुविधा का अनुभव किये बिना, जान-बूझकर LGBTQIA+ व्यक्तियों के प्रति अपने दृष्टिकोण का आकलन कर सकते हैं।

प्रश्न: 5 (a). नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में जब कानून, नियमों और अधिनियमों की तुलना की जाती है तो क्या अंतरात्मा की आवाज़ अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है? चर्चा कीजिये।

उत्तर: कानून सामान्यत: कल्याण के लिये उचित प्रक्रिया के माध्यम से कार्रवाई निर्धारित करता है तथा दायित्व थोपता है, जबकि विवेक सही और गलत में अंतर स्पष्ट करने की हमारी जन्मजात क्षमता है। प्रत्येक की क्षमता एवं सीमाएँ हैं,जो श्रेष्ठ स्थिति पर निर्भर करती हैं।

विवेक/अंतरात्मा

शक्ति

- **वैयक्तिक नैतिकता:** एक आंतरिक नैतिक दिशा-निर्देश जो किसी व्यक्ति की सही और गलत की व्यक्तिगत समझ के आधार पर नैतिक निर्णय लेने का मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।
- **नम्रता:** विवेक जटिलता और विशिष्टता को महत्त्व देता है, जिससे स्थापित विधियों से परे व्यक्तिगत स्थितियों पर विचार करने की अनुमति मिलती है।

सीमाएँ

- **पूर्वाग्रह का प्रभाव:** पूर्वाग्रहों, संस्कृति, पालन-पोषण से प्रभावित विवेक संदिग्ध नैतिकता को जन्म दे सकता है।
- **असंगत अनुप्रयोग:** विवेक के विकसित होने से नैतिक विकल्पों में असंगति आ सकती है।

विधि, नियम और विनियम

शक्ति

- **स्पष्टता:** ये समाज और संगठनों के लिये नैतिक दिशा-निर्देश स्थापित करते हैं।
- **जवाबदेही:** ये गलत कार्यों के परिणाम थोपते हैं, अनैतिक कार्यों को हतोत्साहित करते हैं।
- **अधिकारों की सुरक्षा:** विधि और नियम समग्र रूप से व्यक्तियों एवं समाज के अधिकारों तथा कल्याण की रक्षा कर सकते हैं।

सीमाएँ

- **कठोरता:** कानून प्राय: बदलते सामाजिक मानदंडों और विकसित नैतिकता के साथ तालमेल बनाए रखने के लिये संघर्ष करते हैं।
- **मोरल (नैतिक) ब्लाइंड स्पॉट:** कानूनी प्रणालियाँ सभी नैतिक दुविधाओं का पूरी तरह से समाधान नहीं कर सकती हैं।
- **प्रवर्तन:** कानूनों को लागू करना कठिन है और खामियों के कारण अनैतिक व्यवहार जारी रह सकता है।

विवेक और विधि/नियम/विनियम नैतिक निर्णयों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विवेक सार्वभौमिक नैतिकता एवं पूर्वाग्रह नियंत्रण पर निर्भर करता है, जबकि विधि संरचना प्रदान करते हैं लेकिन निष्पक्ष बने रहने के लिये इनके नियमित अद्यतन की आवश्यकता होती है।

प्रश्न: 5 (b). 'सत्यनिष्ठा प्रभावी शासन प्रणाली और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये अनिवार्य है। विवेचना कीजिये।

उत्तर: ईमानदारी का अर्थ है उच्चतम सिद्धांतों और आदर्शों का पालन करना है। यह ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे नैतिक सिद्धांतों की नींव है। यह सुशासन तथा सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिये महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी जनता को प्राथमिकता दें, कानून का पालन करें, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखें।

शासन में ईमानदारी सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है

- **संसाधन आवंटन:** शासन में ईमानदारी का अर्थ कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त संसाधन आवंटन है।
- **प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा:** ईमानदारी नवाचार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देती है, एक समान अर्थव्यवस्था के लिये भाई-भतीजावाद, परिवारवाद तथा पक्षपात को खत्म करती है।
- **समता:** यह सभी नागरिकों, विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले लोगों का सम्मान करते हुए निष्पक्ष नीतियाँ सुनिश्चित करती है।
- **असमानताओं को कम करना:** ईमानदारी सार्वजनिक अधिकारियों को व्यक्तिगत लाभ के लिये अपनी शक्ति का उपयोग करने से रोककर असमानता को कम करती है।
- **समावेशन:** यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक सेवाएँ और सुविधाएँ बिना किसी भेदभाव या बहिष्कार के सभी नागरिकों के लिये सुलभ एवं सस्ती हों।
- **स्थिरता:** शासन में ईमानदारी का तात्पर्य ऐसे निर्णय लेना है जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिये पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिरता पर आधारित होते हैं।
- **लचीलेपन को प्रोत्साहन:** यह अधिकारियों को प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये तैयार करके समाज के लचीलेपन को बढ़ाती है।
- प्रभावी सरकार, विश्वास, पारदर्शिता और सामाजिक प्रगति के लिये शासन में ईमानदारी महत्त्वपूर्ण है। अधिकारियों, नागरिक समाज, मीडिया तथा नागरिकों सहित सभी हितधारकों को इसे बढ़ावा देने के साथ इसकी रक्षा करनी चाहिये।

प्रश्न: 6 (a). गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएँ क्या थीं? समकालीन दुनिया में उनकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिये।

उत्तर: सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक द्वारा दी गई शिक्षाएँ, समकालीन दुनिया में अत्यधिक प्रासंगिक बनी हुई हैं।

उनकी प्रमुख शिक्षाएँ

- **एक ईश्वर (इक ओंकार):** गुरु नानक ने कई देवताओं की धारणा को खारिज करते हुए एक सार्वभौमिक ईश्वर की सत्ता पर बल दिया। धार्मिक सहिष्णुता एवं एकता को बढ़ावा देने वाला यह एकेश्वरवादी सिद्धांत, धार्मिक विविधता एवं संघर्षों की दुनिया में महत्त्वपूर्ण है।
- **समानता और सामाजिक न्याय:** गुरु नानक ने समानता का समर्थन करने के साथ सिख धर्म में न्याय, लैंगिक समानता तथा सेवाभाव जैसे मूल्यों को प्रेरित किया। वर्तमान दुनिया में उनकी शिक्षाएँ भेदभाव एवं असमानता के खिलाफ हमारे संघर्ष में आशा की किरण बनी हुई हैं।
- **निस्वार्थ सेवा:** गुरु नानक ने 'सेवाभाव' को बढ़ावा दिया। मानवता हेतु निस्वार्थ सेवा, करुणा, परोपकारिता और ज़िम्मेदारी की उनकी भावना आज भी प्रासंगिक है।
- **अंतर-धार्मिक संवाद:** गुरु नानक ने संवादों के माध्यम से अंतर-धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के साथ विविधता में एकता पर ज़ोर दिया। उनकी शिक्षाएँ वैश्विक शांति और सह-अस्तित्व के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- **अनुष्ठानों और अंधविश्वासों को अस्वीकार करना:** गुरु नानक ने आधारहीन अनुष्ठानों और अंधविश्वासों को खारिज करने के साथ ईश्वर की प्रत्यक्ष भक्ति पर बल दिया।

समकालीन दुनिया में गुरु नानक की शिक्षाएँ न केवल समावेशी, परोपकारी और सामंजस्यपूर्ण समाज को प्रेरित करने पर केंद्रित हैं बल्कि इनसे धार्मिक असहिष्णुता एवं सामाजिक असमानता जैसे आधुनिक मुद्दों का भी समाधान होता है जिससे हम अधिक प्रबुद्ध एवं न्यायसंगत भविष्य की ओर बढ़ने में सक्षम होते हैं।

प्रश्न: 6 (b). सामाजिक पूंजी की व्याख्या कीजिये। यह सुशासन में वृद्धि कैसे करती है?

उत्तर: सामाजिक पूंजी का आशय किसी समुदाय में सामाजिक संबंध, विश्वास और साझा मूल्यों के नेटवर्क से है जिससे प्रभावी सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक पूंजी कई मायनों में सुशासन को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे:

- इससे नागरिक सहभागिता एवं सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे सरकारी संस्थानों की जवाबदेहिता में वृद्धि हो सकती है।
- इससे सामूहिक कार्रवाई के साथ समस्या का समाधान सुनिश्चित होता है, जिससे सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में सुधार हो सकता है।
- इससे सामाजिक एकजुटता तथा समावेशन को बढ़ावा मिलने से संघर्ष और हिंसा की घटनाओं में कमी आने से सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सकता है।
- इससे सूचना अंतराल को कम करने के साथ विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है।
- इससे नवाचार के साथ सीखने की भावना को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे शासन प्रणालियों की अनुकूलनशीलता तथा प्रभावशीलता में वृद्धि हो सकती है।
- सुशासन, विश्वास, सहयोग, नागरिक सहभागिता एवं सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक पूंजी की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके मूल्य को पहचानते हुए लोकतांत्रिक संस्थानों में सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक पूंजी को बढ़ावा देना चाहिये।

प्रश्न: 7. कई सालों से आप एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्यपालक के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक दिन आपकी एक नज़दीकी सहकर्मी ने आपको बताया कि उसके पिताजी दिल की बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें बचाने के लिये तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है। उसने आपको यह भी बताया कि उसके पास कोई बीमा नहीं है और ऑपरेशन की लागत 10 लाख रुपए होगी। आप यह भी जानते हैं कि उसके पति नहीं रहे और वह निम्न-मध्यम-वर्ग परिवार से है। आप उसके हालात से समानुभूति रखते हैं। हालाँकि सहानुभूति के अलावा आपके पास रकम देने के लिये संसाधन नहीं हैं।

कुछ सप्ताह बाद आप उसके पिताजी की कुशलता के बारे में पूछते हैं और वह आपको उनके ऑपरेशन की सफलता के बारे में सूचित करती है कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। फिर उसने आपको गुप्त रूप से बताया कि बैंक मैनेजर इतने दयालु थे कि उन्होंने ₹10 लाख किसी के निष्क्रिय खाते से ऑपरेशन के लिये जारी कर दिये, इस वायदे के साथ कि यह गोपनीय होना चाहिये और जल्द-से-जल्द चुकाया जाए। उसने पहले ही रकम चुकाना शुरू कर दिया है और जब तक पूरी रकम चुकता नहीं हो जाती तब तक वह रकम भरती रहेगी।

(a) इसमें कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?

(b) नैतिकता के नजरिये से बैंक मैनेजर के व्यवहार का मूल्यांकन कीजिये।

(c) इस हालात में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी?

उत्तर: इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दे

- गोपनीयता की गारंटी के साथ एक सहकर्मी के पिता के ऑपरेशन के लिये निष्क्रिय खाते से रुपए देने से बैंक प्रबंधक की निष्पक्षता, समता और खुलेपन के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- सराहनीय कदम होने के बावजूद इससे संभावित रूप से स्थापित बैंकिंग प्रक्रियाओं की अवहेलना होती है, जो संभवत: अधिकार का दुरुपयोग है।
- पारदर्शिता की इस कमी से बैंक के ग्राहकों के संबंध में समान व्यवहार पर प्रश्न उठता है। उधार ली गई धनराशि का समय पर और उचित पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना एक नैतिक ज़िम्मेदारी है। सहकर्मी द्वारा धन के स्रोत को प्रदर्शित न करने से गोपनीयता संबंधी चुनौती भी उत्पन्न होती है।

बैंक प्रबंधक के व्यवहार का मूल्यांकन

- एक सहकर्मी के पिता के ऑपरेशन में सहायता के लिये निष्क्रिय खाते से धनराशि जारी करने की सुविधा प्रदान करने में बैंक प्रबंधक के व्यवहार से करुणा एवं समानुभूति जैसे मूल्य प्रदर्शित होते हैं।
- गोपनीयता बनाए रखना आधारभूत बैंकिंग सिद्धांतों के अनुरूप है, जो विश्वास को बढ़ावा देता है।
- यह स्थिति स्थापित बैंकिंग प्रक्रियाओं का पालन करने और सभी ग्राहकों के साथ समान व्यवहार करने के संबंध में चिंताओं को प्रदर्शित करती है। यह वित्तीय संस्थानों में स्पष्ट नैतिक दिशा-निर्देशों के साथ मज़बूत उत्तरदायित्व की आवश्यकता पर भी बल देती है।

इस स्थिति पर मेरी प्रतिक्रिया

- इस स्थिति में मेरी प्रतिक्रिया मेरे सहकर्मी के प्रति समानुभूतिपूर्ण और सहायक की होगी, जिसमें सहकर्मी के पिता के स्वास्थ्य एवं उसकी वित्तीय स्थिति से संबंधित चुनौतियों को ध्यान में रखना शामिल होगा।
- मैं उनके कल्याण के साथ ही उनके पिता के स्वास्थ्य लाभ को ध्यान में रखने के साथ वित्तीय लेन-देन में नैतिक और विधिक मानकों का पालन करने के महत्त्व पर भी ज़ोर दूँगा।
- मैं उसे यह सुनिश्चित करने के लिये प्रोत्साहित करूँगा कि निष्क्रिय खाता संबंधी निधि के उपयोग सहित सभी कार्य, बैंकिंग नियमों के अनुपालन में होने के साथ पारदर्शी तरीके से संचालित हों।
- मैं वित्तीय सहायता के क्रम में उचित माध्यम खोजने का मार्गदर्शन करूँगा, ताकि वह प्रक्रिया में निष्पक्षता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हुए निष्क्रिय खाते के रुपए समय पर अदा कर सके।

प्रश्न: 8. उत्तरकाशी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर सुदूर पहाड़ी बस्ती में 20 जुलाई, 2023 की मध्यरात्रि में एक भूस्खलन हुआ। भूस्खलन मूसलाधार बारिश के कारण हुआ और नतीजतन जान-माल की हानि बड़े पैमाने पर हुई। आप उस क्षेत्र के ज़िला मजिस्ट्रेट होने के नाते डॉक्टरों के दल, एन.जी.ओ., मीडिया और पुलिस के साथ बहुत से सहायक स्टाफ को लेकर घटनास्थल पर बचाव अभियान के लिये तुरंत पहुँचे।

एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी की अत्यावश्यक चिकित्सा सहायता के लिये आपके पास भागता हुआ आया, जो प्रसव में है और उन्हें रक्तस्राव हो रहा है। आपने अपने चिकित्सक दल को उसकी पत्नी की जाँच करने का निर्देश दिया। उन्होंने वापस आकर आपको बताया कि उस महिला को तुरंत खून चढ़ाने की आवश्यकता है। पूछताछ करने पर आपको पता चला कि कुछ रक्त संग्रह बैग और रक्त समूह परीक्षण किट एम्बुलेंस में आपकी टीम के पास मौजूद हैं। आपकी टीम के कुछ सदस्य स्वेच्छा से अपना रक्तदान करने के लिये पहले से ही तैयार हैं।

एम्स से स्नातक चिकित्सक होने के नाते आप जानते हैं कि खून चढ़ाने के लिये मान्यता-प्राप्त ब्लड बैंक से ही रक्त के इंतज़ाम की आवश्यकता है। आपकी टीम के सदस्य इस मुद्दे पर बँटे हुए हैं, कुछ खून चढ़ाने के हक में हैं, जबकि कुछ इसके विरोध में हैं। यदि उन्हें खून चढ़ाने के लिये दंडित नहीं किया जाएगा तो टीम में शामिल डॉक्टर प्रसव कराने के लिये तैयार हैं। अब आप दुविधा में हैं। आपका पेशेवर प्रशिक्षण मानवता और लोगों का जीवन बचाने को प्राथमिकता देने पर ज़ोर देता है।

(a) इस मामले में कौन-से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?

(b) क्षेत्र के ज़िला मजिस्ट्रेट होने के नाते आपके पास उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कीजिये।

उत्तर: नैतिक मुद्दे

- **रोगी का कल्याण:** इस संदर्भ में सर्वोपरि नैतिक चिंता गर्भवती महिला और उसके अजन्मे बच्चे की जीवन-घातक स्थिति है, जिसमें गंभीर रक्तस्राव के कारण तत्काल चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- **रक्त सुरक्षा:** रक्त आधान (Transfusion) के लिये ऐसे रक्त का उपयोग जो किसी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से नहीं लिया गया है, सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताओं को उत्पन्न करता है।
- **सूचित सहमति:** यह विचार करना आवश्यक है कि क्या रोगी या उसके परिवार को रक्त आधान के जोखिमों और लाभों के बारे में सूचित किया गया है (यदि यह किसी मान्यता प्राप्त स्रोत से नहीं लिया गया है)।
- **नैतिक चिकित्सा:** दल के चिकित्सा कर्मी जीवन बचाने की इच्छा एवं पेशेवर मानदंडों तथा नैतिकता बनाए रखने के अपने दायित्व के बीच संघर्ष की स्थिति का सामना करते हैं।
- **विधिक और नियामकीय अनुपालन:** यह स्थिति रक्त आधान के संबंध में विधिक और नियामकीय अनुपालन पर प्रश्न उठाती है।

उपलब्ध विकल्प

- **किसी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से रक्त प्राप्त करना:** ज़िलाधिकारी को रोगी की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिये, साथ ही किसी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से रक्त की व्यवस्था कर चिकित्सकीय नैतिकता का पालन करना चाहिये।
- **जाँच के साथ स्थानीय रक्त संग्रह:** यदि संभव हो, तो दल के संभावित दाताओं का त्वरित रक्त परीक्षण करना चाहिये।
- **विशेषज्ञ परामर्श:** परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम कार्रवाई के बारे में मार्गदर्शन और सलाह के लिये चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ संपर्क करना चाहिये।

इस स्थिति में लिये जाने वाले निर्णय में रोगी की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ नैतिक, चिकित्सीय एवं विधिक मानकों का पालन भी किया जाना चाहिये। यद्यपि स्थिति गंभीर है लेकिन रक्त सुरक्षा से समझौता करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में चिकित्सा दल से स्पष्ट संचार के साथ यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञ की सलाह लेना तथा नैतिक, चिकित्सा और नियामक विचारों को सर्वोत्तम रूप से संतुलित करने वाला एक सूचित निर्णय लेना आवश्यक है।

प्रश्न: 9. शनिवार की शाम 9 बजे संयुक्त सचिव रशिका अपने कार्यालय में अब भी अपने काम में व्यस्त थी। उसके पति विक्रम किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यपालक हैं और अपने काम के सिलसिले में अकसर वे शहर से बाहर रहते हैं। उनके दो बच्चे क्रमशः 5 और 3 साल के हैं जिनकी देखभाल घरेलू सहायिका द्वारा होती है। रशिका के उच्च अधिकारी श्रीमान सुरेश ने उसे शाम 9:30 बजे बुलाया और उन्होंने मंत्रालय की बैठक में चर्चा होने वाले किसी ज़रूरी मुद्दे पर एक विस्तृत टिप्पणी तैयार करने के लिये कहा। उसे लगा कि उसके उच्च अधिकारी द्वारा दिये गए इस अतिरिक्त काम को पूरा करने के लिये उसे रविवार को काम करना होगा।

वह स्मरण करती है कि कैसे वह इस पोस्टिंग के प्रति उत्सुक थी और इसे हासिल करने के लिये उसने कई महीने देर-देर तक काम किया था। उसने अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में लोगों के कल्याण को सर्वोपरि रखा था। उसे महसूस होता है कि उसने अपने परिवार के साथ पर्याप्त न्याय नहीं किया है और आवश्यक सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में कर्त्तव्यों को पूरा नहीं किया है। यहाँ तक कि अभी पिछले महीने उसे अपने बीमार बच्चे को आया की देखभाल में छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसे दफ्तर में काम करना था। अब उसे लगता है कि उसे एक रेखा खींचनी चाहिये, जिसमें अपनी पेशेवर ज़िम्मेदारियों की तुलना में प्रथमतः निजी ज़िंदगी को महत्त्व मिलना चाहिये। वह सोचती है कि समय की पाबंदी, कड़ी मेहनत, कर्त्तव्यों के प्रति समर्पण और निःस्वार्थ सेवा जैसे कार्य नैतिकता की समुचित सीमाएँ होनी चाहिये।

- **इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिये।**
- **महिलाओं के लिये एक स्वस्थ, सुरक्षित और न्यायसंगत कार्य परिवेश मुहैया कराने के संदर्भ में सरकार द्वारा बनाए गए कम-से-कम चार कानूनों का संक्षेप में वर्णन कीजिये।**
- **कल्पना कीजिये कि आप भी ऐसी ही स्थिति में हों। आप उक्त कामकाजी परिस्थितियों को सामान्य करने के लिये क्या सुझाव देंगे?**

उत्तर: नैतिक मुद्दे

- **कार्य एवं व्यक्तिगत जीवन में संतुलन:** मुख्य नैतिक मुद्दा रशिका द्वारा एक माँ तथा जीवनसाथी के रूप में अपनी भूमिका के साथ अपनी व्यवसाय संबंधी ज़िम्मेदारियों को संतुलित करने का संघर्ष है।
- **सामाजिक दायित्व से समझौता:** रशिका अपने पारिवारिक कर्त्तव्यों तथा सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में अपनी असमर्थता को दर्शाती है, जो एक नैतिक संघर्ष का संकेत देता है।
- **बच्चे का भावनात्मक विकास क्षीण होना:** लंबे समय तक कार्य करने के दौरान छोटे बच्चों को घरेलू सहायकों की देखभाल में छोड़ना उनके कल्याण और पालन-पोषण से संबंधित नैतिक चिंताओं को उजागर करता है।

- **समग्र स्वास्थ्य:** रशिका की सप्ताहांत पर कार्य करने और अपनी नौकरी के लिये निजी जीवन से समझौता करने की तत्परता उसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न कर सकती है।

महिलाओं के कार्य परिवेश से संबंधित कानून

- **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961:** यह कानून महिला कर्मचारियों के लिये मातृत्व अवकाश एवं लाभों को अनिवार्य करता है, जो गर्भावस्था के दौरान और बाद में उनके कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013:** इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर उत्पीड़न की रोकथाम-तथा उनको संबोधित करके महिलाओं के लिये एक सुरक्षित एवं उत्पीड़न मुक्त कार्य वातावरण बनाना है।
- **समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976:** यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को समान कार्य के लिये समान वेतन प्राप्त हो, जिससे कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को प्रोत्साहित किया जा सके।
- **कारखाना अधिनियम, 1948:** इस अधिनियम के तहत महिला श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जिनमें उनके कार्यों के घंटों को विनियमित करना, उचित वायु-संचार की सुविधा सुनिश्चित करना तथा बच्चों की देखभाल की सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है।

कामकाजी परिस्थितियों को सुलभ बनाने हेतु सुझाव

- **सीमाएँ स्थापित करना:** कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।
- **कार्य का वितरण एवं प्राथमिकता:** जब संभव हो कार्य का वितरण करना तथा कार्यभार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने हेतु प्रमुख ज़िम्मेदारियों को प्राथमिकता देना।
- **सहायता प्रणालियाँ:** देखभाल की ज़िम्मेदारियाँ साझा करने के लिये परिवार, दोस्तों तथा सहकर्मियों की सहायता लेना।
- **स्वयं की देखभाल:** स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता देना, जिसमें शारीरिक व्यायाम, विश्राम तथा तनाव अथवा कार्य से संबंधित दबाव से निपटने के दौरान पेशेवर मदद लेना शामिल है।
- **कार्य एवं व्यक्तिगत जीवन में संतुलन पर केंद्रित नीतियों को प्रोत्साहन देना:** कार्य एवं व्यक्तिगत जीवन में संतुलन को बढ़ावा देने तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर केंद्रित नीतियों का समर्थन करना।

प्रश्न: 10. विनोद एक ईमानदार और निष्ठावान आईएएस अधिकारी है। हाल ही में उन्होंने राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है, पिछले तीन साल में यह उनका छठा तबादला है। उनके साथी उनके विशाल ज्ञान, मिलनसारिता और ईमानदारी को स्वीकार करते हैं।

- **राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष एक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हैं, जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। विनोद को निगम की अनेक कथित अनियमितताओं और वित्तीय मामलों में अध्यक्ष की मनमानी के बारे में पता चला।**
- **निगम के विरोधी दल के एक बोर्ड सदस्य विनोद से मुलाकात करते हैं और कुछ दस्तावेज़ों के साथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग सौंपते हैं, जिसमें अध्यक्ष क्यूएमआर टायरों की आपूर्ति के लिये एक बड़ा ऑर्डर देने के लिये रिश्वत की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विनोद को याद है कि अध्यक्ष ने क्यूआर टायरों के लंबित बिलों को तेज़ी से निपटाने का काम किया था।**
- **विनोद, बोर्ड सदस्य से पूछते हैं कि वे अपने पास मौजूद तथाकथित ठोस सबूतों के साथ अध्यक्ष को बेनकाब करने से क्यों कतरा रहे हैं। सदस्य उन्हें सूचित करते हैं कि अध्यक्ष ने उनकी धमकियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर विनोद खुद अध्यक्ष को बेनकाब करेंगे तो उन्हें पहचान और जनता का समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा वे विनोद से कहते हैं कि एक बार उनकी पार्टी में आने से विनोद की पेशेवर वृद्धि सुनिश्चित हो जाएगी।**
- **विनोद को पता है कि अगर उन्होंने अध्यक्ष का भंडाफोड़ किया तो उसे दंडित किया जा सकता है और आगे चलकर उन्हें किसी दूर स्थान पर स्थानांतरित भी किया जा सकता है। विनोद जानते हैं कि आगामी चुनाव में विपक्षी दल के सत्ता में आने की बेहतर संभावना है। हालाँकि उन्हें यह भी पता है कि बोर्ड सदस्य अपने राजनीतिक लाभों के लिये उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।**

(a) एक कर्त्तव्यनिष्ठ सिविल सेवक के रूप में विनोद के लिये उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कीजिये।

उत्तर: विनोद, एक कर्त्तव्यनिष्ठ सिविल सेवक है। वह चेयरमैन से संबंधित कथित भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता है परंतु वह अपने उत्तरदायित्व एवं सत्यनिष्ठा के आदर्शों का पालन करने अथवा व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक दोनों स्तरों पर संभावित नतीजों से बचने के लिये चुप रहने की नैतिक दुविधा का सामना कर रहा है। उसके समक्ष ये विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं

चेयरमैन एवं उसके कथित भ्रष्टाचार का खुलासा करना

- **फायदे:** भ्रष्टाचार का सामना करने से सत्यनिष्ठा एवं नैतिक मूल्यों को कायम रखा जा सकता है।
- **नुकसान:** प्रतिशोध तथा उसके कॅरियर को संभावित नुकसान का खतरा, जिसमें दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थानांतरण भी शामिल है।

भ्रष्टाचार की अनदेखी करना और कर्त्तव्य निभाते रहना

- **फायदे:** संभावित व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जोखिमों से बचाव।
- **नुकसान:** भ्रष्टाचार को संबोधित करने और नैतिक मानकों को बनाए रखने के अपने कर्त्तव्य में उसकी विफलता।

कानूनी एवं आंतरिक उपाय की सहायता

- **फायदे:** उचित प्रक्रिया तथा कानून के शासन का पालन करके नैतिकता कायम रहेगी।
- **नुकसान:** चेयरमैन के प्रभाव के कारण निष्पक्ष आंतरिक जाँच कराने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

व्हिसलब्लोअर सुरक्षा उपायों की सहायता

- **फायदे:** आत्म-सुरक्षा के साथ भ्रष्टाचार का खुलासा करने में मदद मिलेगी।
- **नुकसान:** अभी भी कुछ हद तक व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

(b) उपर्युक्त मामले के संदर्भ में नौकरशाही के राजनीतिकरण के कारण उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों पर टिप्पणी कीजिये।

उत्तर:

- **सत्यनिष्ठा से समझौता:** राजनीतिक दबाव के कारण नौकरशाहों को सत्यनिष्ठा का पालन करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
- **सत्ता का दुरुपयोग:** नौकरशाह राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत लाभ के लिये सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं।
- **पक्षपातपूर्ण निर्णय लेना:** राजनीतिकरण एक पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने की ओर अग्रसर करता है।
- **कम जवाबदेही:** राजनीतिक माहौल में उत्तरदायित्व चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **सिविल सेवकों का शोषण:** राजनेता राजनीतिक उद्देश्यों के लिये सिविल सेवकों का शोषण कर सकते हैं।
- **जन विश्वास में कमी:** राजनीतिकरण के कारण सरकारी संस्थानों में जनता की विश्वसनीयता घट जाती है।
- **अनैतिक आचरण का सामान्यीकरण:** इस परिस्थिति में अनैतिक आचरण के विस्तारित होने की संभावना है।

प्रश्न: 11. हाल ही में आप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। आपके प्रभाग के मुख्य आर्किटेक्ट, जो छह महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे हैं, जिसका सफल समापन उनके बचे हुए जीवन में एक स्थायी प्रतिष्ठा हासिल करेगा।

मैनचेस्टर आर्किटेक्चर स्कूल, UK से प्रशिक्षित, एक नई महिला आर्किटेक्ट, सीमा ने आपके प्रभाग में बतौर वरिष्ठ आर्किटेक्ट कार्यभार सँभाला है। इस प्रोजेक्ट के बारे में विवरण देने के दौरान सीमा ने कुछ सुझाव दिये, जो न केवल प्रोजेक्ट में मूल्य वृद्धि करेंगे, बल्कि प्रोजेक्ट की समापन अवधि भी घटा देंगे। इससे मुख्य आर्किटेक्ट असुरक्षित हो गए और सारा श्रेय सीमा को प्राप्त होने की उन्हें लगातार चिंता होने लगी। नतीजतन, उन्होंने सीमा के प्रति एक निष्क्रिय एवं आक्रामक व्यवहार अपना लिया, जो सीमा के लिये अपमानजनक हो गया। सीमा उलझन में पड़ गई, क्योंकि मुख्य आर्किटेक्ट उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वह अक्सर दूसरे सहयोगियों के सामने सीमा को गलत ठहराते तथा उससे ऊँची आवाज़ में बात करते। इस लगातार उत्पीड़न से सीमा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान खोने लगी। वह लगातार तनाव, चिंता एवं दबाव महसूस करती। ऐसा प्रतीत हुआ कि सीमा मुख्य आर्किटेक्ट से डर भरे विस्मय में थी क्योंकि वह एक लंबे समय से कार्यालय में थे तथा उनके पास इस कार्य क्षेत्र में व्यापक अनुभव था।

सीमा की उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता और पूर्व संस्थाओं में कॅरियर रिकॉर्ड से आप अवगत हैं। हालाँकि आपको डर है कि इस उत्पीड़न से सीमा को इस महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट में अत्यंत आवश्यक योगदान पर समझौता करना पड़ सकता है तथा यह उसकी भावात्मक कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। आपको अपने समकक्ष लोगों से भी पता चला है कि वह त्यागपत्र देने के बारे में सोच रही है।

(a) उपर्युक्त मामले में कौन-से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?

(b) प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिये तथा सीमा को संस्था में बनाए रखने हेतु आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

(c) सीमा की दुर्दशा के लिये आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? संस्था में ऐसी घटनाएँ रोकने के लिये आप क्या कदम उठाएंगे?

उत्तर: (a) उपर्युक्त मामले में कौन-से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?

- **कार्यस्थल पर उत्पीड़न (गरिमा और सम्मान):** मुख्य आर्किटेक्ट का सीमा के प्रति अपमान और गैर-सम्मानजनक व्यवहार उसकी गरिमा का उल्लंघन है तथा इससे एक प्रतिकूल कार्यस्थल वातावरण का निर्माण होता है।
- **पेशेवर ईर्ष्या (सहयोग और टीम वर्क):** मुख्य आर्किटेक्ट की असुरक्षा की भावना एवं सीमा के साथ सहयोग करने की अनिच्छा, प्रोजेक्ट की सफलता में बाधक बन सकता है और यह टीम वर्क की भावना के भी प्रतिकूल है।
- **कर्मचारी के भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रभाव:** मुख्य आर्किटेक्ट द्वारा सीमा को लगातार अपमानित किया जाना और इससे उत्पन्न तनाव उसके भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिससे उसकी कार्य उत्पादकता में बाधा आती है।
- **नैतिक नेतृत्व की विफलता (नैतिक आचरण):** एक सक्षम सहयोगी को अपमानित करने के रूप में मुख्य आर्किटेक्ट का अनैतिक आचरण, किसी संगठन में नैतिक नेतृत्व की विफलता को दर्शाता है।

(b) प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिये तथा सीमा को संस्था में बनाए रखने के लिये आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

उत्तर:

- **मध्यस्थता:** मुख्य आर्किटेक्ट और सीमा के मध्य विवादों को सुलझाने के लिये उनके बीच निजी तौर पर बातचीत की सुविधा प्रदान करना।
- **सहयोगात्मक कार्यों का वितरण:** सीमा और मुख्य आर्किटेक्ट को उनकी क्षमता एवं विशेषज्ञता के आधार पर विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्य सौंपना, सहयोग को बढ़ावा देना तथा प्रोजेक्ट को पूरा करने में तेज़ी लाना।

(c) सीमा की दुर्दशा के लिये आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? संस्था में ऐसी घटनाएँ रोकने के लिये आप क्या कदम उठाएंगे?

उत्तर: सीमा की दुर्दशा के लिये प्रतिक्रिया

- **मार्गदर्शन और समर्थन:** सीमा को इस बात से अवगत कराना कि उसके योगदान का काफी महत्त्व है तथा उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिये उसे भावनात्मक समर्थन प्रदान करना।
- **आइडिया इनक्यूबेटर:** "आइडिया इनक्यूबेटर" नाम से एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करना जहाँ सीमा सहित अन्य कर्मचारी परियोजना संबंधी नवीन विचारों का प्रस्ताव रख सकें। इसके साथ ही रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए योगदानकर्ताओं की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत करने पर बल देना।

संस्था में ऐसी घटनाएँ रोकने के लिये कदम

- **निष्पक्ष मूल्यांकन:** निष्पक्ष प्रदर्शन मूल्यांकन के माध्यम से योग्यता आधारित मान्यीकरण सुनिश्चित करना।

- **शून्य-सहिष्णुता नीति:** सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिये एक सख्त उत्पीड़न-विरोधी नीति लागू करना और इसके विषय में सभी को जागरूक करना।
- **पहचान रहित रिपोर्टिंग:** पहचान रहित रिपोर्टिंग तंत्र की स्थापना करना, ताकि कर्मचारी प्रतिशोध के भय से मुक्त होकर उत्पीड़न अथवा संघर्ष की सुरक्षित रूप से रिपोर्टिंग कर सकें।

प्रश्न: 12. सरकार के एक मंत्रालय में आप ज़िम्मेदार पद पर हैं। एक दिन सुबह आपके 11 साल के बेटे के स्कूल से फोन आया कि आपको प्रिंसिपल से मिलने आना है। आप जब स्कूल गए तो आपने अपने बेटे को प्रिंसिपल के कार्यालय में देखा। प्रिंसिपल ने आपको सूचित किया कि जिस समय कक्षाएँ चल रही थीं, उस समय आपका बेटा मैदान में बेमतलब घूमता हुआ पाया गया था। कक्षा शिक्षक आपको बताते हैं कि आपका बेटा इधर अकेला पड़ गया है और कक्षा में सवालों का जवाब नहीं देता है, वह हाल ही में आयोजित फुटबॉल ट्रायल में भी अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ रहा है। आप अपने बेटे को स्कूल से ले आते हैं और शाम को अपनी पत्नी के साथ बेटे के बदलते व्यवहार के कारणों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बार-बार मनाने के बाद, आपके बेटे ने साझा किया कि कुछ बच्चे कक्षा में और छात्रों के व्हाट्सअप ग्रुप में उसे बौना, मूर्ख तथा मेंढक कहकर उसका मज़ाक उड़ा रहे थे। वह आपको कुछ बच्चों के नाम बताता है जो मुख्य दोषी हैं लेकिन आपसे मामले को शांत रहने देने की विनती करता है।

कुछ दिनों बाद एक खेल आयोजन के दौरान, जहाँ आप और आपकी पत्नी अपने बेटे को खेलते हुए देखने गए थे, आपके एक सहकर्मी का बेटा आपको एक वीडियो दिखाता है जिसमें छात्रों ने आपके बेटे का व्यंग्यचित्र बनाया है। इसके अलावा वह उन दोषी बच्चों की ओर इशारा करता है जो स्टैंड में बैठे थे। आप जान-बूझकर अपने बेटे के साथ उनके पास से गुजरते हैं और घर लौटते हैं। अगले दिन, सोशल मीडिया पर आपको, आपके बेटे को तथा यहाँ तक कि आपकी पत्नी को भी बदनाम करने वाला एक वीडियो मिलता है, जिसमें कहा गया है कि आप खेल के मैदान पर बच्चों को शारीरिक रूप से परेशान करने में लगे हुए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपके मित्रों और सहकर्मियों ने पूरा विवरण जानने के लिये आपको फोन करना शुरू कर दिया। आपके एक जूनियर ने आपको एक जवाबी वीडियो बनाने की सलाह दी, जिसमें पृष्ठभूमि दी जाए तथा बताया जाए कि मैदान पर कुछ भी नहीं हुआ है। बदले में आपने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसे आपने खेल आयोजन के दौरान बनाया था, जिसमें संभावित गड़बड़ी करने वालों की पहचान की गई थी, जो आपके बेटे की परेशानी के लिये ज़िम्मेदार थे। आपने यह भी बताया है कि मैदान में वास्तव में क्या हुआ था एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को सामने लाने का प्रयास किया है।

(a) उपर्युक्त केस स्टडी को आधार बनाकर सोशल मीडिया के उपयोग में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिये।

(b) अपने परिवार के खिलाफ फर्ज़ी प्रचार का मुकाबला करने के लिये तथ्यों को सामने रखने हेतु आपके द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग करने के लाभ और हानियों पर चर्चा कीजिये।

उत्तर: (a) मामले से जुड़े नैतिक मुद्दे

- **गोपनीयता और सहमति:** बिना किसी सहमति के किसी की छवि खराब करना उसकी निजता का उल्लंघन है।
- **साइबर धमकी और उत्पीड़न:** अपमानजनक सामग्री को ऑनलाइन पोस्ट करना साइबर धमकी तथा उत्पीड़न माना जाता है।
- **दुष्प्रचार और झूठे आरोप:** झूठी जानकारी प्रसारित करने से किसी की प्रतिष्ठा कम हो सकती है, इसीलिये इसे ज़िम्मेदारी से साझा करने की आवश्यकता है।
- **ऑनलाइन जवाबदेही:** पर्याप्त औचित्य के बिना किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने से निष्पक्षता पर प्रश्न उठता है।
- **प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग:** प्रौद्योगिकियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का दुरुपयोग नुकसान पहुँचाने, गलत सूचना फैलाने तथा साइबर धमकी में भाग लेने के लिये किया जाता है।
- **संबंधों पर प्रभाव:** नकारात्मक ऑनलाइन सामग्री से वास्तविक जीवन के संबंधों में तनाव को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे ऑनलाइन व्यवहार के नैतिक होने के साथ डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता के महत्त्व पर प्रकाश पड़ता है।

(b) अपने परिवार के खिलाफ झूठे प्रचार का मुकाबला करने के लिये सोशल मीडिया का उपयोग करने के लाभ और हानियाँ:

लाभ

- **तत्काल प्रतिक्रिया:** झूठे आरोपों या गलत सूचनाओं को फैलने से रोकने के लिये तत्काल समाधान करना।
- **व्यापक पहुँच:** इससे अपनी बातों को व्यापक स्तर पर पहुँचाया जा सकता है।
- **पारदर्शिता:** सोशल मीडिया पर साक्ष्य के साथ प्रामाणिकता सुनिश्चित करना।
- **नियुक्ति:** संदर्भ प्रदान करते हुए दर्शकों के साथ सीधे बातचीत करना।
- **समर्थन जुटाना:** मित्रों, सहकर्मियों और अनजान व्यक्तियों से समर्थन प्राप्त करना।
- **शैक्षणिक अवसर:** ऑनलाइन व्यवहार के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

हानियाँ

- **जोखिम में वृद्धि:** इसमें स्थिति के गंभीर होने और ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करने का जोखिम है।
- **गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** इसमें पारिवारिक निजता से समझौता होने के साथ बाहरी लोगों की धमकियाँ मिल सकती हैं।
- **गलत व्याख्या:** स्पष्टता प्रकट करने के प्रयास से भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **नकारात्मक प्रतिक्रिया:** अप्रत्याशित जनमत के परिणामस्वरूप नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है।
- **भावनात्मक आघात:** ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटना भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है।
- **कानूनी निहितार्थ:** सोशल मीडिया पर कुछ साझा करने के कानूनी परिणाम हो सकते हैं।

झूठी जानकारी का खंडन करने के लिये सोशल मीडिया का उपयोग करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। यह स्थितियों को संभालने और जागरूकता में वृद्धि का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन इसके खतरे तथा संभावित कमियाँ भी हैं। ऐसी स्थितियों से सोच-समझकर निपटना, साथ ही यदि आवश्यक हो तो कानूनी सलाह लेना और अपने परिवार के कल्याण एवं गोपनीयता पर विचार करना महत्त्वपूर्ण है। ■■■